भारत की सहभागिता जैविक प्रतिभूति प्रणाली

(पीजीएस – इंडिया)

प्रचालन पुस्तिका

हिमाचल प्रदेश राज्य बीज एवं
जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण अभिकरण
शिमला–171005

हिमाचल प्रदेश राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण अभिकरण शिमला–171005

कार्यालय:

निदेशक
हिमाचल प्रदेश राज्य बीज एवं
जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण अभिकरण

प्रमाणीकरण भवन, बालूगंज,
शिमला–171005

फोन – 0177–2830643
फैक्स – 0177–2832376
ईमेल – hpssopca@gmail.com

वर्ष : 2021

HPSSOPCA

डॉ. अजय कुमार शर्मा
सचिव (कृषि) हि.प्र.
एवं
अध्यक्ष, हि.प्र. राज्य बीज एवं
जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण अभिकरण

प्रस्तावना

विगत दो दशकों में विश्व समुदाय में खाद्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ–साथ पर्यावरण को स्वस्थ रखने हेतु भी जागरूकता बढ़ी है । जैविक खेती प्रणेताओं का विश्वास है कि इस विधा से न केवल स्वस्थ वातावरण, उपयुक्त उत्पादकता तथा प्रदूषणमुक्त खाद्य प्राप्त होगा बल्कि इसके द्वारा संपूर्ण ग्रामीण विकास की एक नई, स्वपोषित, स्वावलंबी प्रक्रिया शुरू होगी।

विश्व खाद्य संगठन की परिभाषा के अनुसार जैविक खेती एक ऐसी अनूठी कृषि प्रबंधन प्रक्रिया है, जो कृषि वातावरण का स्वास्थ्य, जैव विविधता, जैविक चक्र तथा मिट्टी की जैविक प्रणालियों का संरक्षण व पोषण करते हुए उत्पादन सुनिश्चित करती है। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के संश्लेषित तथा रासायनिक आदानों के उपयोग के लिये कोई स्थान नहीं है।

पिछले 25 वर्षों से पूरे विश्व में जैविक उत्पादक अपने जैविक उत्पादों की जैविक गुणवत्ता व निष्ठा प्रमाणित करने हेतु विभिन्न प्रकार के गारंटी कार्यक्रम विकसित कर रहे हैं। तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण प्रक्रिया विश्व जैविक बाजार की सबसे अधिक मान्य प्रतिभूति (गारंटी) प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के प्रचालन व प्रमाणीकरण हेतु वर्तमान में भारत में 33 प्रमाणीकरण संस्थाएँ कार्यरत हैं। तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण विश्व बाजार में यद्यपि सर्वाधिक मान्य प्रक्रिया है, परंतु इस प्रक्रिया के बहुस्तरीय आयाम, अत्यधिक व जटिल प्रलेखन आवश्यकता तथा इस पर होने वाला खर्च अधिकांश लघु किसानों के लिये न केवल मुश्किल है अपितु उनकी खर्च वहन क्षमता से भी अधिक है। पूरी प्रक्रिया की जटिलता तथा उसका खर्च जैविक खेती आंदोलन की प्रगति को तीव्रता प्रदान नहीं कर पा रहा है।

इस असमानता को दूर करने और जैविक प्रतिभूति (गारंटी) पद्धति को सर्वसुलभ बनाने हेतु स्थानीय बाजार व लघु उत्पादक समूहों के लिये अनेक वैकल्पिक प्रतिभूति प्रणालियाँ विकसित की गई हैं। ऐसी सभी वैकल्पिक प्रणालियों को सामूहिक रूप से सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली (पी.जी.एस) के नाम से जाना जाता है। पी.जी.एस जैविक आश्वासन प्रक्रिया में सभी उत्पादकों व अन्य भागीदारों की सक्रिय सहभागिता इसका मूल आधार है।

हिमाचल प्रदेश के कृषकों/बागवानों की सुलभता के लिए भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए हि.प्र. राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण अभिकरण–शिमला को पी.जी.एस. इंडिया के अंतर्गत क्षेत्रिय परिषद के रूप में पंजीकृत किया है। जो हिमाचल प्रदेश में जैविक खेती आंदोलन की प्रगति में उत्प्रेरक का कार्य करेगी और राज्य के कृषक/बागवान लाभान्वित होंगे।

डॉ. अजय कुमार शर्मा

अनुक्रमणिका

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्र.
1	परिभाषाएँ	1–3

अध्याय	अध्याय विवरण	पृष्ठ क्र.
अध्याय–1	**पी.जी.एस.–इंडिया**	**4–10**
1.1	पी.जी.एस.–इंडिया के बारे में	4–5
1.2	जैविक सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली के मार्गदर्शक सिद्धांत	5–7
1.2.1	पीजीएस समूहों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत	5
1.2.1.1	सहभागिता सिद्धाँत	5
1.2.1.2	सम्मिलित दूरदृष्टि का सिद्धाँत	6
1.2.1.3	परदर्शिता का सिद्धाँत	6
1.2.1.4	विश्वास का सिद्धाँत	7
1.2.1.5	समस्तरीयता	7
1.2.2	अलग–अलग उत्पादकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, ऑन–फार्म और ऑफ–फार्म प्रोसेसिंग और हैंडलिंग	8–9
1.2.2.1	व्यक्तिगत कृषि उत्पादक	8
1.2.2.2	समूह द्वारा अपने स्वयं के या किराए की सुविधाओं में ऑन–फार्म प्रसंस्करण और हैंडलिंग	8
1.2.2.3	पीजीएस–समूहों से दूर स्टैंड–अलोन सुविधाओं में ऑफ–फार्म प्रसंस्करण और हैंडलिंग	9
1.2.3	पीजीएस–इंडिया के तहत बड़े सन्निहित पारंपरिक/डिफॉल्ट जैविक क्षेत्रों को जैविक में बदलने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत	9
1.3	राष्ट्रीय संस्थागत तंत्र निर्माण	9–10
1.3.1	पीजीएस–इंडिया प्रमाणन सेवाएं और शुल्क	10
अध्याय–2	**परिचालन संरचना**	**11–12**
2.1	परिचालन संरचना	11
2.1.1	क्षेत्रीय परिषद (आरसी)	12
2.1.2	स्थानीय समूह (एलजी)	12
अध्याय–3	**स्थानीय समूहों (एलजी), के लिए पात्रता मानदंड और कार्यात्मक आवश्यकताएं**	**13–16**
3.1	स्थानीय समूहों के लिए आवश्यकता और पात्रता मानदंड	13–14
3.2	स्थानीय समूह की भूमिका और उत्तरदायित्व	14–16
अध्याय–4	**प्रमाणन प्रक्रिया**	**17–34**
4.1.1	स्थानीय समूह (एलजी) द्वारा प्रमाणन प्रक्रिया	17–21
4.1.2	क्षेत्रीय परिषद द्वारा प्रमाणन प्रक्रिया	21–25
4.2.1	व्यक्तिगत उत्पादक की भूमिका और उत्तरदायित्व	25–26
4.2.2	क्षेत्रीय परिषद द्वारा व्यक्तिगत उत्पादक का प्रमाणन	26–27
4.3.1	पी.जी.एस.–समूहों से दूर ऑफ–फार्म प्रोसेसिंग (प्रसंस्करण) और हैंडलिंग इकाइयां/सुविधाएं	27–28
4.3.2	ऑफ–फार्म प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा प्रमाणन प्रक्रिया	28–29

4.3.3	ऑफ–फॉर्म प्रसंस्करण इकाइयों के लिए क्षेत्रीय परिषद द्वारा प्रमाणन प्रक्रिया	30
4.4.1	बड़े सन्निहित पारंपरिक/डिफॉल्ट जैविक क्षेत्र को पीजीएस–इंडिया ऑर्गेनिक में बदलने के लिए राज्यों और स्थानीय सरकारी प्राधिकरणों की भूमिका और जिम्मेदारियां	31–32
4.4.2	बड़े सन्निहित पारंपरिक/डिफॉल्ट जैविक क्षेत्र के लिए प्रमाणन प्रक्रिया	33–34
4.4.2.1	ग्राम परिषद/ ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणन प्रक्रिया	33–34
4.4.2.2	क्षेत्रीय परिषद द्वारा प्रमाणन प्रक्रिया	34
4.5	उपभोक्ताओं द्वारा प्रमाणीकरण का सत्यापन	34
अध्याय–5	**समय रेखा, शिकायतें और अपील**	**35–37**
5.1	समय रेखा	35–36
5.1.1	स्थानीय समूह के लिए	35
5.1.2	क्षेत्रीय परिषदों के लिए	35–36
5.1.3	आँचलिक परिषदों के लिए	36
5.2	शिकायतें और अपील	36–37
5.2.1	जनता द्वारा शिकायतें	36–37
5.2.2	स्थानीय समूहों द्वारा शिकायतें और अपील	37
5.2.3	आरसी द्वारा शिकायतें और अपील	37
5.2.4	अपीलों का निपटान	37
अध्याय–6	**लोगो (Logo) और लेबलिंग का अधिकार**	**38–41**
6.1	लोगो (LOGO) और अद्वितीय (यूनीक) प्रमाणपत्र आईडी कोड प्रदान करना	38
6.2	स्कोप प्रमाणपत्र की वैधता	38
6.3	पीजीएस ऑर्गेनिक और पीजीएस रूपांतरण स्थिति के लिए अलग–अलग लोगो (logo)	39
6.4	लोगो के उपयोग के लिए शर्तें	40
6.5	लेबलिंग	40–41
अध्याय–7	**गैर–अनुपालन दिशानिर्देश "प्रतिबंधों की सूची"**	**42–44**
7.1	स्थानीय समूह द्वारा किसानों/उत्पादकों के लिए प्रतिबंध सूचीपत्र	42–43
7.2	क्षेत्रीय परिषद द्वारा स्थानीय समूह के लिए "प्रतिबंधों की सूची"	43–44
अध्याय–8	**जैविक उत्पादन हेतु पी.जी.एस.–राष्ट्रीय मानक**	**45–51**
8.1	सामान्य आवश्यकताएँ	45
8.1.1	आवास प्रबंधन	45
8.1.2	फसल विविधता	45
8.1.3	पशुधन समन्वयन	45
8.1.4	परिवर्तन कालावधि	46
8.1.5	संदूषण नियंत्रण	46
8.1.6	मृदा एवं जल संरक्षण	47
8.2	फसल उत्पादन हेतु मानकीय आवश्यकताएँ	47
8.2.1	बीज एवं पौध चयन	47
8.2.2	उर्वरीकरण	47–48
8.2.3	कीट व्याधि एवं खरपतवार नियंत्रण तथा वृद्धिकारकों (HORMONES) का प्रयोग	48

8.2.4	मशीन, उपकरण, औजार व भंडारण पात्र	48
8.2.5	भंडारण तथा परिवहन	49
8.3	पशुधन उत्पादन हेतु मानकीय आवश्यकताएँ	49
8.3.1	परिवर्तन आवश्यकताएँ	49
8.3.2	पालन वातावरण	49
8.3.3	प्रजातियाँ तथा प्रजनन	49
8.3.4	पशु पोषण	50
8.3.5	पशु दवाएँ	50–51
8.4	मधुमक्खी पालन हेतु मानक आवश्यकताएँ	51
अध्याय–9	**खाद्य प्रसंस्करण, रखरखाव तथा भंडारण हेतु मानकीय आवश्यकताएँ**	**52–54**
9.1.1	सामान्य आवश्यकताएँ	52
9.1.2	भंडारण	52
9.1.3	संघटक योजक तथा प्रसंस्करण सहायक	53
9.1.4	प्रसंस्करण	53
9.1.5	पैकिंग तथा लेबल लगाना	54
अध्याय–10	**शुल्क/लागत मानदंड**	**55–57**
10.1	पी.जी.एस. भारत जैविक प्रमाणन के फसल उत्पादन के लिए शुल्क का मानदंड	55
10.2	वापसी योग्य (Refundable) एवं ना–वापसी योग्य (Non-Refundable) शुल्क	56
10.2.1	वापसी योग्य शुल्क (Refundable Fees)	56
10.2.2	ना–वापसी योग्य शुल्क (Non-Refundable Fees)	56
10.3	टिप्पणी	57
प्रारूप सं०	**प्रारूप**	**58–89**
1	किसान पंजीकरण के लिए आवेदन प्रारूप	58
2	जैविक प्रतिज्ञा	59
3	किसान इतिहास पत्र	60–63
4	व्यक्तिगत किसान का अनुमोदन	64
5	क्षेत्रीय परिषद के साथ स्थानीय समूह (एल.जी.) पंजीकरण के लिए आवेदन	65–66
6	पीजीएस–इंडिया के तहत पीजीएस–इंडिया क्षेत्रीय परिषद और स्थानीय समूह के बीच निष्पादित होने वाले समझौते का प्रारूप	67–68
7	पीजीएस–इंडिया कार्यक्रम के तहत पंजीकृत व्यक्तिगत किसान/स्थानीय समूहों के लिए संदर्भ की शर्तें	69–73
8	स्थानीय समूह का अनुमोदन	74
9	टेंटेटिव सर्टिफिकेशन टीम	75
10	बैठकों के लिए कार्यवाही और उपस्थिति रजिस्टर/उपस्थिति पत्रक	76–78
11	पुनरीक्षण (सहकर्मी निरीक्षण)/क्षेत्र निरीक्षण मूल्यांकन कार्यपत्रक	79–86
12	प्रशिक्षण का शीर्षक/उपस्थिति पत्रक	87–89

HPSOPCA

परिभाषाएँ

प्रत्यायित प्रमाणीकरण संस्था (Accredited Certification Agency)– राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) के अधीन राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय द्वारा प्रत्यायित संस्था जिसे जैविक उत्पादन प्रक्रिया के प्रमाणीकरण हेतु अधिकृत किया गया है।

आयुर्वेद (Ayurveda)– प्राचीन भारतीय स्वास्थ्य परिचर्या तथा प्राकृतिक औषधि उपचार प्रणाली।

बफर क्षेत्र (Buffer Zone)– जैविक उत्पादन इकाई या क्षेत्र के चारो ओर एक ऐसा उभय क्षेत्र जो कि जैविक व अजैविक क्षेत्र को स्पष्ट रूप से अलग करता हो तथा यह सुनिश्चित करता हो कि अजैविक क्षेत्र से कोई भी प्रतिबंधित पदार्थ जैविक क्षेत्र में न पहुँच पाये।

मिलावट (Co-mingling)– दुर्घटनावश, असावधानी या जानबूझकर जैविक व अजैविक उत्पादों का मिश्रण।

संदूषण (Contamination)- जैविक उत्पाद या जैविक क्षेत्र में ऐसे प्रतिबंधित पदार्थों द्वारा प्रदूषण जो उस उत्पाद या क्षेत्र को जैविक प्रमाणीकरण हेतु अनुपयुक्त कर दें।

परिवर्तन कलावधि (Conversion Period)- अजैविक क्षेत्र को जैविक क्षेत्र में परिवर्तन हेतु वांछित समय।

डी.ए.सी. (DAC)– कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

विविधता (Diversity)– अनेक प्रकार के पौधों, वृक्षों व झाड़ियों इत्यादि का समावेश कर तथा एक ही समय विभिन्न प्रकार की फसलें उगाकर जैव विविधता का निर्माण।

आवास प्रबंधन (Habitat Management)– ऐसे प्रबंधन उपाय व प्रक्रियाएँ जिनसे संबंधित क्षेत्र में सभी प्रकार के जीव जन्तुओं व पौधों हेतु आदर्श प्रकृतिपरक जीवन यापन सुनिश्चित किया जाये।

होम्योपैथी (Homeopathy)– एक ऐसी औषधि उपचार विधि जो ''बीमारी कारकों द्वारा बीमारी उपचार'' सिद्धांत (Similia Similibus Curentur – Let likes be treated by likes) पर आधारित है।

आइफोम (IFOAM)– जैविक कृषि आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ।

सहायक संस्थाएँ (Facilitating Agency)– स्थानीय समूह द्वारा नामित ऐसी संस्था जो उन्हें पीजीएस प्रक्रिया के परिचालन, प्रबंधन, डाटा प्रबंधन तथा वेबसाइट प्रचालन में सहायता करे।

HPSOPCA

स्थानीय समूह (Local Group)– सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली हेतु स्थानीय किसानों का समूह जो पीजीएस–इंडिया कार्यक्रम के मानक व दिषानिर्देषों के अनुरूप मिल–जुलकर कार्य करे।

पशुधन (Live Stock)– ऐसे सभी पालतू जीव व पशु जैसे गाय भैंस, बैल, घोड़ा, बकरी, सूअर, भेड़, मुर्गी, बतख, मधुमक्खी इत्यादि जिन्हें खाद्य उत्पादन हेतु या खाद्य उत्पादन में सहायता हेतु पाला जाता है। जंगलों से शिकार कर लाए पशु व प्राकृतिक जल स्रोतों (जैसे नदी, झील व समुद्र) से पकड़ी गई मछलियाँ इस परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं।

समानांतर उत्पादन (Parallal Production)– एक ही इकाई, क्षेत्र या फार्म पर जैविक व अजैविक विधि द्वारा समान उत्पादन, प्रजनन, प्रसंस्करण व भंडारण।

आंशिक परिवर्तन (Part Conversion)– एक ही इकाई या फार्म के कुछ क्षेत्र का जैविक उत्पादन अधीन होना व शेष क्षेत्र का अजैविक उत्पादन अधीन या परिवर्तन कालावधि के अधीन होना।

पीजीएस एन.ए.सी. (PGS - NAC)– पी.जी.एस. राष्ट्रीय सलाहकार समिति, भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत पी जी एस – इंडिया कार्यक्रम की शीर्ष नीति निर्धारण व निर्णय इकाई होगी।

आँचलिक परिषद् (Zonal Council)– पी.जी.एस.एन.ए.सी. द्वारा अधिकृत संस्था जो पीजीएस इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत प्रादेशिक परिषदों के बीच समन्वय तथा उनकी कार्यप्रणाली पर निगाह रखेगी।

एन.सी.ओ.एफ. (NCOF)– भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र।

सहभागिता जैविक प्रतिभूति प्रणाली [Participatory Guarantee System(PGS)]– पी.जी.एस. जैविक उत्पादन की एक ऐसी गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया है जो स्थानीय रूप से प्रासंगिक है तथा सभी भागीदारों जिनमें उत्पादक व उपभोक्ता दोनों शामिल हैं की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए तथा तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण प्रक्रिया से अलग रहकर उत्पाद गुणवत्ता की गारंटी देती है।

आइफोम (२००८) की परिभाषा के अनुसार सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली स्थानीयता केंद्रित एक ऐसी गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया है जिसमें उत्पादकों का प्रमाणीकरण सभी भागीदारों की सहभागिता सुनिश्चित कर किया जाता है। आपसी विश्वास, सामाजिक जुड़ाव तथा ज्ञान का आदान–प्रदान इसका आधारभूत तत्व है।

HPSOPCA

पुनरीक्षण समीक्षा (Peer Review)– यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समान परिस्थितियों में भागीदार एक–दूसरे की उत्पादन प्रक्रिया की जाँच व समीक्षा कर प्रक्रिया के मानकों के अनुरूप होने की पुष्टि करते हैं। यह प्रक्रिया लिखित या अलिखित किसी भी रूप में हो सकती है।

शपथ (Pledge)– शपथ एक ऐसा लिखित प्रलेख है जो प्रचालकों या स्थानीय समूह के सदस्यों को पीजीएस – इंडिया कार्यक्रम के जैविक उत्पादन मानकों के पालन हेतु उनकी प्रतिबद्धता दर्शाता है।

आर सी ओ एफ (RCOF)– राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र के अंतर्गत कार्यषील क्षेत्रीय जैविक खेती केन्द्र।

प्रादेशिक परिषद् (Regional Council)– पी.जी.एस–एन ए सी द्वारा अधिकृत संस्था जो स्थानीय समूह के बीच समन्वय, उनके क्रिया–कलापों की जाँच तथा उनके प्रमाणीकरण निर्णयों को स्वीकृत करने का कार्य करें।

तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण (Third Party Certification)– राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत जैविक गारंटी कार्यक्रम जिसमें एक स्वतंत्र संस्था उत्पादन प्रक्रिया की जाँच कर प्रमाणीकरण प्रदान करती है।

यूनानी (Unani)– यूरोप से उत्पत्तित एक प्राचीन औषधि उपचार व स्वास्थ परिचर्या प्रणाली।

वेटरिनरी (Veterinary)– पशुओं हेतु आधुनिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली।

HPSOPCA

पी.जी.एस.–इंडिया ऑपरेशनल मैनुअल

अध्याय–1

पी.जी.एस.–इंडिया

1.1 पी.जी.एस.–इंडिया के बारे में:

पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ इंडिया (पी.जी.एस.–इंडियाः सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली) एक ऐसी गुणवत्ता आश्वासन पहल है जो स्थानीय रूप से प्रासंगिक होकर सभी भागीदारों, जिनमें उत्पादक व उपभोक्ता दोनों शामिल हैं के सक्रिय सहभाग पर आधारित है तथा तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण से अलग रहकर कार्य करती है। आइफोम (2008) की परिभाषा के अनुसार **''सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली स्थानीयता केंद्रित एक ऐसी गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया है जिसमें उत्पादकों का प्रमाणीकरण सभी भागीदारों की सहभागिता सुनिश्चित कर किया जाता है। आपसी विश्वास, सामाजिक जुड़ाव तथा ज्ञान का आदान–प्रदान इसके आधारभूत तत्व हैं।''** पी.जी.एस. प्रक्रिया में समूह सदस्य (लघु जोत किसान या उत्पादक) समान परिस्थितियों में एक–दूसरे की उत्पादन प्रक्रिया का मूल्यांकन, निरीक्षण व जाँच कर सम्मिलित रूप में पूरे समूह की कुल जोत को जैविक प्रमाणीकृत करते हैं।

पी.जी.एस प्रक्रिया का मूलभूत ढाँचा सहभागिता, सम्मिलित दूरदृष्टि, पारदर्शिता तथा विश्वास पर आधारित है। सहभागिता पूरी प्रक्रिया का सबसे आवश्यक व गतिमान पहलू है। सभी प्रमुख भागीदार (उत्पादक, उपभोक्ता, विक्रेता, विपणन कर्ता तथा अन्य जैसे गैर सरकारी संस्थान इत्यादि) इसके प्रारंभिक स्वरूप के निर्माण से लेकर पूर्ण प्रचालन तक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पी.जी.एस. प्रचालन प्रक्रिया में सभी भागीदार पूरी प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर निर्णय से लेकर प्रमाणीकरण प्रक्रिया के अंतिम निर्णय तक उसमें सक्रिय भूमिका निभाते हैं। प्रचालन प्रक्रिया में सहभागिता के साथ–साथ उत्पादक भागीदार लगातार जानकारी के आदान–प्रदान से एक–दूसरे के ज्ञानवर्धन में सहायक होते हैं और अपनी उत्पादन प्रक्रिया में उत्तरोत्तर विकास करते हैं। यह ज्ञानवर्धन प्रक्रिया जहाँ कुछ अवस्थाओं में समूह के सदस्यों से प्रेरित होती है वहीं कुछ अवस्थाओं में सहायक गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से पूरी की जाती है। ज्ञानवर्धन प्रक्रिया प्रमुख रूप से उत्पादन स्थलों पर सीधे तकनीकी प्रदर्शन, किसान दिवस या गोष्ठियों के रूप में होती है। सहभागिता के साथ सामूहिक उत्तरदायित्व पी.जी.एस. जैविक आश्वासन का प्रमुख आधार है।

HPSSOPCA

हालांकि पीजीएस–इंडिया मूल रूप से एक किसान समूह केंद्रित जैविक गारंटी प्रणाली है, लेकिन उत्पादकों, प्रोसेसर, हैंडलर और व्यापारियों के सभी वर्गों को एकीकृत करने के लिए, खेत से प्लेट तक मूल्य श्रृंखला को पूरा करता है। पीजीएस–इंडिया कार्यक्रम जैविक कृषि आंदोलन का केंद्रीय मार्गदर्शक है। यह व्यक्तिगत उत्पादकों, पीजीएस समूहों के तहत व्यक्तिगत प्रसंस्करण और हैंडलिंग सुविधाओं, संगठित प्रसंस्करण, भंडारण, हैंडलिंग और पैकेजिंग और उत्पादक समूहों से दूर व्यापारिक संस्थाओं तक पहुंच प्रदान करता है। एंड–टू–एंड ट्रैसेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए (एफएसएस (ऑर्गेनिक फूड्स), रेगुलेशन 2017) के तहत नियामक ढाँचे की आवश्यकताओं के अनुसार पीजीएस–इंडिया कार्यक्रम निर्माता समूहों से उत्पादों के संसाधित होने और अंत में खुदरा पैक किए जाने तक की निर्बाध श्रृंखला भी प्रदान करता है।

1.2 जैविक सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली के मार्गदर्शक सिद्धांत

अंर्तराष्ट्रीय मान्यताओं व आइफोम के पी.जी.एस. दिशा–निर्देशों के अनुपालन में, पीजीएस–इंडिया प्रणाली भी सहभागिता, सम्मिलित दूरदृष्टि, पारदर्शिता तथा आपसी विश्वास के मूलभूत स्तंभों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त पी.जी.एस–इंडिया कार्यक्रम पीजीएस धारणा को अक्षुण्ण रखते हुए पूरे आंदोलन को राष्ट्रीय मान्यता के साथ–साथ इसे एक संस्थागत स्वरूप भी प्रदान करता है। इसके अलावा, पीजीएस–इंडिया उन व्यक्तिगत किसानों की चिंताओं को भी संबोधित करता है जो समूह बनाने में असमर्थ हैं या न्यूनतम संख्या से कम हैं और जो उत्पादक पारंपरिक / डिफॉल्ट जैविक क्षेत्रों में स्थित हैं। इसलिए विभिन्न श्रेणी के हितधारकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पीजीएस–इंडिया के मार्गदर्शक सिद्धांतों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है; (ए) समूह, (बी) व्यक्तिगत उत्पादक/प्रोसेसर/हैंडलर और (सी) पारंपरिक डिफॉल्ट जैविक क्षेत्र।

1.2.1 पीजीएस समूहों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

1.2.1.1 सहभागिता सिद्धांत

सहभागिता पी.जी.एस का सबसे महत्वपूर्ण व गतिमान भाग है। सभी प्रमुख भागीदार (उत्पादक, उपभोक्ता, विक्रेता, विपणन कर्ता तथा अन्य जैसे गैर सरकारी संस्थान) इसके प्रारंभिक स्वरूप निर्माण से लेकर पूर्ण प्रचालन व निर्णय तंत्र में सक्रिय भूमिका निभाते है।

सहभागिता के अंतःकरण में निहित सामूहिक उत्तरदायित्वता का सिद्धांत जैविक निष्ठा की स्थापना का मूल मंत्र है। सामूहिक उत्तरदायित्वता निम्न बिन्दुओं द्वारा परिलक्षित होती है।

- पी.जी.एस का सामूहिक स्वामित्व
- विकास प्रक्रिया में सभी की भागीदारी
- पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है उसकी समझ तथा
- उत्पादक, उपभोक्ता तथा अन्य भागीदारों के बीच सीधा संबंध व संवाद।

ये सभी मूल तत्व आपसी विश्वास को आधार बनाकर जैविक निष्ठा के स्थापन में सहयोग करते हैं। पूरी प्रचालन प्रक्रिया की पारदर्शिता आपसी विश्वास स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण है। निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता, सभी प्रलेखों व सूचना तंत्र तक सीधे पहुँच तथा उपभोक्ताओं की प्रचालन तथा निरीक्षण में भागीदारी पूरे कार्यक्रम को विश्वसनीयता प्रदान करती है। निर्णय प्रक्रिया में यद्यपि विपणनकर्ताओं, विक्रेताओं या उपभोक्ताओं की अनवरत भागीदारी संभव नहीं होती है परंतु उनकी भागीदारी से पूरी प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा व विश्वसनीयता बढ़ती है।

1.2.1.2 सम्मिलित दूरदृष्टि का सिद्धांत

कार्यान्वयन और निर्णय प्रक्रिया में सामूहिक उत्तरदायित्व सम्मिलित दूरदृष्टि से ही संभव है। सभी प्रमुख भागीदार (उत्पादक, सहायक सस्थायें, गैर सरकारी संस्थान, सामाजिक संस्थान तथा राज्य सरकारें) पी.जी.एस. में निहित मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा लक्ष्यों को प्राप्त करनें में सहयोग करतें हैं। ऐसा तभी सम्भव होता है जब सब कार्यक्रम निर्माण में भागीदार हों और उसमें शामिल होकर उसके प्रचालन में सहयोग करें। प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिये ऐसे आवेदन या प्रलेख जिसमें दूरदृष्टि उल्लिखित हो पर हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

यद्यपि प्रत्येक भागीदार संस्था या पी.जी.एस समूह अपनी अलग-अलग दूरदृष्टि पत्र बना सकते हैं परंतु ऐसे प्रलेख पी.जी.एस-इंडिया की समग्र दूरदृष्टि व मानकों के अधीन होने आवश्यक हैं।

1.2.1.3 पारदर्शिता का सिद्धांत

परदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये यह जरूरी है कि सभी भागीदार (उत्पादक व उपभोक्ता) इस बात से भलीभाँति परिचित हों कि सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली कैसे कार्य करती है, मानकीय आवश्यकताएँ क्या हैं, जैविक प्रतिभूति क्रियाविधि तथा आवश्यक प्रलेखन तथा निर्णय प्रक्रिया कैसे कार्य करती है। पी.जी.एस समूहों के सभी दस्तावेजों तथा सूचनाओं (जैसे प्रमाणित उत्पादकों की सूची, उनके फार्म व उत्पादन प्रक्रिया का विवरण, मानक विरोधी कार्य इत्यादि) तक आम जन की पहुँच सुनिश्चित की जानी चाहिए। पी.जी.एस-इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी समस्त जानकारी एक राष्ट्रीय डाटाबेस वेबसाइट के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी।

HPSCICA

इस कथन का यह मतलब भी नहीं है कि राष्ट्रीय पी जी एस वेबसाइट पर उपलब्ध सभी जानकारी सभी को उपलब्ध होगी। सबसे निचले स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये सभी उत्पादकों को पूरी जैविक प्रतिभूति क्रियाविधि में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना जरूरी है। इसके लिये निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना होगा।

- सभी गोष्ठियों व बैठकों में जानकारी का आदान प्रदान
- आंतरिक निरीक्षणों व पुनरीक्षण प्रक्रिया में भागीदारी तथा
- निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय योगदान

1.2.1.4 विश्वास का सिद्धांत

पी.जी.एस प्रक्रिया में जैविक निष्ठा का मूल आधार यह है कि उत्पादकों पर विश्वास किया जा सकता है तथा जैविक प्रतिभूति प्रणाली इसी विश्वास पर आधारित सत्यापन प्रक्रिया है। इस विश्वास का मूल आधार संपूर्ण पी.जी.एस प्रक्रिया में सभी भागीदारों की सम्मिलित दूरदृष्टि, सम्मिलित प्रयास, प्रचालन तथा सम्मिलित निष्ठा सत्यापन है। यह विश्वास अलग–अलग पी.जी.एस.समूहों में उनके सांस्कृतिक तथा सामाजिक परिवेश के अनुसार अलग–अलग परिलक्षित होता है। इस विश्वास के मूल में यह अवधारणा भी है कि प्रत्येक उत्पादक अपनी संपूर्ण जैविक उत्पादन प्रक्रिया में पर्यावरण सुरक्षा तथा उपभोक्ता स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।

विश्वसनीयता प्रदर्शन क्रिया विधि में निम्न बिन्दु महत्वपूर्ण हैं

- प्रत्येक उत्पादक एक लिखित शपथ पत्र द्वारा अपनी प्रतिबद्धता दर्शाता है
- पूरा समूह सामूहिक रूप से वचन देता है कि वे पी.जी. एस. प्रक्रिया के सिद्धांतों, मानकों तथा प्रक्रिया का पूरा पालन करेंगे।

इस तरह, सामूहिक विश्वास के विचार को संस्थागत रूप दिया जाता है और पारदर्शिता के बल पर हितधारकों द्वारा लगातार मान्य किया जाता है।

1.2.1.5 समस्तरीयता

उत्पादक समूह स्तर पर पी.जी.एस.–इंडिया में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता तथा यह पूरी प्रक्रिया के लोकतांत्रिक तथा सामूहिक उत्तरदायित्वता के रूप में परिलक्षित होता है। समस्त कार्य जैसे निरीक्षण, पुनरीक्षण इत्यादि बारी–बारी से सभी सदस्यों द्वारा किये जाते हैं तथा सारे क्रिया–कलापों तथा निर्णय प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है।

EPSOPCA

1.2.2 अलग–अलग उत्पादकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, ऑन–फार्म और ऑफ–फार्म प्रोसेसिंग और हैंडलिंग

व्यक्तिगत कृषि उत्पादकों और पीजीएस–इंडिया प्रमाणित जैविक कृषि उपज का संगठित प्रसंस्करण और खुदरा बिक्री में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए, पीजीएस–इंडिया खेतों, ऑन–फार्म और ऑफ–फार्म प्रसंस्करण और हैंडलिंग के लिए जैविक अखंडता के निरंतर सत्यापन की एक निम्नलिखित सिद्धांत प्रणाली पर करता हैः

1.2.2.1 व्यक्तिगत कृषि उत्पादक

पीजीएस–इंडिया जैविक गारंटी प्रणाली उन व्यक्तिगत किसानों के लिए जो समूहों से दूर क्षेत्रों में स्थित हैं और ग्राम समुदाय के अन्य सदस्य अभी तक जैविक को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं, पहुँच सुनिश्चित करने के लिए पीजीएस–इंडिया निकटवली समूह द्वारा सत्यापन के माध्यम से इन खेतों को प्रमाणित करने के लिए विशिष्ट प्रावधान है। समूहों के लिए पीजीएस–इंडिया के मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर असाधारण मामलों में जहां ऐसी गारंटी के लिए पास में कोई पीजीएस–इंडिया समूह नहीं है, तो क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से राष्ट्रीय संस्थागत संरचना ऐसे किसानों को पीजीएस–इंडिया गारंटी प्रक्रिया के अनुपालन के सत्यापन के लिए सहायता कर सकती है। लेकिन ऐसे किसानों को समूह बनाने और जब भी संभव हो पीजीएस–इंडिया समूहों का हिस्सा बनने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। गांवों में व्यक्तिगत किसान जहां पीजीएस–इंडिया समूह मौजूद हैं या ऐसे पीजीएस–इंडिया समूहों के नजदीकी गांवों में हैं, उन्हें उन समूहों के हिस्से के रूप में माना जाएगा।

1.2.2.2 समूह द्वारा अपने स्वयं के या किराए की सुविधाओं में ऑन–फार्म प्रसंस्करण और हैंडलिंग

पीजीएस स्थानीय समूह द्वारा ऑन–फार्म प्रोसेसिंग और हैंडलिंग पीजीएस–इंडिया समूहों का अभिन्न अंग होगा और पीजीएस–इंडिया के सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कवर किया जाएगा जिसमें समूह द्वारा पुनरीक्षण(सहकर्मी) मूल्यांकन और निर्णय लेना शामिल है। समूहों के लिए पीजीएस–इंडिया के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार फार्म से दूर किराए की सुविधाओं के तहत ऑफ–फार्म प्रसंस्करण भी किया जा सकता है, बशर्ते इसका पूरा संचालन पीजीएस समूह की देखरेख में ही किया जाएगा।

HPSSOPCA

1.2.2.3 पीजीएस–समूहों से दूर स्टैंड–अलोन सुविधाओं में ऑफ–फार्म प्रसंस्करण और हैंडलिंग

ऐसे मामलों में पीजीएस–इंडिया प्रमाणीकरण तीसरे पक्ष प्रमाणन प्रणाली के समान "अनुरूपता मूल्यांकन और सत्यापन" मानदंड अपनाकर किया जाएगा और पीजीएस–इंडिया जैविक प्रसंस्करण और हैंडलिंग के लिए व्यक्तिगत इकाइयों को अनुमोदित किया जाएगा।

1.2.3 पीजीएस–इंडिया के तहत बड़े सन्निहित पारंपरिक/डिफॉल्ट जैविक क्षेत्रों को जैविक में बदलने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

भारत परंपरागत रूप से जैविक रहा है और कई क्षेत्र अभी भी जैविक बने हुए हैं। प्रलेखन, भौतिक सत्यापन और मानकों के अनुपालन के लिए अन्य आवश्यकताओं में जटिलताओं के कारण ऐसे क्षेत्रों को पारंपरिक रूप से जैविक होने के बावजूद जैविक नहीं माना जा सकता है। पीजीएस–इंडिया निम्नलिखित अतिरिक्त विशेषताओं के साथ पीजीएस–इंडिया के समग्र मार्गदर्शक सिद्धांतों के तहत इन क्षेत्रों को जैविक रूप से मुख्यधारा में लाने का अवसर प्रदान करता हैः

- ऐसे केवल बड़े सन्निहित क्षेत्र जो कई वर्षों से पीजीएस–इंडिया मानकों का अनुपालन कर रहे हैं।
- स्थानीय/राज्य प्रशासन आश्वासन देता है कि सिंथेटिक इनपुट और जीएमओ के उपयोग पर प्रभावी प्रतिबंध है और निषिद्ध पदार्थों की बिक्री/आपूर्ति के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है।
- ऐसे क्षेत्र भौगोलिक रूप से पारंपरिक क्षेत्र से अलग–थलग हैं और पहाड़ियों, गैर–कृषि भूमि, समुद्र, नदियों, जंगलों या किसी अन्य प्रभावी अवरोध से अलग हैं।
- क्षेत्र के सभी किसानों द्वारा पीजीएस–इंडिया जैविक कृषि नीति और प्रक्रियाओं को अपनाना और ग्राम परिषदों या ग्राम पंचायतों द्वारा इसकी पुष्टि करना

1.3 राष्ट्रीय संस्थागत तंत्र निर्माण

पीजीएस इंडिया का लक्ष्य पीजीएस की भावना को बरकरार रखते हुए पूरे आंदोलन को एक संस्थागत ढांचा देना भी है। यह विभिन्न सुविधा एजेंसियों, क्षेत्रीय परिषदों, आँचलिक परिषदों, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र में पीजीएस–भारत सचिवालय और शीर्ष कार्यान्वयन और नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में राष्ट्रीय सलाहकार समिति के माध्यम से समूहों को सामान्य छतरी के नीचे नेटवर्किंग करके प्राप्त किया जा सकता है।

HPSOPCA

लेकिन हर स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ये संस्थान (शीर्ष संस्थान, प्रादेशिक व आँचलिक परिषद इत्यादि) उत्पादक समूहों की कार्य प्रणाली तथा उनकी निर्णय प्रक्रिया में कोई भी दखल न दें। प्रणाली की ताकत देश भर में समान राष्ट्रीय मानकों और समान कार्यान्वयन रणनीतियों के माध्यम से सभी हितधारकों को जोड़ने की क्षमता में निहित है, जो अंत तक पता लगाने की क्षमता, पारदर्शिता और प्रणाली में लगातार सुधार की दिशा में काम करने की इच्छा प्रदर्शित करती है।

1.3.1 पीजीएस–इंडिया प्रमाणन सेवाएं और शुल्क

पीजीएस–इंडिया प्रमाणन सेवाओं को राष्ट्रीय सलाहकार समिति, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, पीजीएस सचिवालय, क्षेत्रीय और क्षेत्रीय परिषदों और स्थानीय समूहों से युक्त एक संस्थागत नेटवर्क के माध्यम से सुगम बनाया जाता है। यद्यपि अधिकांश संस्थागत सेवाएं पीजीएस सचिवालय द्वारा मुफ्त में प्रदान की जाती हैं, आरसी (क्षेत्रीय परिषद) का प्राधिकरण, आरसी द्वारा एलजी का भौतिक निरीक्षण, आरसी द्वारा एलजी का प्रमाणन समर्थन, व्यक्तिगत किसानों, प्रसंस्करण इकाइयों या बड़े क्षेत्र के प्रमाणीकरण का भौतिक निरीक्षण और प्रमाणन प्रदान करना आदि भुगतान की गई सेवाएं हैं और उपयोगकर्ताओं द्वारा आवश्यक शुल्क का भुगतान आरसी और एलजी और अन्य ऑपरेटरों के बीच सहमति के अनुसार किया जाएगा।

HPSSOPCA

अध्याय–2

परिचालन संरचना

2.1 परिचालन संरचना

पीजीएस–इंडिया कार्यक्रम कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के समग्र निर्देशन और मार्गदर्शन के तहत संचालित किया जाएगा, जिसमें सचिव, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण सर्वोच्च निर्णय लेने वाले और अपीलीय प्राधिकरण के लिए अधिकृत होंगे। पीजीएस इंडिया की योजनाबद्ध परिचालन संरचना नीचे दी गई हैः

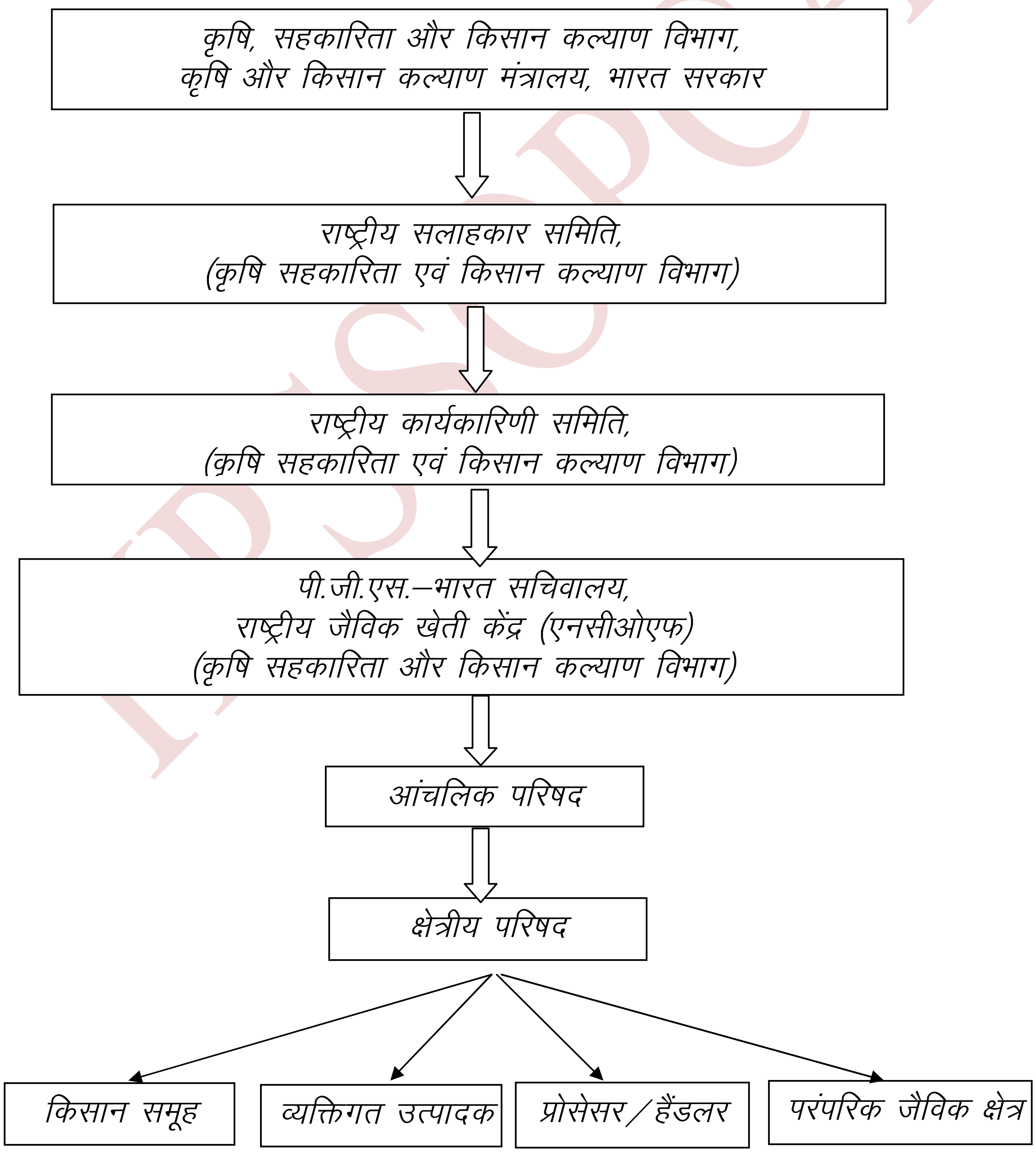

2.1.1. क्षेत्रीय परिषद (आरसी)

क्षेत्रीय परिषद (आरसी) प्रासंगिक अधिनियमों (सोसाइटी अधिनियम, कंपनी अधिनियम, सहकारी अधिनियम, ट्रस्ट अधिनियम या समय–समय पर लागू कोई अन्य राज्य या केंद्र सरकार अधिनियम) के तहत कानूनी रूप से पंजीकृत एजेंसी होगी। सरकारी विभागों/एजेंसियों को कानूनी इकाई माना जाएगा। क्षेत्रीय परिषद और इसके विभागीय व्यक्तियों के हितों का कोई टकराव नहीं होगा ताकि जैविक गारंटी कार्यक्रम और/या इसकी विश्वसनीयता बाधित या प्रभावित हो।

2.1.2 स्थानीय समूह (एलजी)

सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली में स्थानीय समूह सबसे प्रमुख कार्यान्वयन व निर्णय करने वाली इकाई है। स्थानीय समूह उन किसानों का समूह है जो उसी या आस–पास के गाँवों में रहते हैं और लगातार एक–दूसरे से वार्तालाप करते रहते हैं। उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि, विक्रेता या विपणनकार्ताओं की स्थानीस समूह तथा उसके कार्यान्वयन में भागीदारी पूरी प्रणाली में उपभोक्ताओं की निष्ठा व विश्वास बढ़ाने में सहायक होती है।

HPSSOPCA

स्थानीय समूहों (एलजी), के लिए पात्रता मानदंड और कार्यात्मक आवश्यकताएं

3.1 स्थानीय समूहों के लिए आवश्यकता और पात्रता मानदंड

- एक स्थानीय समूह में कम से कम 5 सदस्य एक ही गांव या निरंतर क्षेत्र वाले गांवों से संबंधित होने चाहिए। क्षेत्रीय परिषदें स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रति समूह अधिकतम किसानों की संख्या तय कर सकती हैं।
- महिला किसानों की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
- समूह के कम से कम कुछ (25%) सदस्य पीजीएस जैविक गारंटी प्रणाली या प्रमाणन प्रणाली और जैविक उत्पादन के राष्ट्रीय मानकों (एनपीओपी) से अच्छी तरह वाकिफ होंगे या क्षेत्रीय परिषदों, आँचलिक परिषद या पीजीएस सचिवालय द्वारा आयोजित पीजीएस गारंटी प्रणाली पर प्रशिक्षण प्राप्त किया होगा। अन्य क्रियाशील पीजीएस समूह की कोर टीम का हिस्सा रहे हैं।
- समूह के सभी सदस्यों को समूह की विशेष उद्देश्य, सहभागी क्रियात्मकता और सामूहिक जिम्मेदारी का पालन करने के लिए पीजीएस प्रतिज्ञा और समूह समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे।
- हालांकि, किसी एक किसान की जोत के आकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन किसी भी मामले में, एक एकल सदस्य की जोत समूह के तहत कुल भूमि के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- पीजीएस जैविक गारंटी प्रणाली के तहत आम तौर पर समानांतर उत्पादन और आंशिक रूपांतरण की अनुमति नहीं है, इसलिए यह आवश्यक है कि समूह के सभी सदस्यों को पीजीएस मानकों के अनुसार जैविक प्रबंधन के तहत अपने पूरे खेत को पशुधन के साथ लाना होगा। हालांकि, कुछ मामलों में क्षेत्रीय परिषदें अपवाद दे सकती हैं और चरणों में रूपांतरण की अनुमति भी दे सकती हैं।
- पीजीएस दस्तावेजों तक पहुंच हो और कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुंच हो (वैकल्पिक)
- संबंधित क्षेत्रीय परिषद के साथ पंजीकृत और पीजीएस वेबसाइट पर डेटा अपलोड करने के लिए आवश्यक यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त किया जाएगा।
- यदि किसान समूह डेटा अप लोडिंग की ऑनलाइन प्रणाली संचालित करने में असमर्थ है तो किसी अन्य सुविधा एजेंसी या स्थानीय गैर सरकारी संगठन या सेवा प्रदाताओं या क्षेत्रीय परिषद आदि से सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है।

HPSOPCA

- यदि कोई किसान या 5 से कम सदस्यों वाले किसानों के समूह को मौजूदा एलजी में शामिल होने का प्रस्ताव आरसी द्वारा जाता है, तो उन किसानों को एलजी के सदस्य के रूप में स्वीकार करना होगा।
- एलजी को केवल एक बार पंजीकरण करने की आवश्यकता है, क्योंकि पीजीएस–इंडिया में नवीनीकरण की कोई अवधारणा नहीं है, जब तक कि एलजी प्रमाणन गतिविधियां नहीं करता है, पीजीएस–इंडिया वेबसाइट पर सीजन–टू–सीजन आधार पर पुनरीक्षण (सहकर्मी मूल्यांकन) सारांश शीट अपलोड करना है। दो सत्रों के लिए लगातार पुनरीक्षण (सहकर्मी मूल्यांकन) सारांश पत्र या 12 महीने तक प्रस्तुत न करने पर समूह को निलंबित कर दिया जाएगा। ऐसे समूहों के प्रमाणीकरण को जीवंत करने के लिए नवीन पुनरीक्षण समूह द्वारा जमा करवाया जाएगा तथा जमा करने की तारीख से प्रमाणीकरण प्रक्रिया फिर से शुरू होगी और नई प्रमाणन प्रक्रिया पीजीएस–ग्रीन–1 स्थिति के साथ शुरू होगी।

3.2 स्थानीय समूह की भूमिका और उत्तरदायित्व

- समूह में किसानों को संगठित करें और प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से पीजीएस जैविक प्रतिज्ञा और समूह समझौते पर हस्ताक्षर करें।
- सभी सदस्यों को पीजीएस मानकों, परिचालन मैनुअल और मूल्यांकन प्रपत्रों की प्रतियां स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराएं। यदि किसान निरक्षर हैं तो उन्हें मौखिक रूप से और चित्रात्मक निरूपण के माध्यम से विवरण और मानकों की व्याख्या करें ।
- खेत के इतिहास के साथ आवश्यक फील्ड दस्तावेज तैयार करें। प्रत्येक समूह ऐसे दस्तावेजों को एक समूह फाइल में बनाए रखेगा जिसमें आवेदन पत्र, हस्ताक्षरित प्रतिज्ञा, हस्ताक्षरित समझौता, प्रत्येक सदस्य के संबंध में जीपीएस निर्देशांक के साथ स्थानों को दर्शाने वाले खेत के नक्शे और इनपुट उपयोग और प्रबंधन प्रक्रियाओं पर पिछले एक वर्ष का इतिहास शामिल होगा।
- समूह के नेता और सहकर्मी समीक्षकों की कोर टीम चुनें (कम से कम 5 सदस्यों के समूह में 3), कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यह एक इष्टतम स्थिति होगी यदि समूह के सभी सदस्य साथियों की समीक्षा में भाग ले सकते हों, क्योंकि यह किसानों के बीच क्षमता निर्माण और सूचना के आदान–प्रदान में योगदान देता है, और हितों के टकराव को कम करता है।
- पीजीएस समूह के कामकाज को समझने के लिए किसी अन्य पंजीकृत पीजीएस समूह की गतिविधियों में भाग लें।
- समूह के सभी सदस्यों के फार्मों पर मानक आवश्यकताओं को लागू करें और अन्य पंजीकृत समूह से अनुमोदन प्राप्त करें। पंजीकरण के समय यह अनुमोदन केवल एक बार आवश्यक है।

HPSOPCA

- पीजीएस–इंडिया वेबसाइट पर समूह पंजीकृत करें और क्षेत्रीय परिषद से पंजीकरण अनुमोदन प्राप्त करें।
- अनुमोदन के लिए पास के पीजीएस समूह से संपर्क करें
- **यदि कोई पीजीएस पंजीकृत समूह अनुमोदन के लिए आसपास के क्षेत्र में नहीं है तो राज्य एजेंसियों (राज्य कृषि विभाग जिला अधिकारी) से अनुरोध करें कि वे आवश्यकता को सत्यापित करें और आरसी को आवश्यक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।** अन्यथा आरसी से सत्यापन करने और पंजीकरण की मंजूरी देने का अनुरोध करें। क्षेत्रीय परिषद द्वारा मान्यता के लिए स्थानीय समूहों के सत्यापन और अनुमोदन के लिए आरसीओएफ से भी अनुरोध किया जा सकता है। आरसी भौतिक सत्यापन/निरीक्षण के बाद ही समूहों का अनुमोदन कर सकते हैं।
- **कुछ सरकारी कार्यक्रम (जैसे पीकेवीवाई आदि) के तहत गठित समूहों के मामले में समूह का अनुमोदन राज्य सरकार के कार्यान्वयन विभाग के अधिकृत जिला अधिकारी/योजना प्रभारी द्वारा किया जाएगा।**
- समय–समय पर बैठकें आयोजित करें और उपस्थिति पंजी का रखरखाव करें। इन बैठकों में सदस्यों की भागीदारी एक अनिवार्य गतिविधि है और समूह की गारंटी योजना के लिए सदस्य के समर्पण का एक संकेत है। वर्ष में कम से कम 2–4 बार (बारहमासी फसल समूह के लिए 2 और वार्षिक फसल समूह के लिए वर्ष में 4 बार) वर्ष के प्रमुख समय पर मौसम, फसलों आदि के आधार पर अनिवार्य बैठकें होनी चाहिए। एक/दो मूल्यांकन योजना हेतु और एक/दो निर्णय लेने के लिए अनिवार्य है ।
- प्रत्येक सदस्य को एक वर्ष में कम से कम 50% बैठकों में भाग लेने और उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
- पूरे समूह की क्षमता में सुधार करने के लिए एक दूसरे को सलाह देंगें और जानकारी साझा करेंगें।
- अन्य समूहों के क्रियाशील जैविक किसान, आरसी सदस्यों या अन्य राज्य सरकार और गैर–सरकारी एजेंसियों के विशेषज्ञों को आमंत्रित करके नियमित प्रशिक्षण आयोजित करना।
- पुनरीक्षण (सहकर्मी मूल्यांकन) रणनीति तैयार करें और प्रत्येक खेत का वर्ष में कम से कम दो बार समय–समय पर मूल्यांकन सुनिश्चित करें। पुनरीक्षक (सहकर्मी समीक्षक), पुनरीक्षण (सहकर्मी समीक्षा) मूल्यांकन फॉर्म को पूरा करना, हस्ताक्षर करना और समूह के नेता को जमा करना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक किसान को कम से कम दो सदस्यीय टीम द्वारा मूल्यांकन किया जाना है। यदि उपभोक्ता के प्रतिनिधि को शामिल करते है तो विश्वसनीयता बढ़ती है।

HPSOPCA

- पुनरीक्षक (सहकर्मी समीक्षक) के खेतों का निरीक्षण किसी अन्य पुनरीक्षण (सहकर्मी समीक्षक) समूह द्वारा किया जाना है। विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए समूह में कई पुनरीक्षक (सहकर्मी समीक्षक) हो सकते हैं।
- भविष्य के पर्यवेक्षण गतिविधि के लिए प्रत्येक समूह के सदस्य के संबंध में सभी पुनरीक्षण (सहकर्मी मूल्यांकन) पत्रक हार्ड कॉपी में या स्थानीय समूह द्वारा डिजिटल रूप से बनाए रखने की आवश्यकता है। इन्हें सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाना है और भौतिक पर्यवेक्षण के दौरान मांग पर आरसी या वैधानिक प्राधिकरण (ऑथर्टि) को निरिक्षण हेतु प्रदान किया जाएगा।
- उपयुक्त समय पर समूह निर्णय लेगा कि किन किसानों को प्रमाणित किया जाना है। जिन किसानो ने प्रमाणीकरण आवश्यकताओं की अनुपालन को पूरा नहीं किया है उन किसानों को अलग करें तथा चूककर्ताओं की सूची बनाएं और प्रतिबंध लगाऐं।
- अंतिम निर्णय बैठक आयोजित करें, सभी सदस्यों को सहकर्मी मूल्यांकन परिणामों की व्याख्या करें। सामूहिक रूप से समूह को पीजीएस मानकों के अनुरूप घोषित करें (छोटे समूहों के मामले में, अधिकतम 10 सदस्य)। यदि समूह बड़ा है तो 5 या अधिक सदस्यों वाली एक उप–समूह या प्रमाणन समिति का चुनाव करें, जो परिणामों की समीक्षा कर सकती है और प्रमाणन पर निर्णय ले सकती है। बहुमत समूह के सदस्यों की स्वीकृति केवल नकारात्मक निर्णय (प्रमाणन या प्रमाणीकरण से इनकार) के मामलों में आवश्यक है। प्रमाणन समिति के निर्णय के विरुद्ध पूर्ण सदस्य निकाय अपील निकाय के रूप में भी कार्य कर सकता है।
- फसलों के विवरण और उपज की अपेक्षित मात्रा के साथ प्रमाणित घोषित किसानों की सूची के साथ उपयुक्त समय पर समकक्ष मूल्यांकन सारांश पत्र तैयार करें।
- आवश्यक समूह निर्णय के साथ पीजीएस–इंडिया वेबसाइट पर पूरे समूह के लिए सहकर्मी मूल्यांकन सारांश शीट अपलोड करें और डाक के माध्यम से आरसी को हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी भेजें।
- आरसी द्वारा ऑनलाइन अनुमोदित होने पर, आरसी प्रमाण पत्र जारी करेगा।

HPSOPCA

अध्याय–4

प्रमाणन प्रक्रिया

4.1.1 स्थानीय समूह (एलजी) द्वारा प्रमाणन प्रक्रिया

चरण 1

- कम से कम 5 किसानों का एक समूह बनाएं (अधिमानतः एक गांव से संबंधित या निकटवर्ती क्षेत्र वाले गांवों से संबंधित)।
- कुछ किसानों के प्रतिबंधित होने या समूह छोड़ने की स्थिति में समूह की स्थिति के नुकसान से बचने के लिए, लगभग 7–10 किसानों का समूह रखने की सलाह दी जाती है।

> कुछ किसानों को प्रतिबंधित किये जाने या कुछ किसानों के जाने के परिणामस्वरूप, यदि सदस्यों की संख्या 5 से कम हो जाती है, तो समूह की स्थिति समूह से व्यक्तिगत हो जाएगी। ऐसे सभी मामलों में प्रमाणीकरण आरसी द्वारा निरीक्षण के अधीन होगा या उन्हें किसी अन्य नजदीकी समूह द्वारा पुनरिक्षण (सहकर्मी निरीक्षण) का प्रबंधन करना होगा या ऐसे किसानों को किसी अन्य करीबी समूह का हिस्सा बनने की आवश्यकता होगी। व्यक्तिगत किसान के रूप में प्रमाणन के लिए आरसी द्वारा निरीक्षण की अतिरिक्त लागत ली जाएगी।

- सभी सदस्यों से पंजीकरण और कृषि इतिहास पत्रक एकत्र करें।
- निकटतम आरसी से पीजीएस–इंडिया स्टैंडर्ड और पीजीएस–इंडिया परिचालन दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करें और सभी सदस्यों को वितरित करें। इन दस्तावेजों को पीजीएस–इंडिया की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करने के लिए सभी सदस्यों की एक बैठक की जाएगी।
- सभी सदस्यों को पीजीएस–इंडिया मानकों की आवश्यकता का अनुपालन करने और निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं में संशोधन/ रूपांतरण करना होगा।
- पीजीएस–इंडिया मानदंडों के व्यापक दिशानिर्देशों के आधार पर, किसानों द्वारा बनाए जाने वाले दस्तावेजों की आवश्यकता, पुनरिक्षण (सहकर्मी मूल्यांकन) पद्धति और मूल्यांकन किए जाने वाले चेकपॉइंट्स की स्थानीय समूह संचालन पुस्तिका तैयार करें।

HPSOPCA

➢ सुनिश्चित करें कि जिन सदस्यों ने पीजीएस–इंडिया कार्यक्रम के तहत अपनी पूरी भूमि/जोत को जैविक संचालन में नहीं लाया है (विभाजित उत्पादन), वे गैर–जैविक इकाइयों को बफर जोन द्वारा स्पष्ट अलग रखेंगे। बफर जोन द्वारा खेत, हैंडलिंग, थ्रैशिंग सुविधाए और भंडारण आदि पूर्णतः अलग सुनिश्चित करेंगे। ऐसे किसानों को जैविक संचालन की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए अपनी संदूषण नियंत्रण क्षमताओं को मौके पर दिखाना/प्रदर्शन करना होगा।
➢ पीजीएस वेबसाइट पर समूह को ऑनलाइन पंजीकृत करेंगे और यूजर आईडी और पासवर्ड जेनरेट करेंगे।
➢ आरसी से अनुरोध करेंगे कि पंजीकरण प्रदान करें।

<u>चरण 2</u>

➢ समूह पीजीएस दिशानिर्देशों का बैठकों, क्षेत्र प्रशिक्षणों द्वारा पालन करेंगे और ज्ञान साझा करेंगे।
➢ सुनिश्चित करें कि सभी सदस्य अपनी उत्पादन प्रक्रिया में मानकों का पालन करते हैं।
➢ अन्य सदस्यों के खेतों पर निगरानी रखें और यदि कुछ गैर–अनुपालन देखे जाते हैं तो समूह की बैठकों के दौरान समूह के सदस्यों को सूचित करें।
➢ समय–समय पर समूह बैठकें आयोजित करना तथा आवश्यक अभिलेखों का रखरखाव करना आवश्यक है।
➢ आरसी के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समय पर आयोजन सुनिश्चित करना।
➢ प्रमुख प्रशिक्षणों और समूह बैठकों के दौरान प्रबंधन के मुद्दों जैसे पोषक तत्व प्रबंधन, कीट प्रबंधन आदि में समस्या समाधान के लिए जैविक किसानों और अन्य स्थानीय विशेषज्ञों को आमंत्रित करें।
➢ यदि सदस्य किसान ऑफ फार्म आदानों का उपयोग कर रहे हैं या उनका उपयोग करने का प्रस्ताव कर रहे हैं तो उनकी जैविक स्थिति को सत्यापित करें, समूह बैठकों में चर्चा करें और उनके उपयोग का समर्थन या निषेध करें। समूह के अनुमोदन के बिना ऐसे इनपुट का उपयोग गैर–अनुपालन के रूप में माना जाएगा।
➢ स्थानीय समूह को क्षेत्रिय परिषद / आँचलिक परिषद या पीजीएस सचिवालय द्वारा सत्यापन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को तैयार व प्रस्तूत करना हैः
  - पिछले एक वर्ष के कृषि इतिहास के साथ प्रत्येक सदस्य का आवेदन पत्र
  - प्रत्येक सदस्य की पीजीएस–भारत प्रतिज्ञा की प्रति
  - आरसी के साथ समझौते की प्रति
  - आरसी द्वारा भौतिक निरीक्षण तक पिछले चार सत्रों (24 महीने) के लिए व्यक्तिगत पुनरीक्षण (सहकर्मी मूल्यांकन) पत्रक की प्रतिं

- समूह बैठकों का उपस्थिति और कार्यवाही रजिस्टर
- प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति रजिस्टर।
- पुनरीक्षण (सहकर्मी मूल्यांकन) सारांश पत्र की प्रति (सीजन–वार जैसा कि प्रस्तुत किया गया है)

चरण 3

- पुनरीक्षण (सहकर्मी मूल्यांकन) कार्यक्रम तैयार करें और पुनरीक्षण (सहकर्मी मूल्यांकन) समूहों का गठन करें। प्रत्येक समूह में कम से कम 3 पुनरीक्षण (समकक्ष मूल्यांकक) होने चाहिए। किसानों की संख्या के आधार पर तीन या अधिक सदस्यों वाली कोई भी मूल्यांकन टीम हो सकती है। मूल्यांकन टीम में कम से कम एक सदस्य साक्षर होना चाहिए और मूल्यांकन प्रपत्र भरने में पारंगत होना चाहिए।
- दो समूहों के सदस्यों को पारस्परिक समीक्षा की अनुमति नहीं है (यानी ए को समीक्षा बी द्वारा और बी को समीक्षा ए द्वारा)।
- अन्य समूह के पुनरीक्षक (सहकर्मी समीक्षकों) या उपभोक्ताओं/व्यापारियों के प्रतिनिधियों या स्थानीय राज्य कृषि विभाग के अधिकारी को पुनरीक्षण (सहकर्मी समूह) के आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकते है (लेकिन उनकी भागीदारी अनिवार्य नहीं है)। इससे समूह के प्रति गारंटी का भरोसा और विश्वसनीयता बढ़ेगी और पारदर्शिता भी बनी रहेगी।
- प्रत्येक मौसम में कम से कम एक बार सभी खेतों की पुनरीक्षण (सहकर्मी समीक्षा) पूरी करें। सुनिश्चित करें कि सभी खेतों की निष्पक्ष रूप से समीक्षा की गई है।
- बैठकों में समीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा करें और एक–एक करके प्रत्येक खेत की जैविक स्थिति पर निर्णय लें।
- सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले किसानों को अलग करें और प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए उन पर विचार करें।
- गैर–अनुपालन करने वाले किसानों के बारे में चर्चा करें और गैर–अनुपालन की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर प्रतिबंध जारी करें।
- प्रमाणन से इनकार या समूह से सदस्य के बहिष्कार का पूरे समूह द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए और चूककर्ता सदस्य को भी इस विषय पर सूचित कर दिया जाएगा।

चरण 4

- मूल्यांकन रिकार्ड से कार्यवाही की पूर्णता की जाँच की जाती है और एक स्थानीय समूह सारांश वर्कशीट तैयार की जाती है।

IIPSOPCA

- समूह या प्रमाणन समिति प्रमाणन पर निर्णय लेती है और समूह के प्रत्येक सदस्य की प्रमाणन स्थिति की घोषणा करती है।
- पीजीएस–इंडिया वेबसाइट में सभी विवरण ऑनलाइन दर्ज करें और मूल्यांकन सारांश वर्कशीट की हस्ताक्षरित प्रति आरसी को भेजें। वैकल्पिक रूप से पीजीएस–इंडिया वेबसाइट पर डेटा अपलोड करने के लिए क्षेत्रिय परिषद को सारांश शीट की हस्ताक्षरित प्रति के साथ हार्ड कॉपी में सभी विवरण भेजें।
- क्षेत्रिय परिषद से अनुमोदन प्राप्त होने पर, समूह के नेता द्वारा ऑनलाइन स्कोप प्रमाण पत्र तैयार किया जा सकता है और समूह के सदस्यों को उनके हस्ताक्षर के बाद वितरित किया जा सकता है।

केवल वे किसान जिन्होंने बिना किसी बड़े या गंभीर गैर–अनुपालन के पूर्ण रूपांतरण अवधि पूरी कर ली है, उन्हें "पीजीएस–ऑर्गेनिक" घोषित किया जाएगा। जिन किसानों का एक या अधिक गंभीर गैर–अनुपालन है या वे रूपांतरण अवधि के अंतर्गत हैं, उन्हें 'पीजीएस–ग्रीन' घोषित किया जाएगा। कोई भी सदस्य वार्षिक फसलों के मामले में 3 वर्ष से अधिक और पौध रोपण/स्थायी फसलों के मामले में 4 वर्ष से अधिक के लिए पीजीएस–ग्रीन स्थिति का लाभ नहीं उठा सकता है। ऐसे मामलों में जहां 3 या 4 साल की अवधि पूरी होने के बाद कोई सदस्य पीजीएस–ऑर्गेनिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने में असमर्थ है, उस सदस्य को प्रतिबंधित करके समूह से बाहर कर दिया जाएगा।

गंभीर गैर–अनुपालन के मामले में, निषिद्ध पदार्थों के उपयोग को छोड़कर, पीजीएस–ऑर्गेनिक की स्थिति को एक या दो सीजन के लिए पीजीएस–ग्रीन में डाउनग्रेड किया जा सकता है।

निरंतर चूक पर सदस्य को समूह से बाहर रखा जा सकता है। रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, हार्मोन आदि जैसे निषिद्ध पदार्थों के उपयोग के सभी मामलों को गंभीर गैर–अनुपालन के रूप में माना जाएगा और ऐसे सदस्यों की प्रमाणन स्थिति शून्य में डाउनग्रेड की जाएगी और उन्हें या तो बाहर रखा जाएगा या नए सदस्य के रूप में पंजीकृत होगा और रूपांतरण अवधि पूर्ण करनी पड़ेगी।

क्षेत्रीय परिषद द्वारा समूह के पंजीकरण अनुमोदन के बाद बोई गई फसल ही "पीजीएस–ग्रीन" के लिए योग्य होगी।

आरसी द्वारा पंजीकरण अनुमोदन की तारीख से पहले के फसल मौसम के आंकड़ों को गंभीर गैर–अनुपालन के रूप में माना जाएगा और ऐसे सभी मामलों में समूह की प्रमाणीकरण स्थिति को पंजीकरण के लिए डाउनग्रेड किया जाएगा।

HPSSOPCA

- पुनरीक्षण मूल्यांकन के अनुमोदन उपरान्त अनुमानित पैदावार के साथ स्कोप प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।
- फसलों की कटाई पर, समूह को वास्तविक उपज अपलोड करने की आवश्यकता होती है। लेन–देन प्रमाण पत्र (टीसी) प्राप्त करने के लिए वास्तविक उपज को अपलोड करना आवश्यक है।
- आरसी द्वारा उपज के अनुमोदन पर, समूह अपनी उपज को पीजीएस प्रमाणित उत्पाद के रूप में बेच सकता है और लेन–देन प्रमाणपत्र ऑनलाइन उत्पन्न कर सकता है। प्रत्येक किसान सदस्य के लिए अलग से टीसी जारी की जा सकती है।
- पीजीएस प्रमाणित उत्पादों को लोगो के उपयोग के लिए निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार पीजीएस–इंडिया लोगो के साथ बेचा जा सकता है।

चरण 5

- यदि आरसी वापसी के कारणों के साथ निर्णय लौटाता है, तो एलजी को सुधारात्मक कार्रवाई करने और 15 दिनों में संशोधित निर्णय को फिर से जमा करने की आवश्यकता है।
- आरसी द्वारा प्रमाण पत्र अस्वीकार करने के मामले में, यदि एलजी संतुष्ट नहीं हैं तो निर्णय समीक्षा के लिए पीजीएस सचिवालय की सूचना के साथ अपने संबंधित आंचलिक परिषद में अपील कर सकते हैं।

4.1.2 क्षेत्रीय परिषद द्वारा प्रमाणन प्रक्रिया

चरण 1

- स्थानीय समूहों (एलजी) के पंजीकरण आवेदन (ऑनलाइन या ऑफलाइन या हार्ड कॉपी में) प्राप्त करेगी। खेतों की जियो–टैगिंग और मोबाइल नंबर सहित व्यक्तिगत किसान का विवरण देखेगी। केंद्र/राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा अन्य समूह की सिफारिश या अनुमोदन की जाँच करेगी।
- पर्याप्त पाए जाने पर पंजीकरण को ऑनलाइन स्वीकृति देगी।
- यदि डेटा और एप्लिकेशन ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए हैं तो पंजीकरण को ऑनलाइन स्वीकृति देगी और पीजीएस–इंडिया वेबसाइट पर यूजर आईडी और पासवर्ड प्रदान करेगी।
- यदि आवेदन हार्ड कॉपी या ऑफलाइन है तो वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करेगी और यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ पंजीकरण प्रदान करेगी।
- स्थानीय भाषा में पीजीएस मानकों और एलजी परिचालन मैनुअल दिशानिर्देशों की प्रति प्रदान करेगी।

HPSOPCA

चरण 2

- समय–समय पर समूह के साथ बातचीत करेंगे और प्रमाणन प्रक्रिया को समझने में उनकी मदद करेंगे। यदि संभव हो तो समूह की कुछ बैठकों या समूह के प्रमुख क्षेत्र प्रशिक्षणों में भाग लेगी।
- ऑनलाइन डेटा प्रबंधन के लिए समूह की क्षमता को प्रोत्साहित करना और उसका निर्माण करना (इंटरनेट कैफे के माध्यम से हो सकता है)
- मानकों के कार्यान्वयन और स्थानीय समूह की क्षमता के आंकलन के लिए समूहों पर यादृच्छिक (रेंडम) पर्यवेक्षण करना।
- इसके तहत पंजीकृत समूहों में कम से कम 50% समूहों का हर साल उपयुक्त रूप से सत्यापन किया जाऐगा। प्रत्येक समूह को दो वर्ष में कम से कम एक बार भौतिक रूप से सत्यापित किया जाऐगा।
- एलजी और उनके कामकाज के खिलाफ शिकायतों की प्राप्ति और निवारण करना।

चरण 3

- संपूर्ण डेटा सेट और स्थानीय समूह पुनरीक्षण (सहकर्मी मूल्यांकन) सारांश पत्र प्राप्त होने पर, इसकी पूर्णता के लिए दिए गए विवरण की छानबीन करना और सुनिश्चित करना कि पीजीएस मानकों और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया गया है।
- क्षेत्रीय परिषद पुनरीक्षण (पीयर मूल्यांकन) सारांश निष्कर्षो की तुलना स्वयं की भौतिक मूल्यांकन रिपोर्ट से करेगी व पूर्व में गैर–अनुपालन, शिकायतों और जांच निष्कर्षो पर विचार करेगी यदि कोई हो।
- पीजीएस मानकों और मानदंडों के अनुरूप पाए जाने पर, प्रमाणन प्रदान करने और प्रमाण पत्र जारी करने की स्वीकृति देगी।
- क्षेत्रिय परिषद एलजी के प्रमाणन निर्णय का अनुमोदन करेगी, यदि वांछित आवश्यकताओं को समूह द्वारा पूरा किया गया है और आरसी के भौतिक सत्यापन, शिकायतों, प्रतिकूल अवशेष परीक्षण रिपोर्ट या प्रतिकूल पर्यवेक्षण रिपोर्ट आदि में कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं हैं। निर्णय के समर्थन के लिए निम्नलिखित जांच बिंदु सुझाए गए हैं:
  - आवश्यक LG बैठकें हो चुकी हैं और सदस्य उपस्थित हैं।
  - प्रमुख प्रशिक्षण का आयोजन और सदस्यों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त।
  - सारांश पत्रक पूर्ण है और प्रमाणन प्रक्रिया की पूर्णता को दर्शाता है।
  - इस अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतें, यदि कोई हों।

HPSOPCA

- क्षेत्रिय परिषद की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट।
- गैर–अनुपालना और सलाहकार कार्यान्वयन का पिछला रिकॉर्ड और
- अवशेष परीक्षण का परिणाम (यदि कोई हो)।

- गैर–अनुमोदन के मामले में, कारणों को लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से औचित्य के साथ सूचित किया जाएगा।
- क्षेत्रिय परिषद न ही व्यक्तिगत किसानों को चुनेगी और न ही समूह के निर्णय को स्वीकृत, अस्वीकार या नामंजूर करने का निर्णय लेगी।
- क्षेत्रिय परिषद अपने विवेक पर गैर–अनुपालन प्रक्रिया के मामले में समूह (एलजी) के निर्णय को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकती है और समूह (एलजी) को गैर–अनुपालनाओं का समाधान करने और बंद करने के बाद सारांश पत्र को फिर से जमा करने के लिए कह सकती है।
- क्षेत्रिय परिषद को समूह (एलजी)–सारांश शीट अपलोड करने या क्षेत्रिय परिषद (आरसी) को समूह निर्णय की हार्ड कॉपी जमा करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रमाणन अनुरोध पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। यदि क्षेत्रिय परिषद समूह के निर्णय का अनुमोदन करने में विफल रहता है या अन्यथा 30 दिनों के भीतर समूह का निर्णय पीजीएस–इंडिया वेबसाइट पर स्वतः स्वीकृत हो जाएगा और क्षेत्रिय परिषद के खिलाफ गैर–अनुपालन दर्ज किया जाएगी।
- स्कोप प्रमाण पत्र, समूह को पुनरीक्षित मौसम की फसलों व क्षेत्र का विवरण किसानवार अनुलग्नक सहित जारी किया जाएगा। स्कोप प्रमाण पत्र सम्बन्धित मौसम के मौसम वार फसलों व क्षेत्र के विवरण के साथ जारी किये जाते हैं।
- कटाई के बाद स्थानीय समूह वास्तविक उपज को अपलोड करता है। क्षेत्रिय परिषद अपलोड की गई वास्तविक उपज को ऑनलाइन सत्यापित करेगी और यदि संतुष्ट हो तो उपज को स्व–खपत से घटाकर लॉट नंबर और पैकेजिंग/बल्क आदि के साथ बिक्री के लिए टीसी जारी करेगी।
- क्षेत्रिय परिषद द्वारा उपज की मंजूरी पर, प्रत्येक किसान सदस्य के लिए अलग–अलग टीसी ऑनलाइन तैयार की जा सकती है। व्यक्तिगत सदस्य की पूरी उपज के लिए एक बार में या कई अवसरों पर छोटे लॉट में टीसी जारी किए जा सकते हैं।
- आरसी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमाणित जैविक उत्पाद लेनदेन प्रमाणपत्र पर दिए गए यूआईडी कोड के साथ बेचे जाते हैं।
- यदि दो पीजीएस–इंडिया पंजीकृत ऑपरेटरों के बीच बिक्री हो रही है तो पेपर टीसी की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन टीसी, विक्रेता ऑपरेटर से खरीदार ऑपरेटर को स्टॉक के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है।

ध्यान दें कि क्षेत्रीय परिषद प्रदान की गई जानकारी के आधार पर विशिष्ट किसानों को शामिल करने या शामिल नहीं करने का निर्णय नहीं लेती है। वे संपूर्ण रूप से स्थानीय समूह के प्रमाणीकरण को केवल स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है।

एक उदाहरण जहां यह लागू हो सकता है, यदि क्षेत्रीय परिषद को किसान 'क' के बारे में चिंता है (उदाहरण के लिए एक यादृच्छिक (रेंडम) कीटनाशक अवशेष परीक्षण परिणाम के कारण) लेकिन स्थानीय समूह उस किसान को प्रमाणित जैविक के रूप में बिना किसी प्रतिबंध व स्पष्टीकरण सूचीबद्ध करना जारी रखता है। क्षेत्रीय परिषद ऐसे मामलों में स्थानीय समूह के सभी किसानों के प्रमाणीकरण अनुमोदन को रोक सकती है।

एक और उदाहरण यह हो सकता है कि क्षेत्रीय परिषद को लगता है कि कुछ व्यक्तिगत किसानों के पुनरीक्षण (सहकर्मी मूल्यांकन) नकली तरीके से या असावधानी से किये गए है जबकि क्षेत्रीय परिषद मात्र उन सम्बधित फार्मों की प्रमाणन स्थिति को नहीं रोक सकती है, ऐसे में क्षेत्रिय परिषद संपूर्ण रूप से स्थानीय समूह प्रमाणन अनुमोदन को रोकना चाहिए और रोक सकती हैं।

- यदि समूह के पास इंटरनेट और कंप्यूटर तक पहुंच नहीं है, तो क्षेत्रीय परिषद पीजीएस वेबसाइट डेटाबेस में प्रत्येक स्थानीय समूह के लिए सारांश जानकारी दर्ज करती है और व्यक्तिगत फार्म को प्रमाणित करने वाला एक कागजी प्रमाण पत्र भेजती है।
- सभी जारी किए गए प्रमाणपत्रों में समूह की उत्पादन प्रणाली, पुनरीक्षण (सहकर्मी मूल्यांकन) और निर्णय प्रणाली पर संपूर्ण जानकारी तक पहुंच और पता लगाने के लिए विशिष्ट आईडी (यूआईडी) कोड होता है।

<u>चरण 4</u>

- आँचलिक परिषद और पीजीएस–भारत सचिवालय भी स्वतंत्र पर्यवेक्षण करते हैं और वेबसाइट के माध्यम से आरसी को परिणाम बताते हैं।
- प्रत्येक वर्ष यादृच्छिक (रेंडम) कीटनाशक अवशेषों के परीक्षण के लिए खेतों/उत्पादों का एक छोटा प्रतिशत यादृच्छिक (रेंडम) रूप से चुना जाता है और परिणाम वेबसाइट पर डाल दिए जाते हैं। दोनों मामलों में प्रतिकूल परिणाम समग्र रूप से स्थानीय समूह की प्रमाणन स्थिति को प्रभावित करते हैं।

HPSOPCA

- एनईसी द्वारा कीटनाशक अवशेष परीक्षण मानदंडों को अंतिम रूप दिया जाता है और पीजीएस–भारत सचिवालय द्वारा समन्वयित किया जाएगा। यह क्षेत्रीय परिषद और स्थानीय समूह को तय करना है कि सकारात्मक परिणाम के लिए क्या करना है। आरसी को अवशेष परिणाम के बारे में समूह को बताना होगा और उसे सुधारात्मक कार्रवाई करने और अनुपालन न करने वाले किसानों को प्रतिबंधित करने के लिए कहेगी। यदि समूह सुधारात्मक कार्रवाई करने में विफल रहता है और अनुपालन न करने वाले किसानों को प्रतिबंधित करने में विफल रहता है, तो आरसी प्रमाणीकरण को निलंबित या रद्द करेगी और पीजीएस–इंडिया वेबसाइट पर अपने स्टॉक से सभी उपज/उत्पादन को हटा देगी।

4.2.1 व्यक्तिगत उत्पादक की भूमिका और उत्तरदायित्व

ऐसे मामलों में जहां एक व्यक्तिगत किसान (या 5 से कम किसानों का समूह) पीजीएस–इंडिया प्रमाणन में रुचि रखता है और आसपास के क्षेत्र में कोई समूह नहीं है और कोई अतिरिक्त समुदाय सदस्य समूह बनाने के लिए तैयार नहीं हैं, व्यक्तिगत उत्पादक पंजीकरण के लिए क्षेत्रीय परिषद को सीधे आवेदन कर सकते हैं ।

- व्यक्तिगत उत्पादक एक स्थानीय समूह बनाने में वर्तमान अक्षमता बताते हुए हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, प्रतिज्ञा और एक हस्ताक्षरित घोषणा पत्र के साथ क्षेत्रीय परिषद को एक आवेदन करेगा।
- पीजीएस–इंडिया समूह के अन्य सदस्यों को फार्म का भौतिक दौरा करने के बाद आवेदन का समर्थन करने के लिए आमंत्रित करें। यदि कोई पीजीएस–इंडिया समूह उपलब्ध नहीं है तो क्षेत्रीय परिषद से फार्म का भौतिक सत्यापन करने का अनुरोध करें।
- पीजीएस–इंडिया परिचालन दिशानिर्देश और मानकों को निकट से समूह या आरसी से प्राप्त करना होगा।
- पीजीएस–इंडिया वेबसाइट के लिए पंजीकरण को मंजूरी देने और यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए आरसी से अनुरोध करें।
- आस–पास के समूह के पुनरीक्षकों (पीयर मूल्यांककों) से फार्म का भौतिक निरीक्षण करने और पीयर अप्रेजल फॉर्म पूर्ण करना होगा। भरा हुआ पुनरीक्षण (सहकर्मी मूल्यांकन) फार्म क्षेत्रीय परिषद को प्रस्तुत किया जाना है। यदि कोई समूह पास में नहीं है तो आरसी से भौतिक निरीक्षण करने और प्रमाणन प्रदान करने का अनुरोध करें।

➢ व्यक्तिगत उत्पादक पंजीकरण एक अंतरिम व्यवस्था है और निर्माता को निश्चित समय (अधिकतम 2 वर्ष) में समूह बनाने और व्यक्तिगत स्थिति को समूह की स्थिति में बदलने के लिए ग्राम समुदाय के अन्य सदस्यों को लाने के प्रयास शुरू करने होंगे। यदि कोई किसान 2 वर्ष बाद भी समूह नहीं बना पाता है तो क्षेत्रीय परिषद किसानों को निकटतम समूह से जोड़ देगी।

4.2.2 क्षेत्रीय परिषद द्वारा व्यक्तिगत उत्पादक का प्रमाणन

चरण 1

➢ क्षेत्रीय परिषद पंजीकरण आवेदन प्राप्त करेगी और (ऑनलाइन या ऑफलाइन या हार्ड कॉपी में) व्यक्तिगत किसान के विवरण की जाँच करेगी।
➢ काम करने के तौर–तरीकों को अंतिम रूप देगी और यदि आवश्यक हो तो प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क के भुगतान सहित एक समझौता करेगी। यदि डेटा अपलोड करने का कार्य आरसी द्वारा किया जाना है तो उसके लिए आवश्यक तौर–तरीकों को अंतिम रूप देगी।
➢ पर्याप्त पाए जाने पर तथा कार्य करने के तौर–तरीकों/समझौतों आदि को अंतिम रूप देने पर पंजीकरण को ऑन–लाइन अनुमोदित किया जाता है।
➢ पीजीएस वेबसाइट पर यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराऐगी।
➢ पीजीएस मानकों और परिचालन मैनुअल दिशानिर्देशों की प्रति प्रदान करेगी।

चरण 2

➢ अनुरोध प्राप्त होने पर यदि संभव हो तो नजदीकी समूह से पुनरीक्षण (सहकर्मी मूल्यांककों) को नामित करके समकक्ष मूल्यांकन की व्यवस्था करें।
➢ यदि कोई समूह पास में नहीं है, तो वार्षिक आधार पर फार्म का भौतिक निरीक्षण करेगी और पुनरीक्षण (समकक्ष मूल्यांकन) पत्रक को पूरा करेगी। उत्पादन के सभी चरणों का निरीक्षण किया जाएगा और उत्पादक का आरसी निरीक्षक तक पहुंच सहज करेगी।
➢ क्षेत्रीय परिषद को निरीक्षक/पुनरीक्षण (सहकर्मी मूल्यांककों) और उत्पादक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित मूल्यांकन प्रपत्र जमा करेंगे तथा वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।
➢ क्षेत्रीय परिषद अनुपालन की जांच करती है और गैर–अनुपालनों (यदि कोई हो) की पहचान करती है और संचालक से अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहेगी।

HPSOPCA

चरण 3

- पिछले गैर–अनुपालन, शिकायतों और जांच के निष्कर्षों पर विचार करेंगी यदि कोई हो।
- पीजीएस–इंडिया मानकों और मानदंडों के अनुरूप पाए जाने पर, प्रमाणन प्रदान करेगी और प्रमाण पत्र जारी करेगी।
- स्कोप प्रमाण पत्र अनुमानित उत्पादन सहित नाम और फसल विवरण के साथ जारी किया जाएगा।
- फसल कटाई के बाद, उत्पादक वास्तविक उपज अपलोड करेगा और आरसी अपलोड की गई वास्तविक उपज को ऑनलाइन सत्यापित कर सकता है और यदि संतुष्ट हो तो स्वयं की खपत घटाकर शेष उपज को लॉट नंबर और पैकेजिंग/बल्क आदि के साथ बिक्री के लिए टीसी जारी करने के लिए मंजूरी देगी।
- आरसी द्वारा उपज अनुमोदन पर, टीसी ऑनलाइन प्राप्त किए जा सकते हैं। टीसी एक बार में ही व्यक्तिगत सदस्य की पूरी उपज के लिए या छोटे लॉट के लिए कई बार जारी किए जा सकते हैं।
- आरसी संचालकों (ऑपरेटरों) का मार्गदर्शन करेगी ताकि प्रमाणित जैविक उत्पादों को एफएसएसएआई द्वारा विनियमित खाद्य सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन के साथ बेचा जा सके। आरसी द्वारा उत्पादकों/ संचालकों के लिए क्षमता निर्माण के रूप में उपयुक्त जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान करेगी।
- यदि दो पीजीएस–इंडिया पंजीकृत ऑपरेटरों के बीच बिक्री हो रही है तो कागजी टीसी की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन टीसी विक्रेता ऑपरेटर से खरीदार ऑपरेटर को स्टॉक के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान है।

4.3.1 पी.जी.एस.–समूहों से दूर ऑफ–फार्म प्रोसेसिंग (प्रसंस्करण) और हैंडलिंग इकाइयां/सुविधाएं

सामूहिक प्रसंस्करण और व्यापार के लिए एक या अधिक पीजीएस समूहों से पीजीएस प्रमाणित जैविक उत्पादों के संग्रह, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण और संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, पीजीएस–इंडिया कार्यक्रम पीजीएस समूहों से दूर स्टैंड–अलोन सुविधाओं के अनुमोदन के लिए विशिष्ट प्रावधान प्रदान करता है। चूंकि ऐसी गतिविधियां सहभागी नहीं हैं, अनुमोदन प्रणाली अनुरूपता मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित होगी।

- केवल "ऑफ–फार्म प्रोसेसिंग और हैंडलिंग अनुमोदन" के लिए अधिकृत क्षेत्रीय परिषदें ही ऐसी इकाइयों को पंजीकृत कर सकती हैं और आवश्यक अनुरूपता मूल्यांकन के बाद जैविक प्रसंस्करण के लिए उनकी सुविधाओं को मंजूरी दे सकती हैं।

HPSOPCA

- आवेदक प्रसंस्करण और व्यापार इकाई कानूनी रूप से पंजीकृत निकाय होगी जिसमें आवश्यक लाइसेंस और एफएसएसएआई और/या ऐसे अन्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों से अनुमोदन होगा जैसा कि भूमि के कानून द्वारा आवश्यक है।
- इच्छित प्रसंस्करण और हैंडलिंग के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा होना चाहिए।
- पीजीएस–इंडिया मानकों और प्रमाणन आवश्यकताओं के साथ पूरी तरह से जागरूक और परिचित हों और पूरे संचालन के लिए परिचालन मैनुअल, प्रारूप और चेकलिस्ट तैयार करनी होगी। सामग्री का प्रवाह जैसे कच्चे माल की प्राप्ति, प्रसंस्करण, संचालन पैकिंग और अंत में गैर पी.जी.एस. ऑपरेटर या उपभोक्ता को बिक्रि तक का आडिट ट्रेल (लेखा सत्यापन) के रिकार्ड का चरणबद्ध निर्बाध रूप से संधारण करना होगा।
- प्रसंस्करण और संचालन एजेंसियों को क्षेत्रीय परिषद को प्रलेखन, पाकविधि, कच्चे माल और प्रसंस्कृत उत्पादों की सूची और बिक्री और खरीद रिकॉर्ड माँगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। वाँछित जानकारी, दस्तावेजीकरण और आर.सी. या प्राधिकृत अधिकारी को रोकने के परिणामस्वरूप प्रमाणीकरण नहीं किया जाएगा।
- पीजीएस सचिवालय समय–समय पर ऐसी इकाइयों की निगरानी करेगा।

4.3.2 ऑफ–फार्म प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा प्रमाणन प्रक्रिया

- सभी ऑफ–फार्म प्रसंस्करण इकाइयों, अपने प्राथमिक और माध्यमिक प्रसंस्करण, हैंडलिंग, भंडारण/ भंडारण गृह, पैकेजिंग और व्यापार सहित ऑफ–फार्म प्रसंस्करण एवं हैंडलिंग के लिए अधिकृत क्षेत्रीय परिषद को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेंगे। इन इकाइयों को उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल, स्रोत, प्रत्येक कच्चे माल की प्रमाणन स्थिति, प्रक्रिया प्रवाह शीट, पाक विधि, इनपुट से आउटपुट का अनुपात, मशीनों का विवरण, उनके रखरखाव के लिए प्रक्रियाएं, संदूषण नियंत्रण उपाय और इन सब का प्रलेखन पैटर्न सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा (ऑडिट ट्रेल) सहित पूरा विवरण देना होगा।
- क्षेत्रीय परिषद आवेदन का मूल्यांकन करेगी, और उपयुक्त पाए जाने पर पंजीकरण के लिए सहमत होगी।
- क्षेत्रीय परिषद और ऑपरेटर क्षेत्रीय परिषद द्वारा ऑपरेटर की निर्माण प्रक्रिया की गोपनीयता बनाए रखने और पीजीएस–इंडिया मानकों का पालन करने के लिए ऑपरेटर की प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए एक समझौता करेंगे।
- ऑपरेटर को निर्धारित शुल्क, आरसी की निरीक्षण लागत और भुगतान क्षेत्रिय परिषद के द्वारा निर्दिष्टानुसार करना होगा।
- भुगतान प्राप्त करने के बाद क्षेत्रीय परिषद पंजीकरण को मंजूरी देगी, पंजीकरण एक वर्ष के लिए किया जाता है और इसे सालाना नवीनीकृत करने की आवश्यकता होती है।

- प्रत्येक पंजीकृत प्रसंस्करण/प्रहस्तन(हैंडलिंग) इकाइयों का आरसी द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार भौतिक रूप से निरीक्षण किया जाएगा, अधिमानतः उस समय जब प्रसंस्करण प्रचालन में होगा।
- संतुष्ट होने पर क्षेत्रीय परिषद अपलोड की गई वार्षिक प्रणाली योजना के आधार पर उत्पादन अनुमानों के साथ आरसी द्वारा लागू और अनुमोदित प्रक्रियाओं के लिए ऑपरेटर को अनुमोदन प्रदान करेगी।
- प्राधिकृत क्षेत्रीय परिषद द्वारा अनुमोदित प्रसंस्करण इकाई, पीजीएस–समूहों से संबंधित पीजीएस प्रमाणित सामग्री का प्रसंस्करण कर सकती है।
- स्वीकृत प्रसंस्करण इकाई को पीजीएस लेनदेन प्रमाण पत्र (टी. सी.) के साथ सभी कच्चे माल प्राप्त होंगे। पीजीएस प्रमाणित कच्चा माल उपलब्ध न होने की स्थिति में लेनदेन प्रमाण पत्र (टी.सी.) के साथ एनपीओपी प्रमाणित कच्चे माल का भी उपयोग किया जा सकता है। लेकिन किसी भी मामले में, अंतिम संसाधित उत्पाद पीजीएस प्रमाणित होगा।
- यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे कि जैविक उत्पाद गैर–जैविक सामग्री या निषिद्ध सामग्री के संपर्क में नहीं आते हैं।
- संपूर्ण प्रसंस्करण, पीजीएस–इंडिया खाद्य प्रसंस्करण मानकों का पालन करेगा।
- एनपीओपी के तहत राष्ट्रीय जैविक उत्पादन मानक (एनएसओपी) में प्रदान की गई अनुमोदित सूची के अनुसार सभी एडिटिव्स, प्रोसेसिंग एड्स (सहायक) और परिरक्षकों (प्रिजरबेटिव) का उपयोग किया जाएगा।
- प्रक्रिया प्रवाह प्रलेखन बनाए रखा जाता है और हर समय क्षेत्रीय परिषद द्वारा अनुमोदित इनपुट और आउटपुट अनुपात के बीच संतुलन होना चाहिए।
- संपूर्ण प्रसंस्करण जानकारी पीजीएस–इंडिया वेबसाइट पर अपलोड की जानी है।
- तैयार उत्पादों को पीजीएस–इंडिया की वेबसाइट पर लॉट नंबर/बैच नंबर और पैकेजिंग विवरण के साथ अपलोड किया जाएगा। इस जानकारी के अभाव में कोई टीसी जारी नहीं की जाएगी।
- अंत में, संसाधित और पैक की गई सामग्री को लेनदेन प्रमाण पत्र के साथ बेचा जाएगा।
- वितरक और खुदरा विक्रेता, जो पीजीएस–इंडिया कार्यक्रम के तहत पंजीकृत नहीं हैं, वे खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (यदि आवश्यक हो) द्वारा सत्यापन के लिए लेनदेन प्रमाण पत्र की (टी.सी.) प्रति अपने खरीद रिकॉर्ड के साथ रखेंगे।
- लेनदेन प्रमाण पत्र (टी.सी.) पीजीएस–इंडिया वेबसाइट से ऑनलाइन तैयार किया जाएगा।

HPSSOPCA

4.3.3 ऑफ–फॉर्म प्रसंस्करण इकाइयों के लिए क्षेत्रीय परिषद द्वारा प्रमाणन प्रक्रिया

- आवेदन प्राप्त होने पर आरसी उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल के स्रोतों, प्रत्येक कच्चे माल की प्रमाणन स्थिति, प्रक्रिया प्रवाह शीट, पाक विधि, इनपुट–आउटपुट के अनुपात, मशीनों के विवरण, उनके रखरखाव के लिए प्रक्रियाओं, संदूषण नियंत्रण उपायों और ऑडिट ट्रेल सुनिश्चित करने के प्रलेखन पैटर्न को सत्यापित करेगा।
- क्षेत्रीय परिषद, यदि आवश्यक हो, प्रक्रिया को पूरी तरह से समझने के लिए और विवरण/ जानकारी मांग सकती है व संतुष्ट होने पर पंजीकरण प्रदान करेगी।
- क्षेत्रीय परिषद, प्रसंस्करण इकाई और उसकी सभी सुविधाओं का भौतिक निरीक्षण करती है। संचालक अनुपालन मूल्यांकन के लिए क्षेत्रीय परिषद के प्रतिनिधि को पूर्ण सहयोग व वाँछित सूचना प्रदान करने के लिए बाध्य है।
- भौतिक निरीक्षण एकरूपता बनाए रखने के लिए पूर्व निर्धारित प्रारूप पर आधारित होगा और निरीक्षक कच्चे माल की सूची, प्रक्रिया प्रवाह, उपयोग की गई मशीनों, संदूषण नियंत्रण उपायों, भंडारण, इनपुट–आउटपुट के अनुपात सहित प्रसंस्करण के प्रत्येक चरण का निरीक्षण सुनिश्चित करेगा। निरीक्षक कच्चे माल की प्राप्ति से लेकर तैयार उत्पाद तक एक ऑडिट ट्रेल भी बनायेगा।
- प्रत्येक पंजीकृत प्रसंस्करण/प्रहस्तन(हैंड़लिंग) इकाइयों का आरसी द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार भौतिक रूप से निरीक्षण किया जाएगा, अधिमानतः उस समय जब प्रसंस्करण प्रचालन में हो।
- संतुष्ट होने पर क्षेत्रीय परिषद आरसी द्वारा लागू और अनुमोदित प्रक्रियाओं के लिए ऑपरेटर को स्वीकृति प्रदान करती है और अनुमानित उपज के साथ स्वीकृत उत्पादों के नाम के साथ स्कोप प्रमाणपत्र जारी करती है।
- पीजीएस–इंडिया वेबसाइट पर अपलोड की जाने वाली संपूर्ण प्रसंस्करण जानकारी की निगरानी आरसी द्वारा समय–समय पर की जाएगी।
- आरसी ऑपरेटरों द्वारा अपलोड किए जाने और अनुरोध प्राप्त होने पर उत्पादों को मंजूरी देगी।
- वास्तविक उत्पादन को समय–समय पर ऑपरेटर द्वारा अपलोड करने की आवश्यकता होती है और आरसी को बार–बार अंतराल पर वास्तविक उत्पादन स्टॉक को सत्यापित करने की आवश्यकता होती है।
- आरसी द्वारा स्टॉक के स्वीकृत करने पर, पीजीएस–इंडिया वेबसाइट से टीसी ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है।
- अंत में, संसाधित और पैक की गई सामग्री को लेनदेन प्रमाण पत्र (टी.सी.) के साथ बेचा जाएगा।
- वितरक और खुदरा विक्रेता, जो पीजीएस–इंडिया कार्यक्रम के तहत पंजीकृत नहीं हैं, वे खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए अपने खरीद रिकॉर्ड के साथ लेनदेन प्रमाण पत्र की प्रति रखेंगे।

HPSOCA

4.4.1 बड़े सन्निहित पारंपरिक/डिफॉल्ट जैविक क्षेत्र को पीजीएस–इंडिया ऑर्गेनिक में बदलने के लिए राज्यों और स्थानीय सरकारी प्राधिकरणों की भूमिका और जिम्मेदारियां

भारत में ऐसे बड़े और निकटवर्ती क्षेत्र हैं जो परंपरागत रूप से/डिफॉल्ट जैविक हैं जिनमें निषिद्ध इनपुट उपयोग का कोई इतिहास नहीं है। भौगोलिक अलगाव या कनेक्टिविटी की कमी के कारण ऐसे क्षेत्र पारंपरिक रसायन आधारित कृषि से दूर रहे। सुरक्षित और स्वस्थ जैविक खाद्य की बढ़ती मांग को कम करने के लिए पीजीएस–इंडिया के तहत ऐसे क्षेत्रों को प्रमाणित जैविक में परिवर्तित करके अब इस अलाभ को लाभ के रूप में लिया जा सकता है। राज्यों, संबंधित राज्य विभागों और/या क्षेत्रीय परिषद को निम्नलिखित उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने होंगेः–

- सत्यापित करें कि कम से कम पिछले 3 वर्षों के दौरान सिंथेटिक इनपुट और जीएमओ उपयोग का कोई इतिहास नहीं है।
- परिभाषित क्षेत्र में जीएमओ बीजों, सिंथेटिक कृषि आदानों के उपयोग, बिक्री और आपूर्ति पर प्रशासनिक प्रतिबंध।
- गांवों और स्थलों के साथ परिभाषित सीमाओं के साथ भू–टैग किए गए मानचित्रों सहित पूरे क्षेत्र का दस्तावेजीकरण। कृषि पद्धतियों के विवरण के साथ दस्तावेजीकरण गांव–वार किया जाएगा। एकरूपता बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी किसान समान कृषि पद्धतियों का पालन करें। यदि कुछ किसान अलग–अलग तरीके अपना रहे हैं तो उन्हें अलग से दस्तावेज बनाने की जरूरत है। यह एक बार की गतिविधि होगी।
- एक गांव के सभी किसानों को एक समूह के रूप में माना जाएगा। बड़े क्षेत्र के प्रमाणीकरण के लिए गॉँव के सभी कृषक सदस्यों को पीजीएस–इंडिया जैविक मानकों का पालन करना होगा।
- ग्राम पंचायत/ग्राम परिषद यह सुनिश्चित करेगी कि सभी उत्पादक पीजीएस प्रतिज्ञा लें और प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करें।
- एक बार जब सभी किसान प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो ग्राम पंचायत द्वारा इसका समर्थन किया जाएगा और ग्राम पंचायत अपनी भौगोलिक सीमाओं के भीतर केवल जैविक खेती को अपनाने और अनुमति देने के लिए एक प्रस्ताव पारित करेगी।
- व्यक्तिगत ग्रामवार दस्तावेजों के साथ क्षेत्र को अधिकृत आरसी में पंजीकृत करें। बड़े क्षेत्र के प्रमाणीकरण के लिए आरसी ऐसे क्षेत्र को पंजीकृत करने और प्रमाणन प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिकृत होंगे।

HPSOPCA

- गाँव के किसानों में से पुनरीक्षण (सहकर्मी मूल्यांकन) समितियाँ बनाएँ। वार्षिक पुनरीक्षण (सहकर्मी मूल्यांकन) के लिए प्रत्येक गांव में कम से कम एक पुनरीक्षण (सहकर्मी मूल्यांकन) समिति का गठन किया जाएगा। पहले पुनरीक्षण (सहकर्मी मूल्यांकन) को पूरा करेंगे और आरसी को पुनरीक्षण (सहकर्मी मूल्यांकन) सारांश पत्रक जमा करेंगे।
- पिछले 3 वर्षों से परिभाषित क्षेत्र जैविक है यह सुनिश्चित करने के लिए पीजीएस–एनईसी द्वारा नियुक्त सत्यापन समिति के दौरे को सुनिश्चित व सहयोग करेंगे।
- आँचलिक परिषद / क्षेत्रीय परिषद, ग्राम पुनरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण दस्तावेजों के सत्यापन समिति की रिपोर्ट पर पी.जी.एस.–एनईसी को रूपांतरण अवधि को कम करके ऐसे क्षेत्र को जैविक घोषित करने की सिफारिश कर सकती है।
- पीजीएस–एनईसी परिपूर्ण मूल्यांकन के बाद पूरे क्षेत्र को जैविक घोषित कर सकती है। ऐसे सभी पूरे/बड़े सन्निहित क्षेत्र को प्रमाणित घोषित करने का निर्णय केवल पीजीएस–एनईसी ही कर सकती है। आँचलिक परिषद / क्षेत्रीय परिषद मात्र सिफारिश करने वाली एजेंसियां हैं। ऐसे अनुमोदन पर आरसी किसानों, क्षेत्र और फसलों की पूरी सूची देते हुए ग्रामवार प्रमाण पत्र जारी करेगा। बड़े क्षेत्र में प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र और टीसी पूरे ग्राम समूह को जारी किए जाएंगे, न कि व्यक्तिगत किसानों को।
- जैविक स्थिति को जारी रखने के लिए क्षेत्र के प्रत्येक गांव को सालाना कम से कम एक पुनरीक्षण (सहकर्मी मूल्यांकन) करने की आवश्यकता है। प्रमाणन के विस्तार/नवीकरण के लिए वार्षिक पुनरीक्षण (सहकर्मी मूल्यांकन) रिपोर्ट संबंधित आँचलिक परिषद / क्षेत्रीय परिषद को प्रस्तुत करनी होगी।
- इस प्रमाणन कार्यक्रम के तहत सभी किसानों और उनके कृषि कार्यों (पशुधन सहित) को पीजीएस–इंडिया जैविक मानकों का पालन करना होगा। यहां तक कि किसी एक किसान द्वारा की गई एक भी चूक पूरे गांव की जैविक स्थिति को रद्द कर सकती है। एक गांव या कई गांवों में बार–बार चूक के परिणामस्वरूप संपूर्ण भौगोलिक सीमा (जैसे संपूर्ण ब्लॉक) का प्रमाणीकरण रद्द हो सकता है।
- अलग–अलग किसान और समूह के तहत प्रसंस्करण और हैंडलिंग इकाइयां या समूहों से दूर अकेले इकाइयां इस श्रेणी के तहत प्रमाणीकरण के लिए पात्र नहीं होंगी, भले ही वे एक ही भौगोलिक क्षेत्र में स्थित हों।

HPSOPCA

4.4.2 बड़े सन्निहित पारंपरिक/डिफॉल्ट जैविक क्षेत्र के लिए प्रमाणन प्रक्रिया

4.4.2.1 ग्राम परिषद/ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणन प्रक्रिया

- प्रमाणन के तहत लाए जाने वाले क्षेत्र को परिभाषित करेंगे और मानचित्र तैयार करेंगे।
- किसान–वार दस्तावेज तैयार करें, यानी किसान का नाम और परिवार का विवरण, भूमि का विवरण, पशुधन का विवरण, मानचित्र में व्यक्तिगत किसान की भूमि का स्थान निर्दिष्ट करें। सभी किसानों को ध्यान में रखा जाएगा और पूरे परिभाषित क्षेत्र को कवर किया जाएगा।
- एक गांव एक समूह की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए ग्रामवार समूह बनाएं जाऐंगे।
- सभी किसानों से पीजीएस–इंडिया आवेदन पत्र और पीजीएस प्रतिज्ञा प्राप्त करें।
- सुनिश्चित करें कि कम से कम पिछले 3 वर्षों के लिए पूरे परिभाषित क्षेत्र में कोई सिंथेटिक इनपुट उपयोग इतिहास नहीं है और यह भी कि सिंथेटिक इनपुट की बिक्री के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।
- राज्य सरकार से अनुरोध करेंगे कि पिछले 3 वर्षों से सिंथेटिक इनपुट उपयोग मुक्त क्षेत्र के आवश्यक दस्तावेज जारी करें
- पंजीकरण के लिए उपरोक्त सभी कागजात की प्रति के साथ क्षेत्रीय परिषद को आवेदन करें। आवेदन ग्रामवार/ग्राम पंचायतवार किये जाऐंगे।
- सभी निर्धारित क्षेत्र के ग्राम पंचायतों और गांवों से आवेदन एक साथ करें।
- प्रत्येक गाँव में स्थानीय किसान पुनरीक्षण (सहकर्मी) समिति के माध्यम से प्रथम पुनरीक्षण (सहकर्मी) मूल्यांकन करेंगे और समेकित (कंसोलिडेटिड) पुनरीक्षण (सहकर्मी) मूल्यांकन प्रपत्र भरेंगे।
- सभी विवरण संबंधित क्षेत्रीय परिषद और आँचलिक परिषद को जमा करेंगे।
- पीजीएस–इंडिया पोर्टल में आवश्यक डेटा अपलोड किया जाएगा।
- पारंपरिक जैविक स्थिति के निरीक्षण और सत्यापन के लिए और इसके रूपांतरण हेतू पीजीएस–एनईसी द्वारा नियुक्त समिति को सहयोग व सुविधा प्रदान करना।
- जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त होने पर पूरा गाँव एक ही स्थान पर समन्वित और एक ब्रांड नाम के तहत प्रमाणित जैविक उत्पादों का विपणन कर सकता है।

HPSOPCA

- बिक्री के लिए लेनदेन प्रमाण पत्र (टी.सी.) सामान्य गांव के नाम के तहत पीजीएस पोर्टल से प्राप्त किया जा सकता है। बड़े क्षेत्र में प्रमाण पत्र और टीसी प्रमाणीकरण; ग्रामवार जारी किया जाएगा। व्यक्तिगत किसान और प्रसंस्करण इकाइयाँ बड़े क्षेत्र प्रमाणन के तहत योग्य नहीं होंगी।
- प्रमाणन के नवीनीकरण के लिए हर साल कम से कम एक पुनरीक्षण (सहकर्मी) मूल्यांकन किया जाता है जिसमें सभी किसानों को शामिल किया जाता है और समेकित पुनरीक्षण (सहकर्मी) मूल्यांकन पत्रक, ग्राम-वार तैयार किया जाता है और क्षेत्रीय परिषद को प्रस्तुत किया जाता है।

4.4.2.2 क्षेत्रीय परिषद द्वारा प्रमाणन प्रक्रिया

- आरसी सभी ग्राम पंचायतों/गांवों से आवेदन प्राप्त करेगी।
- दस्तावेजों की प्रामाणिकता और पूर्णता की पुष्टि करेगी।
- कुछ गांव के पुनरीक्षण (समकक्ष) मूल्यांकन में भाग लेंगी (एक विशेष क्षेत्र में कम से कम 20% की भागीदारी)
- पीजीएस-एनईसी समिति सत्यापन कार्यक्रम में भाग लेंगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे।
- समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर और प्रथम पुनरीक्षण(सहकर्मी) मूल्यांकन के पूरा होने पर क्षेत्र की प्रमाणन स्थिति पर निर्णय लेगी और पीजीएस-एनईसी के अनुमोदन के लिए सिफारिश करेगी।
- पीजीएस-एनईसी अनुमोदन प्राप्त होने पर, गांवों, उनके क्षेत्र, पशुधन और किसानों/उत्पादकों की संख्या के साथ पूरे क्षेत्र को प्रमाणीकरण स्वीकृत करेगी।
- प्रमाणन नवीनीकरण वार्षिक पुनरीक्षण (सहकर्मी) मूल्यांकन प्राप्त होने पर और आरसी द्वारा यादृच्छिक भौतिक सत्यापन करने के बाद किया जाता है। मानक अनुपालन मूल्यांकन के लिए क्षेत्रिय परिषद् प्रत्येक गांव का दो साल में कम से कम एक बार भौतिक निरीक्षण सुनिश्चित करेगी।

4.5 उपभोक्ताओं द्वारा प्रमाणीकरण का सत्यापन

राष्ट्रीय पीजीएस-इंडिया वेबसाइट पूरे कार्यक्रम के लिए डेटाबेस होगी। सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए पूरे ऑपरेशनल डेटाबेस को पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा। उपभोक्ता इससे स्थानीय समूह कोड, किसी विशेष उत्पाद का विशिष्ट आईडी कोड द्वारा निर्माता, प्रोसेसर या व्यापारी की जानकारी तक पहुंचने में सक्षम होंगे। चूंकि लेबल पर प्रदान किया गया यूआईडी कोड अंतिम ऑपरेटर द्वारा जारी किया जाएगा, अतः केवल उस ऑपरेटर का प्रमाणीकरण का विवरण सार्वजनिक डोमेन में दिखाई देगा। यदि उपभोक्ता या खरीदार पूर्ण ट्रैसेबिलिटी रिकॉर्ड चाहते हैं तो उपभोक्ता ट्रैसेबिलिटी के लिए क्षेत्रिय परिषद (आरसी) से संपर्क कर सकते हैं। क्षेत्रिय परिषद का नाम और पता ट्रांजेक्शन सर्टिफिकेट पर दिया होता है।

अध्याय–5

समय रेखा, शिकायतें और अपील

5.1.समय रेखा

5.1.1 स्थानीय समूह के लिए

- चार समूह बैठकें, प्रत्येक फसल मौसम (सत्र) में कम से कम दो।
- एक प्रशिक्षण, वर्ष के दौरान किसी भी समय। पहला प्रशिक्षण पंजीकरण के 6 महीने के भीतर।
- फसल की वृद्धि अवधि के दौरान बुवाई के 15 दिनों से लेकर कटाई से 15 दिन पहले तक पुनरीक्षण (समकक्ष) मूल्यांकन किया जाना है।
- रोपण फसलों के मामले में भी दो पुनरीक्षण (समकक्ष) मूल्यांकन एक फूल के मौसम के दौरान और दूसरा छह महीने के बाद किया जाना है।
- फसल कटाई/उत्पाद प्राप्ति की तारीख से 7 दिन पहले तक पुनरीक्षण (सहकर्मी) मूल्यांकन सारांश शीट अपलोड करना।
- कटाई के 60 दिनों के भीतर वास्तविक उपज की वेबसाईट पर अपलोडिंग।
- स्टॉक रखने की समय सीमा – स्कोप सर्टिफिकेट की वैधता अवधि तक।
- यदि कोई टीसी जारी नहीं किया जाता है और स्टॉक बिना बिका रहता है तो पीजीएस–इंडिया वेबसाइट कटाई की तारीख से 12 महीने के बाद स्टॉक स्वतः (ऑटो मोड) द्वारा हटा देगी।
- पशुधन उत्पादों, सब्जियों और फलों आदि जैसी खराब होने वाली वस्तुओं का व्यापार दैनिक या साप्ताहिक आधार पर समूह के विवेक के अनुसार किया जा सकता है और उपज साप्ताहिक या पाक्षिक आधार पर पीजीएस–इंडिया वेबसाइट पर अपलोड की जाती है और टीसी भी साप्ताहिक या पाक्षिक आधार पर बैच मोड में जारी किए जाते हैं।

5.1.2 क्षेत्रीय परिषदों के लिए

- प्रस्तुत करने की तिथि के 30 दिनों के भीतर क्षेत्रीय परिषद द्वारा एलजी/व्यक्तिगत किसान/प्रोसेसर आवेदन की स्वीकृति का निर्णय करना।
- यदि एलजी अनुमोदन के लिए अनुरोध करता है तो पहला निरीक्षण और अनुमोदक 60 दिनों के भीतर पूरा कर के पंजीकरण प्रदान करना।

HPSOPCA

- प्रमाणन निर्णय का अनुमोदन, पुनरीक्षण (सहकर्मी) मूल्यांकन सारांश पत्रक प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर या आरसी द्वारा वापसी के बाद प्रमाणन निर्णय को फिर से जमा करने पर 15 दिनों के भीतर करना।
- व्यक्तिगत किसानों/प्रोसेसर और हैंडलर के मामले में भौतिक निरीक्षण के 30 दिनों के भीतर प्रमाणीकरण की मंजूरी देना।
- वास्तविक पैदावार की स्वीकृतिः – एलजी द्वारा वास्तविक पैदावार अपलोड करने के 15 दिनों के भीतर देना।
- एलजी का भौतिक निरीक्षणः – पहली बार 12 महीने के भीतर और बाद में 24 महीने में कम से कम एक बार करना।
- व्यक्तिगत किसानों/संसाधकों(प्रोसेसर) और हैंडलिंग इकाइयों का भौतिक निरीक्षणः– वर्ष में कम से कम एक बार करना।
- प्रोसेसर और हैंडलर के मामले में वार्षिक प्रणाली योजना की स्वीकृति – प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर करना।

5.1.3 आँचलिक परिषदों के लिए

- आरसी की निगरानी और भौतिक मूल्यांकन – 12 महीने में कम से कम एक बार करना।
- आरसी और उनके प्रमाणन प्रबंधन पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना – वर्ष में एक बार (जनवरी–फरवरी के दौरान) हर साल जनवरी से दिसंबर की अवधि के लिए।
- नमूना संग्रह और अवशेष विश्लेषण – पीजीएस सचिवालय और पीजीएस–एनईसी के निर्देशों के अनुसार करना।
- आरसी द्वारा प्रमाणीकरण अस्वीकार के खिलाफ एलजी की अपील का निपटानः– अपील प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर करना।
- शिकायतों की जांच और पीजीएस सचिवालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करना – शिकायत प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर करना।

5.2 शिकायतें और अपील

5.2.1 जनता द्वारा शिकायतें

पीजीएस–इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रमाणीकरण से संबंधित मुद्दों पर एलजी या आरसी के कार्यों के खिलाफ किसी भी व्यक्ति/सरकारी जनता, उपभोक्ताओं, व्यापार निकाय, खुदरा विक्रेता या व्यापारी आदि के द्वारा किसी भी शिकायत के मामले में वे अपनी शिकायत निम्नानुसार दर्ज कर सकते हैंः–

- स्थानीय समूह, व्यक्तिगत निर्माता या प्रोसेसर/हैंडलर के कामकाज के खिलाफ संबंधित आरसी को करेगे।
- आरसी के कामकाज के खिलाफ संबंधित आँचलिक परिषद और पीजीएस सचिवालय को करेगे।

HPSOPCA

- पीजीएस–इंडिया लोगो के दुरुपयोग के मामलों में आँचलिक परिषद/क्षेत्रिय परिषद को करेगे।
- प्रतिकूल अवशेष परीक्षण रिपोर्ट के मामलों में आँचलिक परिषद/क्षेत्रिय परिषद को करेगे।

5.2.2 स्थानीय समूहों द्वारा शिकायतें और अपील

- प्रमाणीकरण समिति द्वारा प्रमाणीकरण अस्वीकार करने के मामले में या प्रतिकूल पुनरीरक्षण (सहकर्मी) मूल्यांकक रिपोर्ट के खिलाफ व्यक्तिगत किसान सदस्य पूर्ण समूह निकाय को अपील करेगे।
- एलजी सदस्यों के मनमाने फैसलों के खिलाफ या एलजी के पीजीएस–इंडिया मानदंडों के विपरीत कामकाज के खिलाफ संबंधित क्षेत्रीय परिषद और/या आँचलिक परिषद को अपील करेगे।
- क्षेत्रीय परिषद द्वारा प्रमाणीकरण अस्वीकार करने या आरसी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियााओं द्वारा हितों का टकराव, निष्पक्षता और स्वतंत्रता के दायरे में आने के खिलाफ आँचलिक परिषद को अपील करेंगे।
- यदि आंचलिक परिषद द्वारा समय पर अपीलों का समाधान नहीं किया जाता है तो पीजीएस सचिवालय को अपील करेगे।

5.2.3 आरसी द्वारा शिकायतें और अपील

- आँचलिक परिषदों की निगरानी और समीक्षा प्रक्रिया के खिलाफ पीजीएस सचिवालय को अपील करेगे।
- पीजीएस सचिवालय द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के खिलाफ पीजीएस–एनईसी को अपील करेगे।

5.2.4 अपीलों का निपटान

सभी अपीलों का निपटारा प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर किया जाना है। जिन मामलों में यदि किसी शिकायत या अपील की जांच की आवश्यकता है, तो ऐसी शिकायत प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर अपीलों का निपटारा किया जाना चाहिए।

HPSOPCA

अध्याय–6

लोगो (Logo) और लेबलिंग का अधिकार

6.1 लोगो (LOGO) और अद्वितीय (यूनीक) प्रमाणपत्र आईडी कोड प्रदान करना

क्षेत्रीय परिषद से अनुमोदन प्राप्त होने पर, स्थानीय समूह प्रचार, व्यापार पूछताछ या व्यापार साहित्य में डालने के लिए स्कोप प्रमाणपत्र का उपयोग कर सकता है और प्रदान किए गए पीजीएस लोगो का भी उपयोग कर सकता है। स्कोप सर्टिफिकेट में एक यूनिक नंबर होगा, जो किसानों के साथ–साथ आरसी और लोकल ग्रुप की पहचान करेगा। प्रत्येक प्रमाण पत्र में वर्ष के दौरान प्रमाणित क्षेत्र, फसलों और उत्पादों को संलग्नक के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। पीजीएस प्रमाणित उत्पादों के पैकेट या कंटेनर यूआईडी कोड के साथ पीजीएस लोगो के साथ मुद्रित किए जाएंगे।

उत्पाद पर लोगो को विशिष्ट आईडी कोड के साथ मुद्रित करना आवश्यक है। उपभोक्ता पीजीएस–इंडिया वेबसाइट पर उपभोक्ता सत्यापन विंडो में यूआईडी कोड दर्ज करके प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता और अंतिम हैंडलर के नाम और पते तक पहुंच सकते हैं। संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का पता लगाने के लिए उपभोक्ताओं को यूआईडी कोड के साथ क्षेत्रीय परिषद से संपर्क करना होगा।

लोगो (सवहव) के उपयोग का अधिकार पंजीकृत समूह, किसान, प्रसंस्करण और हैंडलिंग ऑपरेटर के पास है। यह अधिकार तब तक हस्तांतरणीय नहीं है जब तक कि उपभोक्ता के सामने मूल्य श्रृंखला के अंतिम बिंदु को ट्रेसबिलिटी की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में कवर नहीं किया जाता है और पीजीएस–एनईसी द्वारा पीजीएस–इंडिया की संरचना के साथ अनुमोदित किया जाता है।

6.2 स्कोप प्रमाणपत्र की वैधता

स्कोप सर्टिफिकेट की वैधता आरसी द्वारा निर्णय अनुमोदन की तारीख से 12 महीने होगी। स्कोप सर्टिफिकेट सीजन (खरीफ, रबी और जैद) के अनुसार जारी किया जाएगा, जो समय पर पुनरीक्षण (सहकर्मी) मूल्यांकन सारांश शीट और अन्य आवश्यकताओं जैसे समूह की बैठकों और प्रशिक्षणों का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने पर निर्भर करेगा।

6.3 पीजीएस ऑर्गेनिक और पीजीएस रूपांतरण स्थिति के लिए अलग–अलग लोगो (**logo**)

पी.जी.एस. ऑर्गेनिक और पी.जी.एस. रूपांतरण के तहत दो अलग–अलग लोगो (logo) दिए जाएंगे;

पी.जी.एस.जैविक

(PGS ORGANIC)
पूर्णतः प्रमाणीकृत
जैविक उत्पाद

पी.जी.एस.हरित

(PGS GREEN)
पी.जी.एस. कार्यक्रम के अंतर्गत परिवर्तन कालावधि उत्पाद

HPSSOPCA

6.4 लोगो के उपयोग के लिए शर्तें

पीजीएस प्रमाणित उत्पादों को पीजीएस लोगो के साथ स्कोप सर्टिफिकेट पर प्रदान किए गए अद्वितीय आईडी कोड के साथ लेबल किया जा सकता है, यह तभी किया जा सकता है जब पंजीकृत पीजीएस ऑपरेटर (किसान समूह, प्रमाणित किसान और ऑफ–फार्म प्रोसेसर) की देखरेख में पैक किए गए हों।

स्कोप सर्टिफिकेट में दिए गए विवरण के अनुसार प्रमाणित मात्रा और आरसी द्वारा विधिवत अनुमोदित उपज/उत्पादन पर ही लोगो का उपयोग किया जाएगा।

यूनिक आईडी कोड के बिना लोगो के उपयोग की अनुमति नहीं है।

ऑर्गेनिक और रूपांतरण स्थिति (इन–कन्वर्जन) उत्पादों के लिए अलग–अलग लोगो का उपयोग करने की आवश्यकता है।

6.5 लेबलिंग

- एकल संघटक उत्पादों को "पीजीएस–इंडिया ऑर्गेनिक" के रूप में लेबल किया जा सकता है जब सभी मानक आवश्यकताओं को पूरा व प्रमाणित किया गया हो।
- बहु संघटक (मल्टी इनग्रेडियेंट) उत्पाद जहां सभी अवयव (इनग्रेडियेंटस) 100% ऑर्गेनिक हैं और सभी अवयवों के संबंध में सभी मानक आवश्यकताओं को पूरा किया गया हो और प्रमाणित किया गया हो। इन उत्पादों को "जैविक" (ऑर्गेनिक) के रूप में लेबल किया जा सकता है।
- बहु संघटक उत्पाद जहां योजक (एडिटिव) सहित सभी अवयव ऑर्गेनिक नहीं हैं, उन्हें निम्नलिखित तरीके से लेबल किया जा सकता है;
  - जहाँ संघटक ऑर्गेनिक कृषि के उत्पाद, योजक (एडिटिव) प्रसंस्करण सहायक व परिरक्षक (प्रिजरवेटिव) कम से कम वजन के अनुसार 95% है व एन.पी.ओ.पी. के तहत अनुमत हैं, ऐसे उत्पादों को "ऑर्गेनिक" लेबल किया जा सकता है।
  - कृषि मूल की सामग्री जहां वजन के हिसाब से 95% से कम लेकिन 70% से कम नहीं है और जैविक है ऐसे उत्पादों को "जैविक" नहीं कहा जा सकता है और केवल "जैविक सामग्री से बने" के रूप में लेबल किया जा सकता है।
- लेबलिंग से उत्पाद की जैविक स्थिति के बारे में स्पष्ट और सटीक जानकारी मिलती है।

HPSOPCA

- पीजीएस–ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण के साथ प्रदान किए गए उत्पादों में “पीजीएस–इंडिया ऑर्गेनिक” लोगो का उपयोग किया जाएगा।
- ऑर्गेनिक में रूपांतरण के तहत दिए गए उत्पादों को पीजीएस–ग्रीन प्रमाणन के अन्तर्गत पीजीएस–ग्रीन लोगो का उपयोग किया जाएगा। ऐसे उत्पादों को ऑर्गेनिक (जैविक) के रूप में दावा नहीं किया जाएगा और केवल “ऑर्गेनिक (जैविक) रूपांतरण के अन्तर्गत” संकेत का उपयोग किया जा सकता है।
- प्रसंस्करण और पैकिंग के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार कंपनी का नाम और पता लेबल पर उल्लिखित किया जाएगा।
- सरकारी कार्यक्रम का लोगो (जैसे PKVY/RKVY आदि) भी लेबल पर दर्शाया जा सकता है।
- उत्पाद को प्रमाणित करने वाली क्षेत्रीय परिषद का लोगो भी उत्पाद पर लगाया जाएगा।
- इसके अलावा लेबलिंग खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम 2011 और खाद्य सुरक्षा और मानक (जैविक उत्पाद) विनियम 2017 के तहत निर्धारित सभी सामान्य और उत्पाद विशिष्ट आवश्यकताओं का पालन करेगा।
- सभी पीजीएस–इंडिया प्रमाणित उत्पादों को एफ.एस.एस.ए. आई. (FSSAI) द्वारा समय–समय पर अधिसूचित एफ.एस.एस. (FSS Act) अधिनियम 2006 की सामान्य आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

HPSSOCA

अध्याय–7

गैर–अनुपालन दिशानिर्देश

“प्रतिबंधों की सूची”

7.1 स्थानीय समूह द्वारा किसानों/उत्पादकों के लिए प्रतिबंध सूचीपत्र

किसानों को स्थानीय समूह द्वारा समग्र रूप से या स्थानीय समूह की प्रमाणन समिति (यदि बनाई गई हो) द्वारा किसानों पर लागू किये जाने वाले प्रतिबंधः–

परिस्थिति	प्रतिबंध
• एक आवश्यक फील्ड दिवस पर अनुपस्थित • असंतोषजनक उत्पादन प्रणाली	मौखिक चेतावनी
•मानकों या विनियमों का मामूली उल्लंघन •इसी तरह की समस्या के लिए बार–बार लिखित चेतावनी •अनुमोदित शर्तों/ परिस्थितियों के प्रति उतरदायी नहीं होना।	प्रमाणन अवधि का संक्षिप्त निलंबन (यह अवधि उत्पादक को नया (सहकर्मी) पुनिरीक्षण /परामर्श प्राप्त करने में लगने वाले समय से निर्धारित होगी)
•बार–बार मामूली उल्लंघन •मानकों का स्पष्ट उल्लंघन, परन्तु उत्पाद की जैविक अखंडता के लिए खतरा नहीं है।	जब तक किसान सुधारात्मक कार्रवाई नहीं करता तब तक एक निश्चित अवधि के लिए निलंबन।
•मानकों का स्पष्ट उल्लंघन जो उत्पाद की जैविक अखंडता के लिए खतरा है जैसेः निषिद्ध कीटनाशक या सिंथेटिक उर्वरकों का उपयोग।	1 वर्ष के लिए दीर्घकालिक निलंबन किसान को “रूपांतरण में” की स्थिति में वापस ले जाया जा सकता है।
•बार–बार उल्लंघन के कारण दंड, निलंबन या अनुमोदन वापस लेना। •स्पष्ट धोखाधड़ी •निरीक्षण में जानबूझकर बाधा डालना जैसे सहकर्मी मूल्यांककों, वैधानिक प्राधिकरण और क्षेत्रीय परिषद को सहयोग आदि पहुंच से इनकार करना। •अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुरोध किये जाने पर लिखित जवाब देने से इंकार	• भागीदारी की समाप्ति। • किसान (किसानों) को या तो स्थायी रूप से या एक निर्धारित अवधि के लिए पीजीएस की सदस्यता के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

अपील का अधिकार

किसान स्थानीय समूह द्वारा प्रतिबंध की अधिसूचना की तारीख के दो सप्ताह के भीतर क्षेत्रीय परिषद में या प्रतिबंध प्रमाणन समिति द्वारा लागू करने पर पूरे स्थानीय समूह से अपील कर सकते हैं।

7.2 क्षेत्रीय परिषद द्वारा स्थानीय समूह के लिए "प्रतिबंधों की सूची"

बार–बार गैर–अनुपालन या मानकों के उल्लंघन के लिए क्षेत्रीय परिषद द्वारा पूरे स्थानीय समूह को समग्र रूप से लगाए जाने वाले प्रतिबंधः–

परिस्थिति	प्रतिबंध का प्रकार
•अधूरे दस्तावेज •त्रैमासिक बैठकों और प्रशिक्षणों का कोटा पूरा नहीं करना •असामयिक पुनरीक्षण (सहकर्मी) मूल्यांकन, सारांश पत्रक प्रस्तुत करने में देरी •वेबसाइट पर डेटा को समय पर अपलोड करने में विफल होना	**न्यूनः–** भविष्य में अनुपालन के लिए चेतावनी और सलाह।
•प्रक्रियाओं या विनियमों (रेगूलेशनस) के उल्लंघन का ज्ञात होना और समूह द्वारा सुधारात्मक उपाय नहीं करना। •बार–बार गैर–अनुपालना करना और अनुपालना हेतू अव्यवहारिक व अनौपचारिक दृष्टिकोण अपनाना। •अनुमोदित शर्तो/सलाहों का जवाब नहीं देना	**प्रमुखः–** निर्णय अनुमोदन को रोकना, अनुपालन होने तक निर्णय को वापस करना।
•बार–बार मामूली उल्लंघन •मानकों का स्पष्ट उल्लंघन लेकिन उत्पादकों जैविक अखंडता का खतरा न हो।	**प्रमुखः–** • प्रमाणन के अनुमोदन से इनकार या छोटी अवधि के लिए प्रमाणन का निलंबन। • टीसी के मुद्दे को रोकना

HPSOPCA

•सदस्यों और एलजी द्वारा मानकों का स्पष्ट उल्लंघन करना व कोई कार्रवाई नहीं करना और अपूर्ण पुनरीक्षण (सहकर्मी) मूल्यांकन के साथ निर्णय को अग्रेषित करना। •एलजी के फैसले अत्यंत गलत हैं।	**प्रमुखः–** • निर्णय वापस करना, • प्रमाणीकरण अनुमोदन से इनकार करना।
•बार–बार उल्लंघन के कारण निलंबन या अनुमोदन वापस लेना। •समूह द्वारा स्पष्ट धोखाधड़ी •अतिरिक्त जानकारी के लिए लिखित अनुरोधों का जवाब देने से इंकार करना या न देना। •कीटनाशक अवशेषों का कीटनाशकों परीक्षण में पाया जाना। •12 महीने से अधिक समय तक पुनरीक्षण (सहकर्मी) मूल्यांकन की गैर–निरंतरता होना।	• रिपोर्टिंग प्रमाणन इनकार, समूह की स्थिति को डाउनग्रेड करना, बिक्री को अवरुद्ध करने के लिए पीजीएस–इंडिया वेबसाइट से पूरी उपज को हटाना, समूह को स्थायी रूप से या निश्चित अवधि के लिए समाप्त करना। ● प्रमाणन स्थिति को डाउनग्रेड करके रूपांतरण अवधि से आरम्भ करना और पुनरीक्षण (मूल्यांकन) प्रस्तुत करने के ६ महीने के भीतर भौतिक निरीक्षण के साथ समीक्षा करना।

अपील का अधिकार

क्षेत्रीय परिषद द्वारा प्रतिबंध की अधिसूचना की तारीख से दो सप्ताह के भीतर, स्थानीय समूह क्षेत्रीय परिषद की कार्रवाई पर आँचलिक परिषद को अपील कर सकता है। यदि 15 दिनों के भीतर आँचलिक परिषद से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो समूह पी.जी.एस. सचिवालय से संपर्क कर सकता है।

HPSSOPA

अध्याय–8

जैविक उत्पादन हेतु पी.जी.एस.–राष्ट्रीय मानक

8.1 सामान्य आवश्यकताएँ

8.1.1 आवास प्रबंधनः

आवास प्रबंधन जैविक प्रबंधन प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है तथा जैविक में परिवर्तन का सर्वप्रथम चरण है। सभी जीवों के लिये उपयुक्त जीवन यापन अवस्थायें सुनिश्चित करने, जैविक खाद हेतु उपयुक्त मात्रा में पौध अवशिष्ट प्राप्त करने तथा विभिन्न प्रकार के पौधों व वृक्षों द्वारा जैव विविधता कायम करने हेतु यह आवश्यक है कि मेढों पर तथा अन्य खाली स्थानों पर विभिन्र प्रकार के पौधों, वृक्षों व झाडियों को लगाकर विभिन्न जीव रूपों हेतु आवास का निर्माण किया जाए। इन पौधों मे नत्रजन स्थिरीकरण पौधों के लिए विशिष्ट स्थान होना चाहिए। मेढों पर लगाए गए नत्रजन स्थिरीकरण पौधे/झाड़ियाँ न केवल जैविक बाढ़ का काम करेंगी बल्कि जैविक रूप से स्थिरीकृत नत्रजन के साथ–साथ जमीन की गहराइयों से शोषित अन्य पोषक तत्व भूमि की उपरी सतह पर उगने वाले पौधों को प्रदान करेंगी। ये पौधे अनेक प्रकार के मित्र कीटों व पक्षियों को आवास तथा आश्रय का काम भी करेंगे। आवश्यकता होने पर वर्षा जल संरक्षण हेतु जल संग्रहण गढ्ढों व तालाबों का भी निर्माण किया जा सकता है।

8.1.2 फसल विविधताः

जैविक प्रबंधन में फसल विविधता दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जिससे न केवल कीट व व्याधि प्रबंधन में मद्द मिलती है बल्कि मिट्टी का संतुलित पोषण भी सुनिश्चित होता है। फसल विविधता अनेक प्रकार की मिश्रित फसलों, सह फसलों, अंर्तफसलों तथा फसल चक्र में दलहनी फसलों को प्रमुखता देकर प्राप्त की जा सकती है। ट्रैप फसलों या अवरोधक फसलों के प्रयोग से भी विविधता में बढ़ोत्तरी होती ळें

8.1.3 पशुधन समन्वयनः

चूँकि जैविक कृषि पशुधन से प्राप्त गोबर व मूत्र की लगातार उपलब्ध्ता पर आधारित है। अतः प्रयास किए जाने चाहिए कि फसल उत्पादन व पशुपालन प्रक्रियाऐं साथ–साथ चलें और उनमें उचित समन्वय हो।

8.1.4 परिवर्तन कालावधिः

पी.जी.एस. जैविक मानकों की पूर्ण अनुपालना में जो समय लगता है उसे परिवर्तन कालावधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह वह समय है जो एक पारंपरिक रसायन आधारित कृषि को पूरी तरह पी.जी.एस. जैविक फार्म में बदलने में लगता है। इस कालावधि में पूरे फार्म व उसकी प्रक्रियाओं को जिसमें फसल उत्पादन व पशुधन पालन शामिल हैं को पूर्णतः जैविक प्रबंधन के अंतर्गत लाया जाता है। पी.जी.एस. जैविक प्रबंधन में आँशिक परिवर्तन तथा समानांतर उत्पादन वर्जित है। ऐसे खेतों में जो कृषि हेतु नये हैं या जिनमें पूर्व में पारंपरिक रसायन आधारित खेती की जा रही थी, परिवर्तन कालावधि प्रतिबंधित रसायनों के अंतिम प्रयोग तिथि से या पी जी एस शपथ लेने की तिथि से (जो भी बाद में हो) 24 से 36 महीनों की होगी। यदि केवल कम आयु की ऋतु फसलें ली जानी हो तो कालावधि 24 महीने की तथा यदि स्थायी बागवानी फसलें हों तो यह कालावधि 36 महीने की होगी।

यदि किसी किसान द्वारा अपनी पूरी जोत एक साथ जैविक प्रबंधन के अंर्तगत लाना संभव न हो तो प्रादेशिक परिषद चरणबद्ध तरीके से परिवर्तन की अनुमति दे सकती है। परंतु ऐसी अवस्था में यह सुनिश्चित करना होगा कि वह किसान, समूह का सदस्य बनने के 24 महीने के अंदर अपनी पूरी जोत जैविक प्रबंधन के अंतर्गत ले आये।

पशुधन के मामलों में परिवर्तन कालावधि कम से कम 12 महीने की होगी और इस अवधि में पशुओं को केवल जैविक चारा एवं जैविक दाना ही देना होगा और समूह के अन्य सदस्यों को आश्वस्त करना होगा कि सभी मानक आवश्यकताओं की पिछले 12 महीनों से अनुपालना की जा रही है।

8.1.5 संदूषण नियंत्रणः

सभी जैविक उत्पादन इकाइयों को प्राकृतिक या दुर्घटनावश संदूषण से बचने के प्रभावी उपाय करने चाहिये (जैसे प्रतिबंधित रसायन संदूषण जल प्रवाह द्वारा या हवा द्वारा)। सभी जैविक फार्मों या इकाइयों को या तो जैविक बाड़ लगाकर या उपयुक्त अवरोधक क्षेत्र (Buffer Zone) से अलग कर सुरक्षित किया जाना चाहिए। सभी जैविक फार्मों को पास के खेतों से निकले संदूषित जल प्रवाह से भी सुरक्षित रखना आवश्यक है। इसके लिए जैविक खेतों के चारों और ऊँची मेढ़ें और जल बहाव हेतु बचाव नालियों का निर्माण किया जा सकता है।

8.1.6 मृदा एवं जल संरक्षणः

भूक्षरण, मृदा लवणीकरण, जल के अधिक व अनुपयुक्त प्रयोग तथा सतह जल एवं भूजल को संदूषण व क्षरण से बचाने के लिए सभी वाँछित प्रयास किये जाने चाहिये। वनस्पति को काटकर एवं जलाकर साफ करना तथा भूसे को जलाना जैसी प्रक्रियाओं को न्यूनतम स्तर तक सीमित किया जाना चाहिए। खेती हेतु जंगल नष्ट करने जैसी प्रक्रियाऐं निषिद्ध हैं।

8.2 फसल उत्पादन हेतु मानकीय आवश्यकताएँ

8.2.1 बीज एवं पौध चयनः

चयनित बीज/पौध व रोपणी इत्यादि ऐसी प्रजाति की होनी चाहिए जो स्थानीय मिट्‌टी, वातावरणीय परिस्थितियाँ तथा जैविक प्रबंधन के अनुकूल हों, कीट एवं व्याधि प्रतिरोधी हों तथा संभव हो तो जैविक उद्‌गम की हों। यदि जैविक प्रबंधन से उत्पत्ति बीज उपलब्ध न हों तो पारंपरिक कृषि में उगायें ऐसे बीज जिन्हे किसी भी प्रकार के रसायनों से उपचारित न किया गया हो प्रयोग किये जा सकते हैं।

अनुवांशिकी परिवर्तित बीज, परागकण तथा परिवर्तित अनुवांशिकी के पौधों या उनके बीज या रोपण अंगों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।

8.2.2 उर्वरीकरणः

फार्म से ही प्राप्त सूक्ष्मजीवीय, पौध या पशुओं से प्राप्त जैव अपघटनशील पदार्थ उर्वरीकरण प्रक्रिया के प्रमुख अंग हैं। हरी खाद, अंर्तफसल तथा दलहनी फसलों के साथ फसल परिवर्तन को पूरी फसल उत्पादन योजना में अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया जाना चाहिये। फार्म के बाहर से या क्रय कर लाये गये जैविक खादों (जैव अपघटनीय सूक्ष्म जैविक, पौध व पशु मूल आधारित) का भी प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते उनके उत्पादन में किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित रसायनों का प्रयोग न किया गया हो।

सूक्ष्मजीवीय उत्पाद जैसे बायोफर्टिलाइजर (जैव उर्वरक), बायोडायनेमिक उत्पाद, प्रभावी सूक्ष्म जीव (ई.एम) इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है।

HPSOPCA

ऐसे जैविक उत्पाद जो राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अधीन प्राधिकृत प्रमाणीकृत संस्थाओं द्वारा जैविक खेती में उपयोग हेतु स्वीकृत हैं को भी बिना किसी अन्य स्वीकृति के (स्थानीय समूह की) प्रयोग किया जा सकता है।

खनिजिक उर्वरक अपने प्राकृतिक रूप में चूर्ण बनाकर पूरक पोषकों के रूप में प्रयोग किये जा सकते हैं।

किसी प्रकार के संश्लेषित रसायनिक उर्वरकों का सीधे या अपरोक्ष रूप में प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।

8.2.3 कीट व्याधि एवं खरपतवार नियंत्रण तथा वृद्धिकारकों (HORMONES) का प्रयोगः

नाशीजीव प्रतिरोधी प्रजातियों का चयन, उपयुक्त फसल चक्र, हरी खाद, संतुलित पोषण, जल्दी बुवाई, आच्छादन (Mulching), भौतिक, यांत्रिक व जैविक नियंत्रण (जैसे नाशी कीट परजीवी व भक्षियों का प्रयोग), नाशीकीटों के जीवन चक्र में व्यवधान करना तथा नाशीकीट शत्रुओं (मित्र कीटों) का संधारण नाशीजीव प्रबंधन प्रकिया के प्रमुख अंग हैं।

असाधारण परिस्थितियों में जब अति आवश्यक हो मिट्टी का ताप द्वारा निर्जीवीकरण प्रक्रिया का प्रयोग किया जा सकता है।

सूक्ष्म जैविक नाशीजीव नियंत्रक (जैसे बायोपैस्टीसाइड) का प्रयोग किया जा सकता है। बाजार से क्रय किये गये ऐसे सूक्ष्मजैविक या वानस्पतिक उत्पाद जिन्हे राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम द्वारा प्राधिकृत प्रमाणीकृत संस्थाओं द्वारा जैविक खेती में उपयोग हेतु स्वीकृत किया गया है को भी प्रयोग किया जा सकता है।

सभी संश्लेषित व रसायनिक खरपतवार नाशकों, फफूँदीनाशकों, कीटनाशकों या अन्य रसायनिक उपादान जैसे वृद्धि नियंत्रक हारमोन तथा संश्लेषित रंगों (Dyes) का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। परिवर्तित अनुवांशिकी जीवों या उनके उत्पादों का भी प्रयोग पूर्णतः वर्जित है।

8.2.4 मशीन, उपकरण, औजार व भंडारण पात्रः

कृषि में काम आने वाले सभी मशीन, उपकरणों व औजारों को जैविक प्रक्रिया में प्रयोग से पूर्व अच्छी प्रकार धोकर साफ कर लेना चाहिये।

जैविक उत्पादों के भंडारण व परिवहन हेतु सभी बोरियों, थैलों या पात्रों को साफ कर यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि उनमें कोई भी रासायनिक संदूषण नहीं है और उनका प्रयोग पूर्व में पारंपरिक उत्पादों के भंडारण में नहीं किया गया है। ऐसे सभी बैग या पात्रों पर ‘‘केवल जैविक’’ स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

HPSOPCA

8.2.5 भंडारण तथा परिवहनः

जैविक उत्पाद पारंपरिक उत्पादों के साथ न मिल पाए इसका पूरा इंतजाम किया जाना चाहिये। भंडारण में किसी भी प्रकार के रासायनिक भंडारण कीटनाशियों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। जैविक उत्पादों के भंडारण में प्राकृतिक तथा पारंपरिक उपायों का प्रयोग किया जा सकता है। कार्बन डाई आक्साइड व नाइट्रोजन जैसी निष्क्रिय गैसों का भंडारण प्रक्रिया में प्रयोग किया जा सकता है।

8.3 पशुधन उत्पादन हेतु मानकीय आवश्यकताएँ

8.3.1 परिवर्तन आवश्यकताएँः

पशुधन सहित पूरे फार्म को निर्धारित कालावधि में जैविक में परिवर्तित किया जाना चाहिये। पी.जी.एस. के अंतर्गत आँशिक परिवर्तन तथा समानांतर उत्पादन निषिद्ध है। सभी प्रकार के पशुओं के लिए (मुर्गियों को छोड़कर) कम से कम परिवर्तन कालावधि 12 महीने है। मुर्गी पालन (अंडे व मांस हेतु) में दो दिन आयु के चूजों को केवल जैविक खाद्य पर ही पाला जाना चाहिए।

8.3.2 पालन वातावरणः

पशुधन प्रबंधन में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिस वातावरण में उन्हें पाला जा रहा है उसमें उनके घूमने–फिरने के लिए पर्याप्त स्थान हो, वहाँ ताजी हवा, धूप व जल का प्रबंध हो तथा आराम हेतु उचित स्थान हो। सभी पशुओं को तेज धूप, वर्षा तथा आँधी से बचाना चाहिए। अंगभंग किसी भी रूप में नहीं किया जाना चाहिए परन्तु इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं जैसे बंध्याकरण, पूँछ काटना, सींग हटाना, रिंग्गिंग तथा म्यूलसिंग।

8.3.3 प्रजातियाँ तथा प्रजननः

प्रजातियाँ स्थानीय वातावरण के अनुकूल होनी चाहिए। प्रजनन प्रक्रियाएँ संबंधित पशुओं की प्राकृतिक आदतों के अनुरूप होनी चाहिये तथा उनके अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने वाली हों। प्रजनन तकनीक प्राकृतिक होनी चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान किया जा सकता है। उत्तेजना पैदा करने वाले हारमोन का प्रयोग वर्जित है दवाओं द्वारा उत्प्रेरित जन्म प्रक्रिया को तब तक नहीं अपनाना चाहिए जब तक कि चिकित्सक की सलाह पर पशु की जीवन रक्षा के लिये ऐसा करना जरूरी न हो।

परिवर्तित अनुवांशिकी की प्रजातियों का प्रयोग वर्जित है।

HPSOFCA

8.3.4 पशु पोषणः

सभी पशुओं को अच्छी गुणवत्ता का जैविक चारा ही खिलाया जाना चाहिए। सभी प्रकार का चारा या खाद्य किसान के स्वयं के जैविक खेत या स्थानीय समूह के अन्य सदस्यों के जैविक खेत से प्राप्त होना चाहिए या जंगल के उन क्षेत्रों से लिया गया हो जहाँ प्रतिबंधित रसायनों का प्रयोग न किया गया हो। जैविक पशु खाद्य उत्पादन इकाइयों के उत्पाद प्रयोग किये जा सकते हैं। जैविक पशुधन प्रबंधन में रंगों व रंग उत्पन्न करने वाले पदार्थों का प्रयोग निषिद्ध है।

पशुओं के खाद्य या चारे में निम्न पदार्थों का किसी भी रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिएः–

- संश्लेषित वृद्धिकारक या उत्प्रेरक हारमोन,
- संश्लेषित क्षुद्धावर्धक,
- प्रसंस्करण प्रक्रिया में परिरक्षकों का प्रयोग,
- कृत्रिम रंग उत्पन्न करने वाले रसायन,
- यूरिया,
- कृषि पशुओं के सहायक उत्पाद (जैसे–वधशाला अपशिष्ट),
- गोबर, बीट या अन्य जैविक खादों या मल के उत्पाद (चाहे वे प्रसंस्कृत किये हों),
- ऐसे खाद्य जो साल्वेंट (हैक्सेन) एक्सट्रेक्शन से प्राप्त हों (जैसे सोया तथा सरसों की खली),
- किसी भी प्रकार के रसायनों के योग से बने उत्पाद,
- शुद्ध अमीनो अम्ल तथा
- परिवर्तित अनुवांशिकी के जीव व उनके उत्पाद विटामिन, सूक्ष्ममात्रिक तत्व तथा अन्य पोषण पूरक पदार्थ उनके प्राकृतिक स्वरूपों में तभी प्रयोग किये जाने चाहिये जब वे उपयुक्त मात्रा व गुणवत्ता में उपलब्ध हों।

8.3.5 पशु दवाएँः

बीमारी उपचार चयन में पशुओं की भलाई सर्वप्रथम विचार विषय होना चाहिए। प्राकृतिक उपचार प्रक्रियाएँ तथा दवाएँ जैसे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी तथा एक्यूप्रेशर इत्यादि को प्राथमिकता देनी चाहिए। अन्य कोई विकल्प उपलब्ध न होने की दशा में वेटेनरी दवाओं का प्रयोग किया जा सकता है।

ऐसी अवस्थाओं में जहाँ वेटेनरी दवाओं का प्रयोग किया गया हो वहाँ उन्हें प्रस्तावित सीमा से दुगने समय तक उत्पादन प्रक्रिया से बाहर रखना चाहिये।

HPSOPCA

निम्न पदार्थों का प्रयोग वर्जित हैः–

- संश्लेषित वृद्धि उत्प्रेरक (Synthetic growth hormones)।
- कृत्रिम उद्‌गम के ऐसे उत्पाद/पदार्थ जो उत्पादन या उत्प्रेरण या प्राकृतिक वृद्धि को रोकने में प्रयोग किये जायें।
- उत्तेजना उत्पन्न करने वाले हारमोन (उन परिस्थितियों को छोड़कर जहाँ प्रजनन संबंधी विकारों को नियंत्रित किया जाना हो तथा उनकी आवश्यकता चिकित्सक द्वारा जरूरी बताई गई हो)।
- ऐसे सभी टीके प्रयोग किये जा सकते हैं जो उस क्षेत्र की प्रचलित बीमारियों के विरूद्ध रोकथाम हेतु हों या उस क्षेत्र में उन बीमारियों के होने की आशंका हो। विधि (कानून) द्वारा प्रस्तावित सभी टीकों का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे टीके जो परिवर्तित अनुवांशिकी से बनाये गए हों का प्रयोग वर्जित है।

<u>8.4 मधुमक्खी पालन हेतु मानक आवश्यकताएँः</u>

चूँकि मधुमक्खी पालन, पशु पालन प्रक्रिया का ही अंग है अतः जैविक पशु पालन के सामान्य सिद्धान्त मधुमक्खी पालन पर भी लागू होते हैं। इनके अतिरिक्त निम्न आवश्यकताओं का अनुपालन भी अपेक्षित है।

- मधुमक्खी छत्ते प्राकृतिक पदार्थों से बने होने चाहिये तथा उनमें कोई विषाक्ता नहीं हो।
- सभी छत्तों व बक्सों को जैविक प्रबंधन वाले खेतो में या ऐसे प्राकृतिक स्थानों या जंगलों में रखा जाना चाहिए जहाँ किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित रसायनों का प्रयोग न किया गया हो।
- मधुमक्खी पालन में किसी प्रकार की वेटेनरी दवाओं या ऐन्टीबायोटिक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये। ऐसे प्रतिकर्शी जिनमें प्रतिबंधित रसायनों का प्रयोग किया हो। मधुमक्खियों के साथ कार्य करते समय नहीं प्रयुक्त करने चाहिए।
- नाशीजीव व व्याधियों की रोकथाम तथा छत्तों के निर्जीवीकरण में जिन पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है वे हैंः कास्टिक सोडा, लैक्टिक, ऑक्सेलिक, एसिटिक तथा फॉर्मिक अम्ल, गंधक, ईथरिक तेल तथा बेसिलस थुरेन्जिनसिस इत्यादि।

HPSOCA

अध्याय–9

खाद्य प्रसंस्करण, रखरखाव तथा भंडारण हेतु मानकीय आवश्यकताएँ

9.1.1 सामान्य आवश्यकताएँः

कोई भी खाद्य प्रसंस्करण प्रक्रिया, रखरखाव तथा भंडारण चाहे वे फार्म पर हों, फार्म से दूर हों या किराये पर ली गई सुविधाओं में हों पी.जी.एस. आश्वासन प्रणाली के अंर्तगत प्रमाणीकृत किये जा सकते हैं बशर्ते पूरी प्रक्रिया पर समूह का नियंत्रण हो और/या समूह की निगरानी में हो तथा प्रसंस्करण या भंडारण किये जाने वाले पदार्थ समूह का स्वयं का उत्पादित उत्पाद हो। आवश्यकता होने पर अनेक पी.जी.एस. स्थानीय समूह मिलकर एक संघ बना सकते हैं तथा प्रसंस्करण, ग्रेडिंग, पैकिंग, भंडारण तथा परिवहन इत्यादि मिल–जुलकर कर सकते हैं। सम्बंधित क्षेत्रिय परिषद इस प्रकार के संघों द्वारा प्रसंस्करण, रखरखाव व भंडारण हेतु वांछित दिशानिर्देश जारी का सकते हैं।

9.1.2 भंडारणः

सभी जैविक उत्पाद तब तक एक साथ भंडारण व परिवहन नहीं किए जाने चाहिए जब तक कि वे भली–भाँति पैक न हों, उन पर जैविक चिन्ह न लगा हो और अजैविक पदार्थों से भौतिक अवरोध द्वारा अलग–अलग न किये गए हों। भंडारण व परिवहन में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसी भी अवस्था में जैविक पदार्थ अजैविक पदार्थों के न तो सीधे सम्पर्क में आयें और न उनका मिश्रण होने पाये। इसी प्रकार यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पूरी प्रक्रिया में जैविक पदार्थ किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित रसायनों के सम्पर्क में भी न आने पाये।

जैविक भंडारण में सभी प्रकार के संश्लेषित परिरक्षकों, रसायनों तथा धूम्र उत्पाद इत्यादि का प्रयोग वर्जित है। भंडारण में जिन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है वे हैंः नियंत्रित तापमान, ठंडा करना, शून्य से नीचे तापमान पर रखना, सुखाना, भौतिक उपायों द्वारा नमी नियंत्रण तथा नाइट्रोजन या कार्बन डाई आक्साइड जैसी निष्क्रिय गैसों से धूम्र उपचार। फलों को पकाने हेतु इथिलीन गैस का प्रयोग किया जा सकता है।

HPSOPCA

9.1.3 संघटक योजक तथा प्रसंस्करण सहायक :

- सभी संघटक तथा योजक कृषि मूल के तथा पी.जी.एस. प्रमाणित होने चाहिए।
- जल तथा नमक बिना किसी प्रतिबंध के उपयोग किये जा सकते हैं।
- सूक्ष्मजैविक तथा किण्वन (फरमेंटेशन) प्रक्रिया के उत्पादों के लिए माध्यम जैविक उत्पादों से बना होना चाहिये।
- उद्योगों में बने सूक्ष्म जीव सूत्र, सूक्ष्म जीव बीज (इनओकूलेंट) रूप में प्रयोग हेतु उपयोग किये जा सकते हैं।
- ऐसे मामलों में जहाँ कृषि मूल के जैविक संघटक उपलब्ध न हों या कुछ संघटक गैर कृषि मूल के हों तो राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करें। ऐसे सभी मामलों में संघटकों की मात्रा कुल उत्पाद की मात्रा के कुल ड्राई वेट 5% से अधिक (जल व नमक को छोड़कर) नहीं होनी चाहिये।
- परिवर्तित अनुवांशिकी के जीव व उनके उत्पादों का प्रयोग वर्जित है।
- रसायन मूल के सभी खनिज, विटामिन तथा इसी प्रकार के अन्य संघटको का प्रयोग वर्जित है।

9.1.4 प्रसंस्करणः

- जैविक प्रसंस्करण हेतु प्रयुक्त सभी मशीनों, उपकरणों व औजारों को अच्छी तरह धोकर संदूशण मुक्त किया जाना चाहिये।
- सभी प्रसंस्करण मशीन तथा छलनी सहायक भी संदूषण मुक्त होने चाहिये और उनसे ऐसे किसी भी पदार्थ का स्राव नहीं होना चाहिये जो जैविक निष्ठा को प्रभावित कर सकें।
- जैविक व अजैविक उत्पाद आपस में न मिल पायें या संदूषित न कर पायें इसकी पूरी सावधानी रखनी चाहिए।
- राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमाणित प्रसंस्करण उद्योग इकाइयों की मद्द ली जा सकती है।
- पी.जी.एस. जैविक के अंतर्गत जो प्रक्रियाएँ स्वीकृत हैं वे हैंः यांत्रिक, भैतिक, जैविक, धुआँ करना, अर्क निकालना, अवक्षेपीकरण तथा छनाई। अर्क निकालने की प्रक्रिया में जल, ईथानोल, पौध तथा पशु तेल, सिरका, कार्बन–डाई–ऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा कार्बोक्साइलिक अम्ल का प्रयोग किया जा सकता है। उपरोक्त सभी द्रव घोलक खाद्य स्तर के होने चाहिए।
- सभी प्रकार के अणु–प्रकाशन (Irradiation) का प्रयोग वर्जित है।

9.1.5 पैकिंग तथा लेबल लगानाः

- पैकिंग पदार्थ उत्पाद के जैविक गुण को प्रभावित नहीं करने वाला होना चाहिये।
- पैकिंग पर पी.जी.एस. समूह विवरण, पी.जी.एस. चिन्ह तथा विशिष्ट पहचान कोड स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिये।
- एकल संघटक उत्पाद के उत्पादन में सभी मानक आवश्यकताएं पूरी होने पर तथा समूह द्वारा उसे पी.जी.एस. –जैविक घोषित किये जाने पर उस उत्पाद पर पी.जी.एस. –जैविक चिन्ह लगाया जा सकता है।
- परिवर्तन कालावधि उत्पाद जब सभी मानक आवश्यकताओं को पूरा कर समूह द्वारा पी.जी.एस–हरित घोषित कर दिये हो उन पर पी.जी.एस–हरित चिन्ह लगाया जा सकता है।
- मिश्रित या प्रसंस्कृत उत्पादों के मामले में यदि उसका 95% भाग पी.जी.एस. जैविक संघटकों से बना है तो उस पर पी. जी.एस.जैविक चिन्ह लगाया जा सकता है। यदि जैविक संघटकों का परिमाण 95 से 70 प्रतिशत के बीच है तो उत्पाद पर ''पी.जी.एस.–जैविक संघटकों से बना'' अंकित किया जा सकता है परंतु उस पर पी.जी.एस. चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है।
- केवल पी.जी.एस. स्थानीय समूह तथा उनके द्वारा अधिकृत पी.जी.एस. समूह संघ उन उत्पादों पर पी.जी.एस. चिन्ह लगा सकता है जो समूह या संघ के सीधे उत्पादों से तथा उनके निरीक्षण में प्रसंस्कृत किये गये हों।

HPSOPCA

अध्याय–10

शुल्क/लागत मानदंड

10.1 पी.जी.एस. भारत–जैविक प्रमाणन के फसल उत्पादन के लिए शुल्क/लागत मानदंड

हिमाचल प्रदेश राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणन एजेंसी शिमला–5

पी.जी.एस.–भारत जैविक प्रमाणन के अंतर्गत फसल उत्पादन के लिए शुल्क मानदंड (वार्षिक)

(रूपये में)

क्रमांक	घटक	किसान/व्यक्तिगत		किसानों का समूह	
		<2.00 हेक्टेयर	>2.00 हेक्टेयर	5-10 संख्या*	>10 संख्या और बड़ा सन्निहित क्षेत्र*
1	आवेदन पत्र के साथ सूचना पैक	100	100	100	100
2	प्रारंभिक मूल्यांकन और फाइल शुल्क	100	150	250	350
3	पंजीकरण	200	500	2000	5000
4	निरीक्षण प्रति दिन	500	1000	1500	2000
5	यात्रा व्यय (भोजन/आवास और स्थानीय वाहन सहित)	बोर्डिंग और आवास की दरें हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुसार तथा वाहन शुल्क, परिवहन विभाग–हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार।			
6	स्कोप सर्टिफिकेट	800	1200	1500	2000
7	लेनदेन प्रमाणपत्र	800	1200	1500	2000
8	लैब टेस्ट/ रासायनिक विश्लेषण	वास्तविक लागत			
9	सेवा कर	वास्तविक लागत			
10	वार्षिक नवीनीकरण शुल्क	पंजीकरण शुल्क का 50% + प्रथम वर्ष के अनुसार अन्य शुल्क			
11	डुप्लीकेट स्कोप/ लेनदेन प्रमाणपत्र	मूल शुल्क का 50%			
12	अपील के लिए शुल्क	500 प्रति अपील			

*यदि समूह किसी सरकारी परियोजना के अधीन है। तो शुल्क, परियोजना लागत मानदंड के अनुसार है।

टिप्पणिः–

1. उपरोक्त शुल्क समय पर परिवर्तनीय होगें।
2. आवश्यकता पड़ने पर एन.ए.बी.एल. अधिमान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में मिट्टी, पानी, बीज, पौधे के हिस्से, आदान एवं अंतिम रूप से तैयार/प्राप्त उत्पाद के नमूने भेजे जायेंगे।

HPSSOPCA

10.2 वापसी योग्य (Refundable) एवं ना–वापसी योग्य (Non-Refundable) शुल्क

10.2.1 वापसी योग्य शुल्क (Refundable Fees) :

i- प्रचालक (ऑपरेटर) के आवेदन–पत्र का संस्था द्वारा आकलन/ मूल्यांकन (assessment) करने के पूर्व ही यदि प्रचालक (ऑपरेटर) द्वारा आवेदन वापस (Withdraw) लिया जाता है, तो उसे इन्फोपैक का मूल्य काटते हुए लिये गये शुल्क की शेष राशि वापिस की जा सकेगी।

ii- प्रचालक (ऑपरेटर) के आवेदन–पत्र का संस्था द्वारा आकलन/ मूल्यांकन (assessment) करने के पश्चात किन्तु निरीक्षण के पूर्व यदि प्रचालक (ऑपरेटर) द्वारा आवेदन वापिस लिया जाता है तो उसे इन्फोपैक एवं आकलन/ मूल्यांकन (assessment) शुल्क काटते हुए लिए गये शुल्क की शेष राशि वापिस की जा सकेगी।

iii- प्रचालक (ऑपरेटर) यदि निरीक्षण पश्चात किन्तु प्रमाणीकरण निर्णय के पूर्व आवेदन वापस लेता है, तो उसे इन्फोपैक शुल्क, आकलन शुल्क एवं निरीक्षण शुल्क काटते हुए शेष वापिसी योग्य राशि वापिस की जा सकेगी।

10.2.2 ना–वापसी योग्य शुल्क (Non-Refundable Fees) :

i- इन्फोपैक का शुल्क किसी भी दशा में वापिस नहीं किया जाएगा।

ii- संस्था द्वारा प्रमाणीकरण प्रक्रिया से संबंधित समस्त चरण (steps) संपन्न हो जाने के पश्चात लिए गये शुल्क का कोई भी हिस्सा प्रचालक (ऑपरेटर) को वापस नहीं किया जा सकेगा। इसी प्रकार प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने पश्चात यदि संस्था द्वारा यदि प्रमाणीकरण बावत् मना (deny), निलंबित/बाहर किया जाता है तो भी लिया गया शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा।

HPSOPCA

10.3 टिप्पणि:-

1. कर अतिरिक्त होंगे, जैसा कि समय–समय पर लागू होता है।
2. टैरिफ/फीस करों के अलावा है, ऑपरेटर/सेवा प्रदाता को सेवा कर और संबंधित सरकार/विभाग/प्राधिकरण/एजेंसी द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य लागू कर/सेवा शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता है।
3. निरीक्षण से पहले अग्रिम भुगतान के रूप में कुल अनुमानित लागत का 80% भुगतान अग्रिम। शेष लागत (सभी सहित) का भुगतान अंतिम रिपोट के साथ संलग्न विस्तृत चालान के आधार पर रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने पर किया जाना है, लेकिन अंतिम स्कोप प्रमाण पत्र के निर्माण से पहले।
4. उपरोक्त शुल्क संरचना के आधार पर, प्रत्येक निरीक्षण से पहले कुल लागत का विस्तृत अनुमान भेजा जाएगा। परिचालक/सेवा प्रदाता/परियोजना प्रतिनिधि को निरीक्षण से पहले लागत अनुमान का अनुमोदन करना होता है।
5. दरें केवल भारतीय रूपये(INR) में हैं।
6. एच.पी.एस.एस.ओ.पी.सी.ए. द्वारा प्रत्येक परियोजना से संबंधित टेलीफोन/मोबाइल/इंटरनेट/फैक्स/कूरियर/फोटोकॉपी की लागत शामिल है।
7. सरकारी प्रायोजित उत्पादक समूह परियोजनाओं के लिए लैब विश्लेषण यदि कोई हो का छोड़कर, परियोजना के लिए समझौते के अनुसार शुल्क लिया जाएगा।
8. ऑपरेटरों के नवीनीकरण के लिए विलंब शुल्क न्यूनतम रु0 500/– प्रति माह।
9. यदि बड़ी कमियों के कारण ऑपरेटर एक आवश्यक अतिरिक्त निरीक्षण (या–निरीक्षण) के लिए जिम्मेदार है (उदाहरण के लिए अवैध साधनों का उपयोग या प्रमाणन समिति द्वारा लगाए गए अतिरिक्त निरीक्षण गंभीर गैर–अनुपालनों का पता लगाने के कारण या अन्य कारणों से जिसके लिए ऑपरेटर जिम्मेदार है) HPSSOPCA अतिरिक्त शुल्क मांगेगा। इनकी गणना लागत के आधार पर की जाएगी (जैसे निरीक्षक के लिए दैनिक दरें, यात्रा लागत, प्रयोगशाला लागत आदि।
10. ऑपरेटर की कमियों के कारण, गुम या गलत जानकारी के कारण निरीक्षण और प्रमाणीकरण के लिए अतिरिक्त समय, या उन सेवाओं के लिए जो प्रारंभिक प्रस्ताव में शामिल नहीं होने पर अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।
11. गर्वनिंग बोर्ड (GB) / अध्यक्ष, एच. पी. एस. एस. ओ. पी. सी. ए.(Chairman, HPSSOPCA) के पास फीस बढ़ाने या घटाने के सभी अधिकार सुरक्षित हैं।

HPSSOPCA

प्रारूप–1

किसान पंजीकरण के लिए आवेदन प्रारूप

(व्यक्तिगत किसान के लिए प्रारूप)

किसान का फोटो चिपकाएँ

सेवा में
क्षेत्रीय परिषद का नाम ....
राज्य ....।

विषयः– पी.जी.एस.–इंडिया कार्यक्रम के तहत व्यक्तिगत किसान के पंजीकरण के लिए अनुरोध।

महोदय,

मैं अपनी उपज के लिए जैविक भागीदारी गारंटी प्रणाली विकसित करने के लिए व्यक्तिगत किसान के रूप में पीजीएस–इंडिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तैयार हूं।

व्यक्तिगत किसान का नाम ....

जैविक में शामिल किया जाने वाला कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर): ....

व्यक्तिगत किसान ने आवेदन और पीजीएस प्रतिज्ञा पहले ही प्राप्त और अपलोड कर दी है।

सभी प्रकार से पूर्ण कृषि इतिहास पत्रक व्यक्तिगत किसान पहले ही प्राप्त कर चुके हैं और अपलोड कर चुके हैं।

- मैं .... व्यक्तिगत रूप से घोषणा करता हूँ किः
- मैंने पीजीएस–इंडिया कार्यक्रम को अच्छी तरह से पढ़ और समझ लिया है और घोषित करता हूँ कि मैं पीजीएस–इंडिया ऑपरेशनल मैनुअल के तहत निर्दिष्ट सभी गतिविधियों को करने की स्थिति में हूँ।
- मैंने पीजीएस–इंडिया ऑपरेशनल मैनुअल और पीजीएस–इंडिया स्टैंडर्ड्स की प्रति प्राप्त कर ली है और समझ लिया है।
- मैं यह सुनिश्चित करने का वचन देता /देती हूँ कि पीजीएस–इंडिया दिशानिर्देशों का अक्षरशः पालन करूंगा/करूंगी।
- मैंने पीजीएस–इंडिया कार्यक्रम पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है और सहकर्मी समीक्षकों के रूप में कार्य करने की स्थिति में हूँ।
- मैं पास के स्थानीय समूह/आरसी/हितधारकों के साथ कम से कम दो माह में एक बार (साल में कम से कम 6 बार) बैठकें आयोजित/सांझा करने का वचन देता/देती हूँ।
- मैं पीजीएस–इंडिया कार्यक्रम के समय–समय पर जारी क्षेत्रीय परिषद के निर्देश/दिशानिर्देश का पालन करने का वचन देता/देती हूँ।
- मैं क्षेत्रीय परिषद के निर्णय का पालन करने का वचन देते हैं और कार्यक्रम का छवि निर्माण की दिशा में काम करेंगे।
- मैं प्रशासनिक उद्देश्य के लिए सभी दस्तावेजी आवश्यकतानुसार जब भी आवश्यकता होगी पूरा करूंगा/करूंगी। पीजीएस–इंडिया कार्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार प्रमाणन दल का विवरण (आरसी/हितधारकों के साथ गठित) हर मौसम में क्षेत्रीय परिषद को सूचित किया जाएगा। पीजीएस–इंडिया वेबसाइट पर डेटा अपलोड करने के लिए मेरे पास आवश्यक सुविधाएं और क्षमताएं उपलब्ध हैं और यह मेरे द्वारा किया जाएगा।

  या

  मैं क्षेत्रीय परिषद से अनुरोध करता/करती हूँ कि कृपया ऐसी सभी सुविधाएं प्रदान करें और इसके लिए मैं सभी विवरण क्षेत्रीय परिषद को हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराएंगे (केवल वही जो किसी योजना के अधीन नहीं है)।
- अतः अनुरोध है कि कृपया मुझे अधिकृत व्यक्तिगत किसान के रूप में स्वीकार करें और मुझे आवश्यक पंजीकरण, यूजर आईडी और पास वर्ड आदि प्रदान करें।

हस्ताक्षर
किसान का नाम ....

HPSSOCA

जैविक प्रतिज्ञा

मैं .... पुत्र/पुत्री ....
गाँव .... ब्लॉक .... जिला ....
राज्य .... से ताल्लुक रखता/रखती हूँ और घोषित करता/करती हूँ किः

- मैं फसल उत्पादन और पशुधन पालन/प्रसंस्करण में पीजीएस जैविक मानकों का पालन करूंगा/करूंगी ताकि मिट्टी, पर्यावरण, फसलों, पशुधन, मेरे परिवार और समुदाय के दीर्घकालिक स्थिरता, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सिंथेटिक इनपुट मुक्त उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित की जा सके। मुझे पीजीएस मानकों और स्थानीय समूह संचालन मैनुअल की एक प्रति प्राप्त हुई है।
- मैं पीजीएस कार्यक्रम के तहत लाए गए अपने कृषि कार्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी सिंथेटिक इनपुट (जैसे रासायनिक कीटनाशक, कीटनाशक, शाकनाशी, कवकनाशी, रासायनिक उर्वरक, विकास नियामक और सिंथेटिक हार्मोन आदि) का उपयोग नहीं करूंगा/करूंगी।
- मैं पशुधन सहित अपने पूरे खेत संचालन को जैविक (या 24 महीने की अवधि के भीतर) के तहत लाने के लिए प्रतिबद्ध हूं।
- मैं किसी भी ऑफ–फार्म उत्पाद का उपयोग करने से पहले जिसकी जैविक स्थिति के बारे में अनिश्चित हूँ। क्षेत्रिय परिषद/स्थानीय समूह/ आँचलिक परिषद से जानकारी प्राप्त करूंगा/करूंगी।
- मैं अपने साथी किसानों/गांव के साथ स्थानीय समूह में या व्यक्तिगत रूप से मानकों और जैविक उत्पादन तकनीकों के बारे में अपने ज्ञान का विस्तार और साझा करने के लिए बैठकों और प्रशिक्षणों में भाग लूंगा/लूंगी व काम करूंगा/करूंगी।
- मैं फसल चक्र, जैविक खाद, कवर फसल और हरी खाद जैसे पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ कृषि पद्धतियों के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता का निर्माण करने के लिए काम करूंगा/करूंगी।
- मैं अपने पशुओं की देखभाल इस तरह से करूंगा/करूंगी जिससे पीजीएस जैविक मानकों के पूर्ण अनुपालन में उनकी भलाई सुनिश्चित हो सके।
- मैं केवल हमारे जैविक उत्पादों की कटाई, परिवहन और बेचने के लिए केवल स्वच्छ और स्पष्ट रूप से जैविक लेबल वाले बैग और कंटेनरों का उपयोग करूंगा/करूंगी।
- मैं उपयुक्त बफर और अन्य माध्यमों से संदूषण को रोकने के लिए काम करूंगा/करूंगी।
- मैं अपनी कृषि प्रणाली के माध्यम से जैव विविधता को प्रोत्साहित करूंगा/करूंगी।
- मैं उत्पादों को जैविक के रूप में तभी बेचूंगा/बेचूंगी जब वे प्रमाणित भूमि पर उगाए गए हों, और पीजीएस जैविक मानकों के अनुसार उगाए गए हों।
- मैं यह सुनिश्चित करूंगा/करूंगी कि भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन और बिक्री के दौरान फार्म पर गैर–जैविक रूप से उगाए गए उत्पादों के साथ जैविक रूप से उगाए गए उत्पादों का कोई संदूषण या मिश्रण न हो।
- मैं अपनी प्रमाणन स्थिति के संबंध में क्षेत्रिय परिषद/स्थानीय समूह/गाँव के निर्णय को स्वीकार करने के लिए सहमत हूँ।
- मैं समूह मानदंडों के अनुसार अन्य फार्मों के मूल्यांकन में भाग लूँगा/लूँगी।
- मैं अपने खेत पर जैविक मानकों का मामूली या अनजाने में गैर–अनुपालन भी अपने स्थानीय समूह/आरसी/सहकर्मी निरीक्षण समिति को रिपोर्ट करूंगा/करूंगी।
- मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र और फार्म हिस्ट्री शीट में दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि पुनरीक्षण (सहकर्मी मूल्यांकन) के दौरान मैं पुनरीक्षक (सहकर्मी समीक्षकों) के साथ पूरा सहयोग करूंगा/करूंगी। और अपने और अपने परिवार के सर्वोत्तम ज्ञान के लिए सही जानकारी प्रदान करूंगा/करूंगी और प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी बदलाव के साथ मैं अपनी जानकारी को अपडेट रखूँगा/रखूँगी।

तारीख
स्थान

हस्ताक्षर
किसान का नाम ....

नोटः प्रत्येक व्यक्तिगत किसान के लिए इस जैविक प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करना और इसे रिकॉर्ड करना अनिवार्य है।

HPSOPCA

किसान इतिहास पत्र

प्रारूप–3

किसान का व्यक्तिगत विवरणः–

1	किसान का नाम :	
2	पिता/पति का नाम :	
3	12 अंकों की आधार संख्या :	
4	श्रेणी (जनरल/ओबीसी/एससी/एसटी) :	
5	किसान की आयु :	
6	लिंग (पुरुष/महिला) :	
7	मोबाइल :	
8	बैंक खाते का नाम :	
9	बैंक खाता संख्या :	
10	बैंक IFSC कोड :	
11	ईमेल आईडी :	

सरकार द्वारा जारी किसी भी आईडी कार्ड के अनुसार पताः–

1	जिला	
2	खंड	
3	उप जिला	
4	गांव/शहर	
5	घर का नंबर	
6	सीमा चिन्ह	

पंजीकरण के लिए

1. प्रमाणन पंजीकरण (खेत फसलों/लाइव स्टॉक) के लिए ....

किसान भूमि और अन्य जानकारी

- कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) ....
- जैविक क्षेत्र के लिए प्रस्तावित (हेक्टेयर) ....
- भू–स्वामित्व (किराए पर/स्वयं/पट्टा) ....
- प्लॉट संख्या : .... प्लॉट का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) ....
- खसरा नं. .... अक्षांश में डी.डी. .... देशांतर में डी.डी.: ....
- खसरा नं. .... अक्षांश में डी.डी. .... देशांतर में डी.डी.: ....
- खसरा नं. .... अक्षांश में डी.डी. .... देशांतर में डी.डी.: ....
- खसरा नं. .... अक्षांश में डी.डी. .... देशांतर में डी.डी.: ....
- पशुधन विवरणः नाम (गाय/भैंस/भेड़/मुर्गी/आदि,) ....
  और इसकी संख्या ....
- सिंचित भूमि असिंचित भूमि ....
- अपनाई गई सिंचाई के तरीकेः ....
- मशीनरी और उपकरण का नाम/उपकरण विवरण ....
- गोदाम/भंडारण इकाई की संख्या यदि मौजूद है ....
- गोदाम/भंडारण इकाई की क्षमता ....
- कम्पोस्ट/खाद बनाने की सुविधा का नाम .... और इसका उत्पादन .... मात्रा टन/वर्ष
- रासायनिक/निषिद्ध पदार्थों के प्रयोग की अंतिम तिथि ....
- प्रसंस्करण सुविधा का नाम यदि मौजूद है ....
- यदि कोई अन्य सुविधा विवरण ....

HPSSOPCA

विवरण	**ग्रीष्म ऋतु ; फसल उत्पादन और प्रक्रियाएँ** (पिछले एक वर्ष का विवरण आवश्यक है)				
खेती की जाने वाली फसलों के नाम					
क्षेत्र (हेक्टेयर में)					
उर्वरक (रासायनिक / जैव उर्वरक) प्रयुक्त					
प्रयुक्त रसायन उर्वरक का नाम	इस्तेमाल किए गए बैग की संख्या	वजन प्रति बैग (किलो / बैग)	प्रयुक्त जैवउर्वरक का नाम	इस्तेमाल किए गए / पैकेट / बोतलें, बैग की संख्या	प्रयुक्त प्रति / पैकेट / बोतल प्रयुक्त बैग (लीटर / किग्रा)
पौध संरक्षण प्रयुक्त					
प्रयुक्त रसायनों का नाम	मात्रा (किग्रा / लीटर)	उपयोग किया गया वनस्पति अर्क का नाम मात्रा	मात्रा (किग्रा / लीटर)	उपयोग किया गया जैव कीटनाशक का नाम	मात्रा (किग्रा / लीटर)
कोई अन्य उपयोग किया गया इनपुट (खाद / हरी खाद / वर्मीवाश / आईटीके आदि)					
इनपुट का नाम	मात्रा (किग्रा / लीटर)	इनपुट का नाम	मात्रा (किग्रा / लीटर)	इनपुट का नाम	मात्रा (किग्रा / लीटर)

HPSOPCA

विवरण	बरसात का मौसम ; फसल उत्पादन और प्रक्रियाएँ (पिछले एक वर्ष का विवरण आवश्यक है)				
खेती की जाने वाली फसलों के नाम					
क्षेत्र (हेक्टेयर में)					
उर्वरक (रासायनिक / जैव उर्वरक) प्रयुक्त					
प्रयुक्त रसायन उर्वरक का नाम	इस्तेमाल किए गए बैग की संख्या	वजन प्रति बैग (किलो / बैग)	प्रयुक्त जैवउर्वरक का नाम	इस्तेमाल किए गए / पैकेट / बोतलें, बैग की संख्या	प्रयुक्त प्रति / पैकेट / बोतल प्रयुक्त बैग (लीटर / किग्रा)
पौध संरक्षण प्रयुक्त					
प्रयुक्त रसायनों का नाम	मात्रा (किग्रा / लीटर)	उपयोग किया गया वनस्पति अर्क का नाम मात्रा	मात्रा (किग्रा / लीटर)	उपयोग किया गया जैव कीटनाशक का नाम	मात्रा (किग्रा / लीटर)
कोई अन्य उपयोग किया गया इनपुट (खाद / हरी खाद / वर्मीवाश / आईटीके आदि)					
इनपुट का नाम	मात्रा (किग्रा / लीटर)	इनपुट का नाम	मात्रा (किग्रा / लीटर)	इनपुट का नाम	मात्रा (किग्रा / लीटर)

HPSOPCA

विवरण	**रबी सीजन ; फसल उत्पादन और प्रक्रियाएँ** (पिछले एक वर्ष का विवरण आवश्यक है)				
खेती की जाने वाली फसलों के नाम					
क्षेत्र (हेक्टेयर में)					
उर्वरक (रासायनिक/जैव उर्वरक) प्रयुक्त					
प्रयुक्त रसायन उर्वरक का नाम	इस्तेमाल किए गए बैग की संख्या	वजन प्रति बैग (किलो/बैग)	प्रयुक्त जैवउर्वरक का नाम	इस्तेमाल किए गए/पैकेट/बोतलें, बैग की संख्या	प्रयुक्त प्रति/पैकेट/बोतल प्रयुक्त बैग (लीटर/किग्रा)
पौध संरक्षण प्रयुक्त					
प्रयुक्त रसायनों का नाम	मात्रा (किग्रा/लीटर)	उपयोग किया गया वनस्पति अर्क का नाम मात्रा	मात्रा (किग्रा/लीटर)	उपयोग किया गया जैव कीटनाशक का नाम	मात्रा (किग्रा/लीटर)
कोई अन्य उपयोग किया गया इनपुट (खाद/हरी खाद/वर्मीवाश/आईटीके आदि)					
इनपुट का नाम	मात्रा (किग्रा/लीटर)	इनपुट का नाम	मात्रा (किग्रा/लीटर)	इनपुट का नाम	मात्रा (किग्रा/लीटर)

HPSSOPCA

व्यक्तिगत किसान का अनुमोदन

प्रारूप–4

विवरण	विवरण पता और टिप्पणियाँ
अनुमोदन करने वाली एजेंसी का नाम (राज्य सरकार प्राधिकरण/क्षेत्रीय परिषद/स्थानीय पीजीएस समूह)	
अनुमोदित किए जा रहे व्यक्ति का नाम	
अनुमोदन की तिथि	
व्यक्ति दिशा–निर्देशों के अनुसार पीजीएस–इंडिया कार्यक्रम लेने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हैं	हाँ/नही
व्यक्तिगत किसान पीजीएस–इंडिया कार्यक्रम की आवश्यकता को पूरा करता है और जैविक के लिए पूर्ण समर्पण के साथ भरोसा किया जाता है।	हाँ/नही
किसान पीजीएस मानकों, परिचालन आवश्यकताओं के बारे में पूरी तरह से अवगत हैं और पुनरीक्षण (सहकर्मी मूल्यांकन) कर सकता हैं।	हाँ/नही
कृपया विवरण प्रदान करें कि व्यक्ति किस प्रकार से ऑनलाइन डेटा अपलोड करने का कार्य करने का प्रस्ताव करता है।	स्वामित्व/एसपी/एफए/राज्य सरकार की एजेंसी/क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से

मैं/हम .... (अनुमोदक का नाम और पता) आश्वस्त है/हैं कि व्यक्तिगत किसान जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है पीजीएस–इंडिया परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करता है, तथा पीजीएस–इंडिया मानकों और सहकर्मी मूल्यांकन रणनीति से अच्छी तरह वाकिफ है और पीजीएस–इंडिया ऑर्गेनिक गारंटी योजना की कार्यान्वयन रणनीति को आगे बढ़ा सकता है। व्यक्तिगत किसान को जानते हैं और उन पर भरोसा किया जा सकता है। अतः पीजीएस–इंडिया कार्यक्रम के तहत पंजीकरण प्रदान करने हेतु अनुमोदन करते हैं।

तारीख　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　हस्ताक्षर

स्थान　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(अनुमोदक का नाम और पता)

जी पी एस निर्देशांक के साथ फार्म/फील्ड मानचित्र का फोटो

HPSSOPCA

क्षेत्रीय परिषद के साथ स्थानीय समूह (एल.जी.) पंजीकरण के लिए आवेदन

सेवा

....

.... (क्षेत्रीय परिषद का नाम)

पता ....

....

विषयः– पीजीएस–इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय समूह के पंजीकरण के लिए अनुरोध।

महोदय,

हम .... (स्थानीय समूह का नाम और पता) के सदस्य, हमारी उपज के लिए जैविक भागीदारी गारंटी प्रणाली विकसित करने के लिए स्थानीय समूह के रूप में पीजीएस–इंडिया कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक हैं। समूह का विवरण इस प्रकार हैः

समूह का नाम ....

किसानों की कुल संख्या (किसानों की सूची संलग्न करें, प्रत्येक सदस्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित) ....

कवर किया जाने वाला कुल क्षेत्रफल ....

व्यक्तिगत किसान सदस्यों के संबंध में आवेदन और पीजीएस प्रतिज्ञा की प्रति क्रमांक .... से .... पर संलग्न है।

प्रत्येक किसान के लिए व्यक्तिगत रूप से सभी प्रकार से पूर्ण फार्म हिस्ट्री शीट क्रमांक .... से .... पर संलग्न है।

हम .... (स्थानीय समूह का नाम) के सदस्य सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से घोषणा करते हैं किः

- हमने पीजीएस–इंडिया कार्यक्रम को अच्छी तरह से पढ़ और समझ लिया है और घोषणा करते हैं कि समूह स्थानीय समूह की सभी गतिविधियों को करने की स्थिति में है, जैसा कि पीजीएस–इंडिया परिचालन मैनुअल के तहत निर्दिष्ट है।
- हमने पीजीएस–इंडिया ऑपरेशनल मैनुअल और पीजीएस–इंडिया स्टैंडर्ड्स की कॉपी प्राप्त कर ली है और सभी सदस्यों को समझा दिया है। प्रत्येक सदस्य को स्थानीय भाषा में मानकों की एक प्रति भी प्रदान की गई है।
- प्रत्येक सदस्य ने समूह के सदस्यों के सामने पीजीएस प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए हैं और हम सामूहिक रूप से यह सुनिश्चित करने का वचन देते हैं कि सभी सदस्य पीजीएस–इंडिया दिशानिर्देशों का अक्षरशः पालन करेंगे।
- समूह के .... सदस्य (नाम और पते के साथ सूची संलग्न करें) पीजीएस–इंडिया कार्यक्रम पर प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और पुनरीक्षण (सहकर्मी समीक्षक) के रूप में कार्य करने की स्थिति में हैं।
- हम कार्यक्रम की प्रगति पर चर्चा करने और संपर्कों, प्रशिक्षणों या अन्यथा से अर्जित एक दूसरे के अनुभव को साझा करने के लिए दो महीने में कम से कम एक बार (वर्ष में कम से कम 6 बार) समूह की बैठकें आयोजित करने का वचन देते हैं।
- सभी किसानों ने .... महीनों के समय में पीजीएस इंडिया कार्यक्रम के तहत मवेशियों के साथ अपनी पूरी भूमि जोत लाने के लिए प्रतिबद्ध किया है।
- हम पीजीएस–इंडिया कार्यक्रम/क्षेत्रिय परिषद द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों का पालन करने का वचन देते हैं।

HPSSOPCA

- हम क्षेत्रीय परिषद के निर्णय का पालन करने का वचन देते हैं और कार्यक्रम की छवि निर्माण की दिशा में काम करेंगे।
- प्रशासनिक उद्देश्य के लिए हमने अपनी प्रमाणन टीम का चयन/गठन किया है जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं और हम प्रमाणन टीम के सदस्यों को पीजीएस–इंडिया कार्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार सभी दस्तावेजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिकृत करते हैं।
- प्रमाणन निर्णयों के अलावा, प्रत्येक टीम के सदस्यों की भूमिका और जिम्मेदारी का उल्लेख प्रत्येक नामित व्यक्ति के समक्ष किया गया हैः
- श्री .... समूह नेता,
- श्री .... प्रशिक्षण और बैठक समन्वयक,
- श्री .... पुनरीक्षण (सहकर्मी समीक्षा) सुविधाकर्ता,
- श्री .... प्रलेखन प्रभारी,
- श्री .... जनसंपर्क और आरसी समन्वयक।
- पीजीएस–इंडिया वेबसाइट पर डेटा अपलोड करने के लिए हमारे पास आवश्यक सुविधाएं और सक्षमताएं उपलब्ध हैं और हम इसे स्वयं करेंगे।

या

- हमने डेटा अपलोड करने के लिए एजेंसी (एजेंसी का नाम दें) की सेवाएं ली हैं और संबंधित एजेंसी ने आरसी से सभी आवश्यक विवरण प्राप्त कर लिए हैं।

या

- हम क्षेत्रीय परिषद से अनुरोध करते हैं कि कृपया ऐसी सभी सुविधाएं प्रदान करें और इसके लिए हम सभी विवरण क्षेत्रीय परिषद को हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराएंगे (जब समूह किसी योजना के अन्तर्गत न हो)।
- .... (आरसी का नाम) से अनुरोध है कि कृपया हमारे समूह को अधिकृत स्थानीय समूह के रूप में स्वीकार करें और हमें आवश्यक पंजीकरण, यूजर आईडी और पास वर्ड आदि प्रदान करें।

हस्ताक्षर और नाम

सदस्य 1 सदस्य 2 सदस्य 3 सदस्य 4 सदस्य 5

समूह के नेता के हस्ताक्षर
नाम ....

HIPSSOPCA

पीजीएस–इंडिया के तहत पीजीएस–इंडिया क्षेत्रीय परिषद और स्थानीय समूह के बीच निष्पादित होने वाले समझौते का प्रारूप

(रुपये 20/– या उससे अधिक गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करने के लिए)

वर्ष दो हजार .... के .... (माह) के .... दिन को ....
(क्षेत्रीय परिषद का नाम) (इसके बाद आरसी कहा जाता है, जिसमें अभिव्यक्ति में उनके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे) एक तरफ और ....

....

दूसरी तरफ (व्यक्तिगत किसान/स्थानीय समूह का नाम और पता) {इसके बाद कहा जाएगा उक्त एलजी किस अभिव्यक्ति में उनके उत्तराधिकारी, प्रशासक, निष्पादक और कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे} के बीच किया गया समझौता।

जबकि उक्त एल.जी./व्यक्तिगत किसान ने पीजीएस–इंडिया कार्यक्रम के प्रावधानों के तहत पीजीएस–इंडिया परिचालन दिशानिर्देशों और व्यक्तिगत किसान/स्थानीय समूहों के लिए पीजीएस संदर्भ की शर्तों (टी.ओ.आर.) में निर्धारित और विस्तृत विवरण दिया है (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में संदर्भित समय–समय पर किए गए संशोधन/सुधार भी इसमें शामिल और लागू होंगे) ने व्यक्तिगत किसान/एलजी के रूप में पंजीकरण के अनुदान के लिए ....
क्षेत्रीय परिषद को आवेदन किया है और जबकि ....
(क्षेत्रीय परिषद का नाम) ....
(स्थानीय समूह का नाम/व्यक्तिगत किसान) को टी.ओ.आर. में निर्धारित नियमों और शर्तों पर पीजीएस–इंडिया स्थानीय समूह के रूप में अधिकृत करने के लिए सहमत हो गया है, अब यह सहमत है कि:

1. पीजीएस–इंडिया लोकल ग्रुप के रूप में मैसर्स .... (स्थानीय समूह नाम/व्यक्तिगत किसान) कार्यकारी सचिव पीजीएस इंडिया प्रोग्राम द्वारा और उसकी ओर से निर्धारित स्थानीय समूहों के लिए परिचालन दिशानिर्देशों और टी.ओ.आर. का पालन करेंगे और .... (आरसी का नाम) पीजीएस–इंडिया कार्यक्रम की सच्ची भावना में प्रदर्शन करने का वचन देंगे। उक्त नियम के अनुसार व्यक्तियों या संगठनों के प्रति बिना किसी व्यक्तिगत हित के पूरी प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी के साथ और इसके द्वारा कार्यकारी सचिव पीजीएस–इंडिया और .... (आरसी का नाम) को उल्लंघन की स्थिति में उक्त नियमों के अनुसार कोई भी उचित कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करते हैं।
2. .... (आरसी का नाम) एतद्द्वारा घोषित करता है कि चूंकि .... (स्थानीय समूह का नाम/व्यक्तिगत किसान) ने पीजीएस–इंडिया कार्यक्रम के तहत निर्धारित सभी आवश्यक आवश्यकताएं पूरी कर ली हैं और स्थानीय समूह/व्यक्तिगत किसान के लिए टी.ओ.आर. के अनुसार समूह को पंजीकरण प्रमाण पत्र में दिए गए विवरण के अनुसार पीजीएस–इंडिया कार्यक्रम के तहत पंजीकरण प्रदान किया गया है।
3. ....(आरसी का नाम) उक्त स्थानीय समूह/व्यक्तिगत किसान को साहित्य, परिचालन मैनुअल की प्रतियों, मानकों और क्षमता निर्माण गतिविधियों के संदर्भ में सभी सहायता प्रदान करने का वचन देता है, जिसमें मानकों के कार्यान्वयन, पुनरीक्षण (सहकर्मी समीक्षा), समीक्षा परिणामों के विश्लेषण और निर्णय लेने में स्थानीय समूह के सदस्यों /व्यक्तिगत किसान की क्षमता का विकास शामिल है।
4. .... (स्थानीय समूह का नाम/व्यक्तिगत किसान) निगरानी और सत्यापन के लिए आरसी के अधिकृत व्यक्तियों को सभी दस्तावेजों, खेतों, स्टोर हाउस, प्रसंस्करण इकाइयों, मवेशी घरों, चारा भंडारण आदि के लिए सभी सहायता और पहुंच निरिक्षण प्रदान करने का वचन देता है। स्थानीय समूह/व्यक्तिगत किसान हर सीजन के अंत में या साल में कम से कम दो बार आरसी को जरूरी स्थानीय समूह/व्यक्तिगत किसान समरी शीट के साथ सभी पीयर अप्रेजल शीट्स की प्रतियां उपलब्ध कराएगा और आरसी द्वारा अधिकृत निगरानी में आवश्यक सहयोग और सहायता प्रदान करेगा।

HPSOPCA

5. .... (स्थानीय समूह का नाम/व्यक्तिगत किसान) घोषणा करते हैं कि वे अपनी सभी सूचनाओं और दस्तावेजों को आरसी, आँचलिक परिषद या पीजीएस–सचिवालय के किसी भी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए आसान पहुंच में रखेंगे व सहयोग करेंगे।
6. ....(आरसी का नाम) और .... (स्थानीय समूह/व्यक्तिगत किसान का नाम) ने आरसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए वित्तीय भुगतान सहित पारस्परिक कार्य व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है और हमारे समझौते का पालन करने के लिए सहमत हैं।
7. यह समझा जाता है कि स्थानीय समूह/व्यक्तिगत किसान या आरसी का भारत सरकार या पीजीएस–भारत सचिवालय से किसी भी वित्तीय सहायता के लिए कोई दावा नहीं होगा।
8. कार्यकारी सचिव, पीजीएस–भारत, सचिवालय को स्थानीय समूहों/व्यक्तिगत किसान के कामकाज की निगरानी, सत्यापन और निगरानी का पूरा अधिकार होगा।
9. .... (स्थानीय समूह/व्यक्तिगत किसान का नाम) पीजीएस–इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय समूह/व्यक्तिगत किसान के रूप में पंजीकृत होने पर एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि वे पीजीएस–इंडिया के अलावा किसी अन्य प्रमाणीकरण प्रक्रिया जिसमें अन्य गैर–सरकारी एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे समान पीजीएस कार्यक्रम भी शामिल हैं वे आरसी/पीजीएस–भारत सचिवालय के पूर्वानुमोदन के हिस्सा नहीं होंगे।

एतद्द्वारा आगे यह सहमति और घोषणा की जाती है कि .... स्थानीय समूह/व्यक्तिगत किसान का नाम और .... आरसी का नाम पीजीएस–इंडिया कार्यक्रम की छवि निर्माण की दिशा में एक साथ प्रभावी ढंग से काम करेंगे और ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेंगे जो कार्यक्रम की प्रतिष्ठा को कम या धूमिल करे और/या जैविक गारंटी की अखंडता को खतरे/संकट में डाले। इसके अलावा यह भी घोषित किया जाता है कि स्थानीय समूह/व्यक्तिगत किसान के किसी भी भागीदार और आरसी का पीजीएस–इंडिया ऑर्गेनिक गारंटी प्रक्रिया के कामकाज में हितों का कोई टकराव नहीं है।

हस्ताक्षरित

क्षेत्रीय परिषद	स्थानीय समूह के नेता/व्यक्तिगत किसान के हस्ताक्षर
नाम	नाम ....
पता	पता ....
दिनांक	दिनांक ....

गवाह

गवाह 1 (हस्ताक्षर)	गवाह 1 (हस्ताक्षर)
नाम और पता	नाम और पता ....
....	....
गवाह 2 (हस्ताक्षर)	गवाह 2(हस्ताक्षर)
नाम और पता	नाम और पता ....
....	....

HPSOPCA

पीजीएस–इंडिया कार्यक्रम के तहत पंजीकृत व्यक्तिगत किसान/स्थानीय समूहों के लिए संदर्भ की शर्तें

- व्यक्तिगत किसान/समूह पीजीएस–इंडिया व्यक्तिगत किसान के रूप में पंजीकृत होने पर (इसके बाद आईएफ/एलजी के रूप में संदर्भित) यह सुनिश्चित करेगा कि उसने क्षेत्रीय परिषद को निम्नलिखित दस्तावेजों की एक प्रति प्रदान की है:
  1. पंजीकरण के लिए व्यक्तिगत किसान/समूह का आवेदन प्रपत्र
  2. नाम/किसान सदस्यों की सूची व्यक्तिगत आवेदन पत्र की एक प्रति के साथ और विधिवत हस्ताक्षरित पीजीएस–इंडिया प्रतिज्ञा
  3. निर्धारित प्रपत्र में व्यक्तिगत सदस्य की फार्म हिस्ट्री शीट।
  4. यदि सभी सदस्य/व्यक्तिगत किसान अपनी पूरी भूमि जोत और पशु/पशुपालन को एक बार में जैविक के तहत परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, तो 24 महीने के भीतर आवश्यकता को पूरा करने की विस्तृत रूपांतरण योजना
  5. आरसी के साथ करार किया जाना है।
- किसी अन्य पंजीकृत पीजीएस–इंडिया समूह या राज्य सरकार के कृषि/बागवानी विभाग के जिला अधिकारी या स्वयं आरसी या क्षेत्रीय परिषद द्वारा समूह/व्यक्तिगत किसान अनुमोदन की अनिवार्य आवश्यकता है।
- पंजीकरण के समय प्रत्येक किसान को आरसी से निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त करने होंगे
  1. पीजीएस–इंडिया परिचालन मैनुअल की प्रति
  2. स्थानीय भाषा में पीजीएस–इंडिया मानकों की प्रति
  3. सभी प्रपत्रों की प्रति, समकक्ष मूल्यांकन पत्रक और समूह/व्यक्तिगत किसान सारांश पत्र स्थानीय भाषा में
  4. व्यक्तिगत किसान/समूह संचालन मैनुअल, आरसी द्वारा विकसित चेकलिस्ट के साथ (यदि कोई आरसी द्वारा विकसित किया गया हो)
  5. आरसी द्वारा आईएफ/एलजी को प्रदान की जाने वाली सेवाओं और गतिविधियों की सूची।
  6. आर.सी. फसल प्रबंधन, पोषक तत्व प्रबंधन, पौधों की सुरक्षा या किसानों के लिए आवश्यक किसी भी अन्य मुद्दों पर तकनीकी साहित्य की उपलब्धता की सुविधा प्रदान करेंगे।
- व्यक्तिगत किसान/एलजी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और अपने सदस्यों और जैविक खेती और उपभोक्ताओं के अन्य हितधारकों के बीच छवि निर्माण और विश्वास निर्माण की दिशा में काम करेंगे।
- यदि एक व्यक्तिगत किसान/एलजी में केवल पांच सदस्य हैं तो प्रत्येक सदस्य प्रमाणन टीम का हिस्सा होगा। लेकिन अगर समूह बड़ा है तो प्रत्येक व्यक्तिगत किसान को अपनी प्रमाणन टीम चुनने की आवश्यकता है जिसमें पांच सदस्य शामिल हैं:

  1. समूह का नेता
  2. प्रशिक्षण एवं बैठक समन्वयक
  3. पीयर रिव्यू फैसिलिटेटर
  4. प्रलेखन प्रभारी
  5. जनसंपर्क एवं आरसी समन्वयक

  ग्रुप लीडर के पद को घुमाने के साथ हर साल प्रमाणन टीम का चुनाव किया जाता है।

- यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए कि समूह का प्रत्येक सदस्य/व्यक्तिगत किसान पुनरीक्षण (सहकर्मी समीक्षा) प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार हो।
- किसानों का क्षमता निर्माण पीजीएस–इंडिया कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है, प्रत्येक व्यक्तिगत किसान मानकों के पूर्ण अनुपालन के लिए समूह के नेताओं/आरसी के परामर्श से पर्याप्त क्षमता निर्माण उपायों को सुनिश्चित करेगा। प्रत्येक समूह के कम से कम 2 सदस्यों को आरसी द्वारा उचित रूप से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।

HPSSOPCA

- ऐसे मामलों में जहां व्यक्तिगत किसान के पास कंप्यूटर या इंटरनेट तक पहुंच नहीं है या व्यक्तिगत किसान डेटा अपलोड करने में असमर्थ हैं, आरसी/एसपी/एफए को उनकी क्षमता विकसित करने में मदद करने की आवश्यकता है या हार्ड कॉपी में संपूर्ण डेटा प्राप्त करने और वेबसाइट पर अपलोड करने की आवश्यकता है। ऐसे मामलों में व्यक्तिगत किसान को कागज पर हार्ड कॉपी में आरसी/एसपी/एफए को सभी जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है।
- व्यक्तिगत किसान यह सुनिश्चित करेगा कि आरसी के सदस्य समूह/किसान की सामर्थ्य का आकलन करने और उनकी कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में सुधार करने में मदद करने के लिए व्यक्तिगत किसान समूह की बैठकों, व्यक्तिगत किसान प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कुछ पुनरीक्षण (सहकर्मी मूल्यांकन) यात्राओं में भाग लेंगे।
- यद्यपि संपूर्ण पीजीएस डेटा पीजीएस–इंडिया वेबसाइट में ऑनलाइन होगा, लेकिन प्रत्येक व्यक्तिगत किसान यह भी सुनिश्चित करेगा कि रिकॉर्ड की मूल हार्ड कॉपी जैसे व्यक्तिगत किसान सारांश पत्रक, पुनरीक्षण (सहकर्मी मूल्यांकन) पत्रक, प्रत्येक सदस्य इतिहास पत्र के साथ व्यक्तिगत किसान आवेदन, किसान कार्यालय में अलग–अलग सदस्य फाइलों में हार्ड कॉपी में भी बनाए रखें।
- व्यक्तिगत किसान गतिविधियों का अर्धवार्षिक कैलेंडर (जैसे प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, सहकर्मी मूल्यांकन आदि) तैयार करेगा और प्रभावी समन्वय के लिए सभी समूह सदस्यों और आरसी को सूचित करेगा।
- व्यक्तिगत किसान हर बुवाई के मौसम से पहले वार्षिक या अर्धवार्षिक फसल कैलेंडर भी तैयार करेगा जिसमें गतिविधियों का विवरण होगा और आरसी को समय पर सूचित किया जाएगा।
- आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक व्यक्तिगत किसान को वर्ष में कम से कम 2–4 बार (बारहमासी फसल समूह के लिए 2 बार और वार्षिक फसल समूह के लिए वर्ष में 4 बार) अनिवार्य बैठकें वर्ष के प्रमुख समय पर मौसम, फसलों के आधार आदि पर, अनिवार्य बैठकें करनी होंगी। एक/दो पुनरीक्षण (सहकर्मी मूल्यांकन) योजना के लिए और एक/दो निर्णय लेने के लिए और उपस्थिति रजिस्टर और बैठक की कार्यवाही का विवरण बनाए। प्रत्येक सदस्य को ऐसी बैठकों में कम से कम आधी भाग लेना आवश्यक है। ऐसी बैठकों में सदस्यों की भागीदारी कार्यक्रम के प्रति सदस्य की प्रतिबद्धता और आरसी द्वारा प्रमाणन निर्णय के अनुमोदन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाती है।
- सदस्यों की क्षमता का निर्माण जारी रखने के लिए, व्यक्तिगत किसान को कुछ प्रमुख फील्ड डे प्रशिक्षण आयोजित करने की आवश्यकता है। आरसी द्वारा प्रमाणन निर्णय के अनुमोदन के लिए कार्यवाही, उपस्थिति के साथ ऐसे प्रशिक्षणों का विवरण भी एक महत्वपूर्ण घटक है।
- व्यक्तिगत किसान किसी भी समय आरसी/एसपी/एफए/आँचलिक परिषदों या पीजीएस–भारत सचिवालय के प्रतिनिधियों को उनके दौरे के दौरान निगरानी, पर्यवेक्षण और समूहों की क्षमता मूल्यांकन के लिए अपने खेतों और सदस्यों सहित सभी दस्तावेजों, अभिलेखों और सूचनाओं तक पूर्ण पहुंच प्रदान करेगा।
- अलग–अलग किसान एक–दूसरे की प्रक्रियाओं और कार्यप्रणाली का अध्ययन करके और एक–दूसरे के क्षेत्रों में निगरानी करके क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अलग–अलग किसानों के बीच आपसी पहचान और सहयोग सुनिश्चित करेंगे।
- यदि कोई व्यक्तिगत किसान अन्य आरसी में शामिल होना चाहता है, तो समूह को संबंधित आरसी को आवेदन करना होगा या यदि आरसी सहयोग नहीं कर रहा है तो पूरे कारण और औचित्य के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आँचलिक परिषद को आवेदन करना होगा। संतुष्ट होने पर क्षेत्रिय परिषद/आँचलिक परिषद व्यक्तिगत किसान को अन्य क्षेत्रिय परिषद में शामिल होने की अनुमति दे सकता है। ऐसे मामलों में आरसी/जेडसी से एनओसी प्राप्त करने के बाद, वे एनओसी की एक प्रति के साथ अन्य आरसी को पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। उस समूह से संबंधित पूरा रिकॉर्ड उनके अनुरोध पर बिना किसी पूर्वाग्रह या शर्त के नए आरसी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

व्यक्तिगत किसान द्वारा पालन की जाने वाली संपूर्ण प्रमाणन प्रक्रिया इस प्रकार है:
एलजी/व्यक्तिगत किसान द्वारा प्रमाणन प्रक्रिया

चरण 1

- कम से कम 5 किसानों (निरंतर क्षेत्र वाले गांवों से संबंधित) का एक समूह बनाएं/यदि कोई एकल किसान है, वह स्वतंत्र रूप से स्थानीय उपलब्ध एलजी के साथ भाग ले सकता है।
- सभी सदस्यों से पंजीकरण और कृषि इतिहास पत्रक एकत्र करें।
- निकटतम आरसी से पीजीएस मानकों और पीजीएस परिचालन दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करें और सभी सदस्यों को वितरित करें। इन दस्तावेजों को पीजीएस वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- सभी सदस्यों की बैठक बुलाएं और सभी सदस्यों को प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करने के लिए कहें।
- पीजीएस–इंडिया मानदंडों के व्यापक दिशानिर्देशों के आधार पर किसानों द्वारा संधारित किये जाने वाले विस्तृत दस्तावेजों सहित पुनरीक्षण (सहकर्मी मूल्यांकन) पद्धति और मूल्यांकन की जाने वाले जाँच बिन्दू का विवरण देते हुए (व्यक्तिगत किसान/एलजी परिचालन मैनुअल) तैयार करें।
- सुनिश्चित करें कि समूह सदस्य/किसान अपनी पूरी भूमि जोत और पशुधन को जैविक में परिवर्तित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यदि कुछ सदस्य अपनी भूमि को चरणों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव करते हैं तो ऐसी इकाइयों को जैविक इकाइयों से अलग करने के लिए उपयुक्त रणनीति बनाएं। साथ ही चरणबद्ध परिवर्तन की योजना बनाकर क्षेत्रीय परिषद से स्वीकृत कराएं। पीजीएस–इंडिया के मानदंडों के अनुसार प्रत्येक सदस्य को समूह में पंजीकरण की तारीख से 24 महीने के भीतर अपनी पूरी भूमि को पशुधन के साथ जैविक में लाना होता है।
- यदि पीजीएस–इंडिया समूह के तहत कोई किसान निर्धारित 24 महीने के भीतर अपनी पूरी भूमि जोत और पशुधन को परिवर्तित करने में विफल रहता है, तो वह पीजीएस जैविक प्रमाणीकरण के लिए पात्र नहीं होगा और रूपांतरण के तहत बना रहेगा।
    - ➢ समूह गठन को सत्यापित करने और आवश्यक सिफारिशें प्राप्त करने के लिए पहले से पंजीकृत किसी अन्य व्यक्तिगत किसान को आमंत्रित करें। यदि पास में कोई अन्य पीजीएस–व्यक्तिगत किसान नहीं है, तो स्थानीय एसपी/एफए/राज्य कृषि कार्यालय से संपर्क करें, जैविक कृषि पर समूह के सामर्थ्य का प्रदर्शन करें और समर्थन प्राप्त करें। इन सभी के न होने पर क्षेत्रिय परिषद आवेदन करें और क्षेत्रिय परिषद से सत्यापन करने का अनुरोध करें।
- व्यक्तिगत किसान को केवल एक बार अनुमोदित होने की आवश्यकता है और आगे नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं है। यदि बार–बार समस्याएं होती हैं (जैसेः कागजी कार्रवाई के अभाव में, एक यादृच्छिक (रेंडम) कीटनाशक निरीक्षण एक समस्या बन जाता है, एक यादृच्छिक (रेंडम) निरीक्षण एक समस्या बन जाता है, आदि) तो उन्हें भंग/प्रतिबंधित किया जा सकता है और उन्हें फिर से आवेदन करना पड़ेगा और क्षेत्रिय परिषद द्वारा गहन सत्यापन और आवश्यक सुधार करने के बाद ही पुनः प्रवेश प्राप्त हो सकता है।
- पीजीएस वेबसाइट पर समूह को ऑनलाइन पंजीकृत करें। यदि समूह के पास कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुंच नहीं है, तो स्थानीय कंप्यूटर ऑपरेटर/इंटरनेट कैफे की सेवाएं ली जा सकती हैं। वैकल्पिक तौर पर सभी फॉर्म भरें और पीजीएस वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करने के लिए आरसी को जमा कर सकते हैं।
- शुल्क भुगतान के आधार पर (पारस्परिक समझौते के अनुसार) सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आरसी के साथ समझौता करें।

चरण 2

- समूह बैठकों, प्रमुख क्षेत्र प्रशिक्षण और ज्ञान साझा करने पर पीजीएस दिशानिर्देशों का पालन करें।
- पड़ोसी किसान के खेतों पर निगरानी रखें और यदि कुछ गैर–अनुपालन पाए जाते हैं तो समूह की बैठकों/व्यक्तिगत किसान मामले के दौरान समूह के अन्य सदस्यों को सूचित करें व आरसी नियमित निरीक्षण करें।
- एसपी/एफए/जेडसी/आरसी/आईसीएआर आदि के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समय पर आयोजन सुनिश्चित करें।
- प्रमुख प्रशिक्षणों और बैठकों के दौरान प्रबंधन मुद्दों जैसे पोषक तत्व प्रबंधन, कीट प्रबंधन आदि में समस्या समाधान के लिए जैविक किसानों और अन्य स्थानीय विशेषज्ञों को आमंत्रित करें।
- बैठक और प्रमुख क्षेत्र प्रशिक्षणों के लिए उपस्थिति रजिस्टर बनाए रखें।

- यदि सदस्य किसान ऑफ–फार्म आदानों का उपयोग कर रहे हैं या उनका उपयोग करने का प्रस्ताव कर रहे हैं तो उनकी जैविक स्थिति को सत्यापित करें, बैठकों में चर्चा करें और उनके उपयोग का समर्थन या निषेध करें। समूह/आरसी/जेडसी अनुमोदन के बिना ऐसे इनपुट का उपयोग गैर–अनुपालना के रूप में माना जाएगा।

चरण 3

- समकक्ष मूल्यांकन कार्यक्रम तैयार करें और समकक्ष मूल्यांकन समूहों/सदस्यों का गठन करें। प्रत्येक पुनरीक्षण (सहकर्मी निरीक्षण) में कम से कम 3 पुनरीक्षक (समकक्ष मूल्यांकक) होने चाहिए। किसानों की संख्या के आधार पर तीन या अधिक सदस्यों वाली कोई भी मूल्यांकन टीम हो सकती है। मूल्यांकन टीम में कम से कम एक सदस्य साक्षर होना चाहिए और मूल्यांकन प्रपत्र भरने में पारंगत होना चाहिए। व्यक्तिगत प्रमाणीकरण के मामले में आरसी स्टाफ/सदस्यों की पुनरीक्षण (सहकर्मी निरीक्षण) में भागीदारी आवश्यक है।
- दो सदस्यीय समूह फार्मों के बीच पारस्परिक समीक्षा की अनुमति नहीं है (अर्थात A, B की समीक्षा करता है और B, A की समीक्षा करता है)।
- अन्य एलजी समूह के पुनरीक्षक (सहकर्मी समीक्षकों) या उपभोक्ताओं/व्यापारियों के प्रतिनिधियों या स्थानीय राज्य कृषि विभाग के अधिकारी को सहकर्मी समूह के आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित करें (लेकिन उनकी भागीदारी अनिवार्य नहीं है)। इससे समूह/व्यक्तिगत गारंटी का विश्वास और विश्वसनीयता बढ़ती है।
- प्रत्येक मौसम में कम से कम एक बार सभी फार्मों की संपूर्ण समीक्षा करें। सुनिश्चित करें कि सभी खेतों की निष्पक्ष रूप से समीक्षा की गई है।
- बैठकों में समीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा करें और एक–एक करके प्रत्येक खेत की जैविक स्थिति पर निर्णय लें।
- सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले किसान/किसानों को अलग–अलग करें और प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए उन पर विचार करें।
- अनुपालन न करने वाले किसानों के बारे में चर्चा करें और गैर–अनुपालन की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर प्रतिबंध जारी करें।

चरण 4

- मूल्यांकन पेपर वर्क की पूर्णता की जाँच की जाती है और एक व्यक्तिगत किसान/एलजी सारांश वर्कशीट तैयार की जाती है।
- समूह या प्रमाणन समिति प्रमाणन पर निर्णय लेती है और प्रमाणन की स्थिति की घोषणा करती है।
- पीजीएस वेबसाइट में सभी विवरण ऑनलाइन दर्ज करें और पीयर इंस्पेक्शन सह सारांश वर्कशीट की हस्ताक्षरित प्रति आरसी को भेजें। वैकल्पिक रूप से पीजीएस वेबसाइट पर डेटा अपलोड करने के लिए आरसी को सारांश शीट की हस्ताक्षरित प्रति के साथ हार्ड कॉपी में सभी विवरण भेजें।
- क्षेत्रीय परिषद हार्ड कॉपी या ऑनलाइन में दिए गए विवरण की जांच करें। अनुमोदन पर निर्णय लेते समय आरसी निगरानी रिपोर्ट (यदि कोई हो), प्राप्त शिकायतें, अवशेष विश्लेषण रिपोर्ट इत्यादि को ध्यान में रखता है। आरसी प्रदान की गई जानकारी के आधार पर विशिष्ट किसानों को शामिल न करने या शामिल करने का निर्णय नहीं ले सकता है, यह केवल संपूर्ण रूप से व्यक्तिगत किसान के प्रमाणीकरण का अनुमोदन या गैर–अनुमोदन पर निर्णय ले सकता है । संतुष्ट होने पर आवश्यक स्वीकृति ऑन लाइन प्रदान करता है।
- समूह प्रलेखा प्रभारी पीजीएस वेबसाइट से प्रमाण पत्र प्रिंट करता है और अलग–अलग किसानों को वितरित करता है। वैकल्पिक तौर पर , व्यक्तिगत किसान आरसी से प्रमाण पत्र प्रिंट करने और वितरण के लिए समूह के नेता को भेजने का अनुरोध कर सकता है।

केवल वे किसान जिन्होंने बिना किसी बड़े या गंभीर गैर–अनुपालन के पूर्ण रूपांतरण अवधि पूरी कर ली है, उन्हें "पीजीएस–ऑर्गेनिक" घोषित किया जाएगा। जिन किसानों का एक या अधिक प्रमुख गैर–अनुपालन है या वे रूपांतरण अवधि के अंतर्गत हैं, उन्हें "पीजीएस–ग्रीन" घोषित किया जाएगा। केवल समूह में शामिल होने के बाद बोई गई फसलें, पीजीएस मानकों के अनुरूप पीजीएस प्रतिज्ञा लेते हुए और पुनरीक्षकों (सहकर्मी समीक्षकों) की सिफारिशों के अनुसार पीजीएस मानक आवश्यकताओं के पूरी तरह से अनुरूप "पीजीएस–ग्रीन" के लिए योग्य होंगी। एक ही मुद्दे पर लगातार तीन अनुपालना हेतू निर्देशों के जारी होने पर सदस्य की स्थिति बदली जा सकती है।

HPSSOPCA

- **प्रमाणन निर्णय देने की समय सीमा**

आरसी को व्यक्तिगत किसान–सारांश शीट अपलोड करने या समूह निर्णय की हार्ड कॉपी आरसी को जमा करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रमाणन अनुरोध पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। यदि आरसी 15 दिनों के भीतर व्यक्तिगत किसान के निर्णय का समर्थन करने में विफल रहता है तो आँचलिक परिषद को हस्तक्षेप करने और अगले 7 दिनों के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। यदि जेडसी भी हस्तक्षेप करने और समय पर निर्णय लेने में विफल रहता है तो समूह निर्णय के लिए पीजीएस सचिवालय से संपर्क कर सकता है।

हस्ताक्षर ....

लीड संसाधन व्यक्ति का नाम / समूह का नेता : .... ।

तारीख ....

HPSSOPCA

स्थानीय समूह का अनुमोदन

	विवरण	विवरण और टिप्पणियाँ
1.	अनुमोदन करने वाली एजेंसी का नाम/ एस.पी./एफ.ए.	
2.	राज्य सरकार प्राधिकरण	
3.	पीजीएस स्थानीय समूह	
4	क्षेत्रीय परिषद	

अनुमोदित किए जा रहे समूह का नाम :	
अनुमोदन की तिथि	
समूह दिशा–निर्देशों के अनुसार पीजीएस–इंडिया कार्यक्रम लेने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हैं	हाँ/नही
समूह का गठन पीजीएस–इंडिया कार्यक्रम की आवश्यकता को पूरा करता है और जैविक के लिए पूर्ण समर्पण के साथ भरोसा किया जाता है।	हाँ/नही
समूह के कुछ सदस्य पीजीएस मानकों, परिचालन आवश्यकताओं के बारे में पूरी तरह से अवगत हैं और पुनरीक्षण (सहकर्मी मूल्यांकन) कर सकते हैं।	हाँ/नही
कृपया विवरण प्रदान करें कि समूह किस प्रकार से ऑनलाइन डेटा अपलोड करने का कार्य करने का प्रस्ताव करता है।	स्वामित्व/एसपी/एफए/राज्य सरकार की एजेंसी/क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से

मैं/हम .... (अनुमोदक का नाम और पता) आश्वस्त है/हैं कि समूह किसान जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है पीजीएस–इंडिया परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करता है, कम से कम कुछ सदस्य/किसान मानकों और सहकर्मी मूल्यांकन रणनीति से अच्छी तरह वाकिफ हैं और पीजीएस–इंडिया ऑर्गेनिक गारंटी योजना की कार्यान्वयन रणनीति को आगे बढ़ा सकते हैं। समूह के सदस्य/किसान को जानते हैं और उन पर भरोसा किया जा सकता है। अतः पीजीएस–इंडिया कार्यक्रम के तहत पंजीकरण प्रदान करने हेतु अनुमोदन करते हैं।

तारीख
स्थान

हस्ताक्षर
(अनुमोदक का नाम और पता)

HPSSOPCA

टेंटेटिव सर्टिफिकेशन टीम

स्थानीय समूहों का नाम : ....
किसानों की सूची (समूह के सदस्य)

क्रमांक	किसान का नाम	शिक्षा	अनुभव

HPSSOPCA

नोटः यह स्थानीय समूह के सदस्यों के बीच किसान का अस्थायी संकेत है जो खेती वाले खेतों का निरीक्षण कर सकता है और पुनरीक्षण (सहकर्मी मूल्यांकन) विवरण दस्तावेज कर सकता है। युवा और शिक्षित किसान (पुरुष और महिला दोनों) इस गतिविधि को कर सकते हैं। यह बाद में स्थानीय समूह की आवश्यकता के अनुसार बदल सकता है।

बैठकों के लिए कार्यवाही और उपस्थिति रजिस्टर

1. स्थानीय समूह का नाम ....
2. एलजी सदस्यों की कुल संख्या ....
3. बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या ....
4. बैठक की तिथि और समय ....
5. अन्य सदस्यों ने बैठक में भाग लिया ....

क्रमांक	नाम	पता / संगठन	मोबाइल नंबर

6. महत्वपूर्ण मुद्दों पर की गई चर्चा और योजना (यदि कोई हो)

....

....

....

....

....

कोई भी इनपुट (ऑफ फार्म) जैविक कृषि का उपयोग करने के लिए स्वीकृत

क्रमांक	इनपुट का नाम	विनिर्माण विवरण	कार्बनिक / अकार्बनिक	एनसीओएफ / आरसीओएफ / एनपीओपी के तहत स्वीकृत

HPSSOPCA

7. अगले दो महीनों के लिए पीयर मूल्यांकन की योजना (एकल सहकर्मी निरीक्षण समिति के लिए न्यूनतम चार सदस्य होने चाहिए)

क्रमांक	निरीक्षण किए जाने वाले किसान का नाम	साल	मौसम	एलजी निरीक्षण समिति के सदस्यों के नाम	समिति का नाम

HPSSOPCA

उपस्थिति पत्रक

क्र. सं.	किसान का नाम	श्रेणी (एससी / एसटी /ओबीसी /जनरल)	(पुरुष/महिला)	मोबाइल नंबर	हस्ताक्षर

HPSSOPCA

पुनरीक्षण (सहकर्मी निरीक्षण)/क्षेत्र निरीक्षण मूल्यांकन कार्यपत्रक

1. स्थानीय समूह का नाम...
2. स्थानीय समूह कोड संख्या...
3. कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)..
4. मौसम के लिए सहकर्मी मूल्यांकन...
5. वर्ष...
6. माह...
7. प्रति मूल्यांकक/निर्णय लेने वाली समिति के सदस्यों के नाम :

....

....

....

8. समकक्ष निरीक्षण में भाग लेने वाले बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं के नामः

क्रमांक	नाम	मोबाइल नंबर	पता	सदस्य (आरसी/राज्य/सरकार/उपभोक्ता/व्यापारी/अन्य)

9. अवधि जिसके लिए सहकर्मी मूल्यांकन किया गयाः
(दिन/माह/वर्ष) से ....से (दिन/माह/वर्ष) ....
10. फसल उत्पादन विवरणः

क्रमांक	किसान का नाम	बोया गया क्षेत्र (हेक्टेयर)	फसल का नाम	अपेक्षित उपज (क्विंटल)	स्वयं उपभोग के लिए उपयोग की मात्रा (क्विंटल)	विपणन के लिए शेष कुल मात्रा (क्विंटल)

HPSSOPCA

11. बिंदुओं के आधार पर समूह में सभी समूह के सदस्यों का पुनरीक्षण (सहकर्मी निरीक्षण) मूल्यांकन और यदि किसान ने जैविक खेती में कोई दोष किया है तो प्रतिबंध यदि कोई हो:

पुनरीक्षण मूल्यांकन विषय	**किसान का नाम** (किसी प्रकार की चूक की गई/ मानकों का पालन नहीं किया)	**अनुशंसित सलाहकार बिंदु**	**सलाहकार बिंदुओं का विवरण**
1. पर्यावास प्रबंधन			**1. कोई विविधता वृक्षारोपण नहीं**– विविध पर्यावास निर्माण के लिए विभिन्न वृक्षा रोपण के एकीकरण की आवश्यकता है। **2. कोई वर्षा जल संरक्षण नहीं** – वर्षा जल के संचयन और संरक्षण के लिए आवश्यक उपाय **3. विभाजित उत्पादन** – • गैर–जैविक कृषि क्षेत्र को भी जैविक समानांतर उत्पादन के तहत लाया जाए। • जैविक और गैर–जैविक के एक ही फसल के उत्पादों का रख रखाव पर्याप्त उपायों के साथ किया जाना चाहिए और भविष्य में कोई समानांतर उत्पादन नहीं किया जाना चाहिए **4. अन्य कारण निर्दिष्ट करें**
2. विविधता			**1. केवल मोनोक्रॉपिंग (एकल फसल) की गई**– मोनोक्रॉपिंग को अगले सीजन से बहु–फसल से बदल दिया जाए। **2. अंतरफसल और फसल चक्र का पालन नहीं किया जा रहा है**– एकीकृत दलहन अंतरफसल और प्रत्येक भूखंड में 3–4 साल का फसल चक्र अपनाएं। **3. हरी खाद नहीं डाली** – 2–3 साल में कम से कम एक बार हरी खाद जरूर लें। **4. जैविक खाद का उपयोग नहीं हो रहा है** – मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए उचित मात्रा में जैविक खाद का प्रयोग करें **5. अन्य कारण कृपया निर्दिष्ट करें:**

HPSSOPCA

पुनरीक्षण मूल्यांकन विषय	**किसान का नाम** (किसी प्रकार की चूक की गई/ मानकों का पालन नहीं किया)	**अनुशंसित सलाहकार बिंदु**	**सलाहकार बिंदुओं का विवरण**
3. पशुधन का एकीकरण			**1. कोई पशुधन नहीं** – गोबर–मूत्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पशुधन को बनाए रखें **2. ऑफ–फार्म स्रोतों से पशुधन उत्पादों का उपयोग करना** – अखंडता के लिए खतरा। अपना खुद का पशुधन बनाए रखें। **3. अन्य कारण निर्दिष्ट करें**
4. मृदा और जल संरक्षण			**1. अप्रबंधन से मृदा अपरदन की संभावना**– मृदा अपरदन से बचने के लिए समेकित संरक्षण उपाय करें। **2. प्रक्रियाएं मिट्टी और जल प्रदूषण के लिए खतरा पैदा करती हों**– मिट्टी और जल प्रदूषण में योगदान देने वाली प्रक्रियांए न करें। **3. फसल अवशेष/बायोमास को खेतों में जलाना** – अगले सीजन से कोई बायोमास नहीं जलाना है। **4. खेती के लिए जंगल की सफाई** – यह निषिद्ध गतिविधि है। प्रभावित क्षेत्र की उपज जैविक के लिए योग्य नहीं होगी। **5. अन्य कारण निर्दिष्ट करें**

HPSOPCA

पुनरीक्षण मूल्यांकन विषय	किसान का नाम (किसी प्रकार की चूक की गई/ मानकों का पालन नहीं किया)	अनुशंसित सलाहकार बिंदु	सलाहकार बिंदुओं का विवरण
5. संदूषण नियंत्रण			1. बारिश के पानी के दूषित होने का खतरा, लेकिन अभी तक प्रदूषण के कोई संकेत नहीं –**मामूली गैर–अनुपालन** – सुरक्षात्मक बांध/मेंड बनाएं। 2. पारंपरिक क्षेत्रों से वर्षा जल संदूषण के साक्ष्य – **प्रमुख गैर–अनुपालन** 3. नहीं या अपर्याप्त बफर जोन –**प्रमुख गैर–अनुपालन** 4. कटाई/अंतिम उपज को पर्याप्त पृथक्करण के बिना एक ही भंडारगृह में भंडारण करना लेकिन अलग से पहचाना जाता है – अच्छी तरह से परिभाषित अलगाव के साथ भंडारण – **मामूली गैर अनुपालन** 5. भंडारण की स्थिति अपर्याप्त है और अखंडता के लिए खतरा है – **प्रमुख गैर–अनुपालन** 6. बिना सफाई के एक ही थ्रेसिंग फ्लोर/फार्म मशीनरी का उपयोग करना – **प्रमुख गैर–अनुपालन** 7. अन्य कारण निर्दिष्ट करें
6. बीज और रोपण सामग्री			1. रासायनिक उपचार के साथ प्रयुक्त अजैविक बीज – **प्रमुख गैर–अनुपालन**। 2. खरीदे गए बीज का इस्तेमाल किया लेकिन रासायनिक उपचार पर कोई स्पष्टता नहीं – **प्रमुख गैर–अनुपालन**। 3. प्रयुक्त खरीदे गए बीज, उपचारित नहीं लेकिन समूह की स्वीकृति नहीं मिली – **मामूली गैर–अनुपालन** – भविष्य में मानक मानदंडों का पालन करें। 4. प्रयुक्त जीएमओ बीज/रोपण सामग्री – **प्रमुख गैर–अनुपालन**। 5. अन्य कारण निर्दिष्ट करें।

HPSSOPCA

पुनरीक्षण मूल्यांकन विषय	किसान का नाम (किसी प्रकार की चूक की गई/ मानकों का पालन नहीं किया)	अनुशंसित सलाहकार बिंदु	सलाहकार बिंदुओं का विवरण
7. उर्वरीकरण			1. गुणवत्ता के सत्यापन के बिना उपयोग की जाने वाली ऑफ–फार्म कम्पोस्ट/जैविक खाद–**प्रमुख गैर–अनुपालन**। 2. कम्पोस्ट/गोबर–मूत्र का घोल खेत पर बनाया गया था जो कि पूरी तरह से (फर्मेंटिड) किण्वित/कम्पोस्ट नहीं किया गया था – **मामूली गैर–अनुपालन** – भविष्य में किण्वन प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए । 3. ऑफ–फार्म आदानों का उपयोग किया गया लेकिन मानकों के अनुपालन के लिए विवरण/अनुमोदन नहीं है – **प्रमुख गैर–अनुपालन**। 4. रासायनिक उर्वरक का संदिग्ध उपयोग – **प्रमुख गैर–अनुपालन**। 5. निषिद्ध पदार्थों का संदिग्ध उपयोग (हार्मोन, रसायनों से दूषित ऑफ फार्म इनपुट या अपरिभाषित संरचना के ऑफ फार्म इनपुट और एनपीओपी के तहत अनुमोदित नहीं – **प्रमुख गैर–अनुपालन**। 6. जीएमओ सामग्री/कच्चे माल वाले उर्वरक उत्पाद का संदिग्ध उपयोग– **प्रमुख गैर–अनुपालन**। 7. सीवेज/कीचड़, मानव मल या उनके उत्पादों का संदिग्ध उपयोग – **प्रमुख गैर अनुपालन**। 8. खेत में मिला मानव मल– **मामूली गैर–अनुपालन** –पर्याप्त उपाय करें। 9. अन्य कारण निर्दिष्ट करें।

HPSOPCA

पुनरीक्षण मूल्यांकन विषय	किसान का नाम (किसी प्रकार की चूक की गई / मानकों का पालन नहीं किया)	अनुशंसित सलाहकार बिंदु	सलाहकार बिंदुओं का विवरण
8. कीट प्रबंधन			1. रासायनिक कीटनाशक, हार्मोन, वृद्धि प्रवर्तक या किसी अन्य निषिद्ध पदार्थ का संदिग्ध उपयोग – **प्रमुख गैर–अनुपालन**। 2. खरीदे गए जैविक कीटनाशक का इस्तेमाल किया लेकिन एनपीओपी के तहत अनुमोदित नहीं – **प्रमुख गैर–अनुपालन**। 3. जीएमओ स्रोत से सामग्री वाले फॉर्मूलेशन का उपयोग – **प्रमुख गैर–अनुपालन**। 4. भंडारण में रासायनिक फ्यूमिगेंट्स का उपयोग – **प्रमुख गैर–अनुपालन**। **5. अन्य कारण निर्दिष्ट करें**।
9. औजारों और उपकरणों की सफाई			1. सभी कृषि उपकरण, यन्त्र, गोदाम, स्टोर, हैंडलिंग क्षेत्र, प्रसंस्करण इकाइयां आदि कीटाणुरहित हैं। 2. कटाई के बाद उत्पादों का संपूर्ण परिचालन और संचालन क्षेत्र उचित सफाई / धुलाई के माध्यम से कीटों और संदूषण से मुक्त रखा जाता है। 3. अन्य कारण निर्दिष्ट करें ।

HPSSOPCA

पुनरीक्षण मूल्यांकन विषय	किसान का नाम (किसी प्रकार की चूक की गई/ मानकों का पालन नहीं किया)	अनुशंसित सलाहकार बिंदु	सलाहकार बिंदुओं का विवरण
10. भंडारण और परिवहन			1. कार्बनिक उत्पादों को अकार्बनिक के साथ संग्रहित और परिवहन नहीं किया जाएगा। 2. किसी भी सिंथेटिक परिरक्षकों, रसायनों, फ्यूमिगेंट्स आदि या भंडारण सहायता का उपयोग नहीं किया जाएगा। 3. जैविक उत्पाद के लिए थोक भंडार पारंपरिक उत्पाद भंडार से अलग होना चाहिए और स्पष्ट रूप से उस प्रभाव के लिए लेबल किया जाना चाहिए। 4. पैकेजिंग के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री जैविक खाद्य उत्पादों को दूषित नहीं करती है जब तक कि संदूषण या घुल–मिलने की कोई संभावना न हो। 5. पैकेजों को इस तरह से बंद किया जाएगा कि सामग्री का प्रतिस्थापन बिना हेरफेर या सील के नुकसान के हासिल नहीं किया जा सके। 6. इनपुट और कृषि उपज दोनों के लिए समय और स्थान अनुसार अलग–अलग भंडारण बनाए रखा जाए। 7. अन्य कारण निर्दिष्ट करें

HPSSOCA

क्रमांक	किसान का नाम	**मेजर या माइनर फॉल्ट** (बिंदु 1 से 6: माइनर माना जाता है: पीजीएस ग्रीन स्टेटस बदलता रहता है, इसे घटाया जा सकता है। प्वाइंट 7 से 10 तक : मेजर माना जाता है, कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा)	अंतिम स्कोप प्रमाण पत्र के अनुसार रूपांतरण अवधि की स्थिति (पीजीएस ग्रीन 1/2/3/4/5/6) या पीजीएस जैविक

घोषणा

हम स्थानीय समूह के सदस्य/निर्णय समिति के सदस्य .... एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि हमने सभी एवं प्रत्येक सदस्य का मूल्यांकन कर लिया है और गहन मूल्यांकन के बाद मूल्यांकन पत्रक टिप्पणियों सहित प्रस्तुत करते हैं । हम स्थानीय समूह के सदस्य/निर्णय समिति के सदस्य .... एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि संपूर्ण पीजीएस–इंडिया प्रक्रियाओं को स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से बिना किसी पूर्वाग्रह और पक्षपात के सच्ची भावना से लागू किया गया है। हम स्थानीय समूह के सदस्य/निर्णय समिति के सदस्य समझते हैं कि यदि कोई जानकारी सत्य नहीं पाई जाती है तो पूरे समूह की प्रमाणन स्थिति रद्द कर दी जाएगी।

समूह के नेता के हस्ताक्षर
समूह के नेता का नाम ....
तारीख :

HPSSOPCA

प्रशिक्षण का शीर्षक : ....

....

- पीजीएस स्थानीय समूह का नाम : ....
- प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या : ....
- प्रशिक्षण का स्थान : ....
- प्रशिक्षण की तिथि/माह/वर्ष और प्रशिक्षण की अवधि : ....
- प्रशिक्षण का विषय और विषय वस्तु : ....
- आमंत्रित विशेषज्ञ व्यक्तियों का विवरण : ....

क्रमांक	नाम	पद	पता	मोबाइल नंबर और ई–मेल आईडी	हस्ताक्षर

HPSSOPCA

- प्रशिक्षण का आयोजन करवाने वाले का विवरण :

क्रमांक	संगठन का नाम	पता	मोबाइल नंबर और ई–मेल आईडी	हस्ताक्षर

- उन विषयों का शीर्षक जिन पर प्रशिक्षण दिया गया और चर्चा की गई

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

HPSSOPCA

उपस्थिति पत्रक

क्र. सं.	किसान का नाम	श्रेणी (एससी / एसटी / ओबीसी / जनरल)	(पुरुष / महिला)	मोबाइल नंबर	हस्ताक्षर

HPSSOPCA